लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
[Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26, सोमवार, 28 जून, 1971/7 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 26, Monday, June 28, 1971/Asadha 7, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
751. बंगला देश की स्थिति के बारे में अमरीका के प्रवक्ता द्वारा भारत और पाकिस्तान को संयम से काम लेने की सलाह	Statement made by spokesman of U.S.A. regarding Restraint by India and Pakistan on Bangla Desh Development ..	1—3
757. लन्दन में व्यापार कर रहे भारतीय राजनयिक	Indian Diplomats in London engaged in Business ..	3—4
758. भारत बर्मा की सीमा का निर्धारण	Demarcation of Indo-Burmese Boundary ..	5
759. कर लगाये जाने के कारण प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त व्यय	Additional Expenditure on Defence Establishment due to levy of Taxes ..	6
762. पूर्वी बंगाल की स्थिति से संबंधित वक्तव्यों के बारे में अमरीका को विरोध पत्र	Protest Notes in U.S.A. regarding References to Situation in East Bengal ..	7—8
764. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा किये गये चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Expenses incurred by Central Government Employees ..	8—9
765. बिरला के कलकत्ता स्थित 'इण्डस्ट्री हाउस' की सरकार द्वारा खरीद	Purchase of Birla's Industry House in Calcutta by Government ..	10—11

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
769. पाकिस्तान द्वारा बंगला देश के पश्चिमी सीमा क्षेत्र का नागरिकों से खाली कराया जाना	Evacuation of Civilians from Western Bangla Desh Border by Pakistan ..	11—12
770. भारतीय रियासतों के भूतपूर्व नरेशों को दिए गए राजनयिक पासपोर्ट	Diplomatic Passports granted to Ex-rulers of Indian States ..	13
771. भारत द्वारा आणविक हथियारों के विकास के बारे में श्री पीयरे एम० गालोइस के विचार	Views of Mr. Pierre M. Gallois .. Re : Development of Atomic Armaments by India ..	14
772. पंजाब उत्तर प्रदेश और बिहार में तेल की खोज करने का कार्य इटली की फर्म को सौंपना	Handing over the work of exploration of oil in Punjab, U. P. and Bihar to Italian Firm ..	14—16
778. भंडार निदेशालय के रसद सैल को नई दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरित करना	Shifting of Provisioning Cell of Directorate of States from New Delhi to Bombay ..	16—17
779. बल्लभगढ़ की बाई-फार्म इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा 73 एम० एम० टैंक भेदी हथगोलों का बनाया जाना	Manufacturing of 73 m.m. Anti-tank Hand Grenades by Bi-form Engineering Company, Ballabhgarh ..	17—19
755. विश्व शान्ति सम्मेलन में भाग ले रहे विशिष्ट व्यक्तियों को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने का आमन्त्रण	Invitation to Eminent Persons Attending World Peace Congress to visit Border Areas of India ..	19—20
773. तेल तथा प्राकृतिक गैस अयोग को एक एकीकृत तेल कम्पनी में परिवर्तित करना	Conversion of O N G C into an Integrated Oil Company	20—21
774. नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई	Drinking water supply in Urban and Rural Areas ..	22—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
752. परिवार नियोजन का नया "इन्ट्रा यूटिराइन" उपाय	New Intra-Uterine Family Planning Device	23—24

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

753. ब्रिटेन के एक एटलस में जम्मू और काश्मीर के एक भाग को पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाया जाना	A Part of Jammu and Kashmir shown as belonging to Pakistan in an Atlas of U.K. ..	24
754. दिल्ली तथा मद्रास में विकलांग केन्द्रों के लिए अमरीका से वित्तीय सहायता	U.S.A. Financial Aid for Orthopaedic Centres in Delhi and Madras ..	24—25
760. स्वेज नहर को पुनः खोलना	Reopening of the Suez Canal ..	25
761. पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा बंगला देश के संकट के बारे में प्रेस नोट जारी किया जाना	Issuing of Press Notes by High Commissioner of Pakistan Re : Bangla Desh Trouble	25—26
763. प्राकृतिक गैस को तरल पेट्रोलियम गैस में बदलने के लिए एक संयंत्र की स्थापना	Establishment of a Plant for Conversion of Natural Gas into liquid Petroleum Gas ..	26
766. औषधियों के उत्पादन में विदेशी फर्मों तथा सरकारी क्षेत्र के कारखानों का हिस्सा	Shares of Foreign Firms and Public Sector Plants in the Production of the Drugs ..	26—27
767. आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एन० सी० सी० में कमीशन और प्रादेशिक सेना में कमीशन	NCC Commission and Territorial Army Commission to Emergency Commissioned Officers ..	27—28
768. ब्रिटेन में प्रवेश पाने की अनुमति की प्रतीक्षा करने वाले भारत में रह रहे एशिया-मूलक पूर्व अफ्रीकी	East Africans of Asian Origin in India Awaiting permission for entry into Britain ..	28
775. तीर्थयात्रियों को लाहौर स्थित डेरा साहिब जाने की अनुमति देने से इन्कार	Refusal of Permission to Pilgrims to visit Dera Sahib in Lahore	29
776. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये गिरिनगर, कोचीन में आवास योजानाएं	Housing Schemes for Central Government Employees at Giri Nagar, Cochin ..	29
777. एन्नोर, तमिलनाडु में मैरिन डीजल इंजन के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Marine Diesel Engine Factory at Ennore, Tamil Nadu	29—30
780. चीन द्वारा हिन्द महासागर में अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण	Testing of ICBM by China in the Indian Ocean	30—31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3214. मध्यम आय वर्ग के लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots to Middle Income Group by Delhi Development Authority ..	31
3215. ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में सेवा सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Service Facilities in Greater Kailash, Part II, New Delhi ..	31—32
3216. दिल्ली में रिहायशी प्लाटों का जमीन भाड़ा कम करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार समिति का प्रस्ताव	Resolution of Advisory Committee of D.D.A. for Slashing Ground Rent on Residential plots in Delhi ..	32
3217. भारत तथा श्रीलंका के मध्य गुप्त प्रतिरक्षा संधि	Secret Defence Treaty between India and Ceylon ..	32
3218 पाकिस्तान के काश्मीर पर अनधिकृत कब्जे के बारे में मुस्लिम लीग द्वारा पारित संकल्प	Resolution passed by Muslim League about unauthorised occupation of Kashmir by Pakistan ..	32—33
3219. सफदरजंग विकास क्षेत्र नई दिल्ली में प्लाटों की लागत	Cost of plots in Safdarjang Development Area, New Delhi ..	33—34
3220. भारत और पाकिस्तान के राजस्व अधिकारियों की बैठक	Meeting between Revenue Officers of India and Pakistan ..	34
3221. अमरीका मे भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers in U.S.A.	34
3222.इण्डियन आयल कारपोरेशन पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Officers of Indian Oil Corporation Eastern Region, Calcutta ..	35—36
3223. आसाम मिजो पहाड़ी जिला परिषद् के प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री के साथ बतचीत	Meeting of Assam Mizo Hills District Council Delegation with Prime Minister	36
3224. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये बोर्ड	Board to Develop National Capital Region	36—37
3225. श्रमजीवी वर्ग का आहार सर्वेक्षण	Diet Surveys of Working Class	37
3226. दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य	Construction work of Inter-State Bus Terminus, Kashmiri Gate, Delhi	38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3227. देश के विभिन्न नगरों और हवाई अड्डों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for CPWD Staff in various Cities and Airports in the Country	38
3228. बिहार में पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water in Bihar	39
3229. वृहद् ग्रामीण आवास योजना	Massive Rural Housing Plan	40
3230. विदेशों में बसे भारतीय विशेषज्ञ	Indian Experts settled Abroad	40
3231. भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में पाकिस्तान के वाशिंगटन स्थित राजदूत का वक्तव्य	Statement of Pakistan Ambassador in Washington regarding Indo-Pakistan Relations	40—41
3232. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के भारत आगमन के सम्बन्ध में विदेश मंत्री का विश्व की राजधानियों का दौरा	Visit to World Capitals by Foreign Minister regarding inflow of Refugees in India from East Bengal	41
3233. चण्डीगढ़ में प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots in Chandigarh	41—42
3234. मद्रास नगर का विकास	Development of Madras City	42
3235. कृत्रिम रेशों के लिये लाइसेंस	Licences for Man-made Fibres	42—44
3236. अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों का बन्द किया जाना	Closure of American Cultural Centres	44
3237. नेपाल भूटान और सिक्किम को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Nepal, Bhutan and Sikkim ..	44—45
3238. केरल और कालीकट विश्व विद्यालय चिकित्सा डिग्री की मान्यता का समाप्त किया जाना	De-recognition of Medical Degree of Kerala and Calicut Universities ..	45
3239. शाहजहांपुर आयुध कपड़ा फैक्टरी के श्रमिकों का निलम्बन	Suspension of workers of Shahjahanpur Ordnance Clothing Factory	46
3240. पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक आयुध कारखानें की स्थापना	Setting up of an Ordnance Factory in Eastern U.P. ..	46

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3242. बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में लोहे के डेरिक का गिरना	Falling of an Iron Derrick on Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi	46—47
3243. तिलपत के निकट किसानों द्वारा चांदमारी क्षेत्र हटाने के लिये अभियान	Agitation by Farmers for Removal of Tilpat range	47
3244. चीनी और पाकिस्तानी सेना का परमाणु अस्त्रों से लैस किया जाना	Equipping the Chinese and Pakistan Armies with Atomic Weapons	47—48
3245. पश्चिम बंगाल, मेघालय और आसाम में हैजे का प्रकोप	Cholera Epidemic in West Bengal, Meghalaya and Assam	48
3246. तमिलनाडु में स्थानीय मेडिकल कालेज	Regional Medical College in Tamil Nadu ..	49
3247. भारतीय सेना का पूरी तरह से विस्तार करना तथा उसकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal for Overall Expansion and Efficiency of Indian Forces ..	49
3248. विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिये जनेवा को भेजा गया प्रतिनिधि मंडल	Delegation to Geneva to attend World Health Assembly	49—50
3249. नकली औषधियों का उत्पादन करने वाली कम्पनियां	Companies Manufacturing Spurious Drugs ..	50
3250. नारायणा, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलाटियों को बरसातियों को कमरे में बदलने की अनुमति	Permission to cover Barsati to Allottees of DDA Flats in Naraina, Delhi ..	51
3251. नारायणा (दिल्ली) में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलाटी	Allottees of DDA flats in Naraina in Delhi	51
3252. दिल्ली में मकान किराये में वृद्धि	Increase in House Rents in Delhi	51—52
3253. कर्जन रोड, नई दिल्ली स्थित होस्टल की देखभाल पर व्यय	Expenditure on Maintenance of Curzon Hostel, New Delhi ..	52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3254. चौथी योजना में कुष्ठ रोग के उपचार के लिए केन्द्र	Setting up of Leprosy Centres during Fourth Plan	52
3255. चौथी योजना में राज्यों में आवास कार्यक्रमों के लिए निधियों का नियतन	Allocation of funds for housing programme in the States during Fourth Plan ..	53
3256. मलेरिया उन्मूलन योजना पर खर्च	Expenditure on Malaria eradication Scheme	53
3257. तटवर्ती तेल शोध कारखानों की शोधक्षमता में कमी करने का प्रस्ताव	Proposal for a cut in refining capacity of coastal refineries ..	54
3258. चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों में अनुसन्धान के लिये औषध प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of drugs laboratory for research of Indigenous System of Medicine ..	54
3259. श्रीलंका के मामलों में भारत का कथित हस्तक्षेप	Alleged Indian Interference in Ceylonese Affairs ..	54
3260. बंगला देश की समस्या के बारे में बड़ी शक्तियों का असहयोगपूर्ण रवैया	Un-co-operative attitude of Big Powers towards Bangla Desh Problem ..	54—55
3261. पाकिस्तान सरकार द्वारा पश्चिम पाकिस्तान के हिन्दुओं की सम्पत्तियों का जब्त किया जाना	Confiscation of Properties of Hindus in West Pakistan by Pakistan Government ..	55
3262. श्रीलंका, वर्मा तथा अन्य देशों के आये आप्रवासी	Repatriates from Ceylon, Burma and other countries ..	55—56
3263. सभी भूतपूर्व सैनिकों को उपदान (ग्रेच्युटी) की अदायगी	Payment of Gratuity to All Ex-servicemen ..	56—57
3264. संसद् सदस्यों को जीपों का वितरण	Distribution of Jeeps to Members of Parliament ..	57
3265. पश्चिम पाकिस्तान के हिन्दुओं का हुसैनी वाला सीमा से भारत आना	Migration of Hindus of West Pakistan to India through Hussainiwala Border ..	57—68

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3266. परिवार नियोजन के सामाजिक पहलुओं के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की बैठक	U. N. Meeting of Experts on Social Welfare aspect of Family Planning ..	58
3267. भारत के पूर्वी भाग के लोगों की सेना में भर्ती	Recruitment of Army Personnel from Eastern Region of India ..	58—59
3268. हशीमारा में सैनिक स्कूल	Sainik School at Hashimara	59
3269. रायल कामन वैल्थ सोसायटी फार ब्लाइन्ड, लन्दन द्वारा किये गये आखों के आपरेशन	Eye operations performed by the Royal Commonwealth Society for Blind, London ..	59—60
3270. त्रिपुरा में गृह-निर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियां	House-Building Co-operative Societies in Tripura ..	60
3271. नसबन्दी के कारण शारीरिक, यौन और मानसिक रोगों की शिकायतें	Complaints of Physical, Sexual and Psychological Symptoms due to Vasectomy Operations ..	60—62
3272. गुजरात के भावनगर जिले में ग्रामीण पेय जल सप्लाई योजना	Rural drinking water supply scheme for Bhavnagar in Gujarat ..	63
3273. रूसी सहयोग के साथ अरब सागर में तेल के कुएँ	Oil wells in Arabian Sea with Russian Collaboration ..	63
3274. औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Drug Industry	64
3275. गृह-निर्माण ऋण की शर्तों में शिथिलता	Liberalisation of House Building, Advance Rules ..	64
3276. हरियाणा में हरिजनों की नसबन्दी	Sterilisation of Harijans in Haryana	65
3277. जबरन नसबन्दी आपरेशन	Forcible Vasectomy operations ..	65
3278. मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा	Auditing of accounts of Sainik School of Madhya Pradesh ..	66
3279. अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों में परिवर्तित किये जा सकने वाले राकेटों का निर्माण	Manufacturing of Rockets convertable into inter-continental Ballastic Missile ..	66

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3280. राजस्थान में रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य कर्मचारियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Military men by Ministry of Defence in Rajasthan	66—67
3281. बेरोजगार इंजीनियरों अथवा स्नातकों को छोड़ कर किसी अन्य को पेट्रोलियम और गैस की एजेंसियां देना	Petroleum and Gas agencies to any one else other than the unemployed Engineers or Graduates ..	67
3282. बिहार में सहरसा और पूर्णिया जिलों का सामरिक महत्व	Strategic importance of Saharsa and Purnea districts of Bihar ..	67
3283. दिल्ली में यमुनापार शकरपुर बस्ती में अनधिकृत मकान	Unauthorised houses in Shakarpur Trans-Yamuna Colony, Delhi ..	67—68
3284. कथित भूखे भारतीय बच्चों की सहायता करने के लिये विदेशों में चन्दा इकट्ठा किया जाना	Collection of subscription in foreign countries to help alleged starving Indian children ..	68
3285. लन्दन में भारतीय उच्च आयोग में अधिकारी तथा कर्मचारी	Officers and staff in Indian High Commission in London ..	68—69
3286. भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी दूतावास का प्रचार	Propaganda by Pakistan Embassies against India ..	69
3287. छावनी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के मकानों का अधिग्रहण रद्द करना	De-requisitioning of the houses of ex-servicemen in Cantonment areas ..	69—70
3288. सुरक्षा दलों और विद्रोही नागाओं के बीच मुठभेड़ें	Encounters between rebel Nagas and Security Forces ..	70
3289. लोक-निर्माण कार्यों के खर्च में कमी करने से सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on reduction of cost of Public Works ..	70
3290. बंगला देश के शरणार्थियों की समस्याओं के सम्बन्ध में अमरीका के सिनेटरों का भारत आगमन	Visit of U.S. Senators to India in connection with problems of Bangla Desh refugees..	71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3291. तिब्बत अथवा सिक्यांग क्षेत्रों में थोड़ी अथवा बीच की दूरी तक मार करने वाले तरल ईंधन से सम्पन्न चीनी प्रक्षेपणास्त्रों का लगाया जाना	Deployment of Short or Medium Range liquid fueled Chinese Missiles in Tibetan or Sinkiang Regions ..	71
3292. क्षयरोग उन्मूलन योजना	Scheme to fight T. B. Menace	72
3293. केरल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना	Setting up of a Sainik School in Kerala ..	72—73
3294. केरल में बेरोजगार डाक्टर	Jobless Doctors in Kerala ..	73
3295. बर्मा आयल कम्पनी के सहयोग से डिगबोई तेल शोधक कारखाने की क्षमता में विस्तार	Expansion of capacity of Digboi Refinery with Collaboration of Burmah Oil Company ..	73
3296. मन्दिर मार्ग और डी०आई० जेड क्षेत्र, नई दिल्ली में क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters in Mandir Marg and D.I.Z. Areas, New Delhi ..	74
3297. संघ राज्य क्षेत्र के सैनिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना	Grant of Scholarships to students of Sainik Schools of Union Territories ..	74—75
3298. 1971 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी इमारतों पर की गई रोशनी पर हुआ व्यय	Expenditure incurred in Illumination of Government buildings on the eve of Republic Day 1971 ..	75
3299. मेजर बहुगुणा की मृत्यु के बारे में जांच समिति	Enquiry Committee into the Death of Major Bahuguna ..	75
3300. सैनिक स्कूल कजाकोट्टम, केरल के प्रशासन के विरुद्ध शिकायत	Complaint against the Administration of Sainik School Kazhakottam, Kerala ..	75—76
3301. पोलियो और ट्रिपल एन्टीगोन टीके लगाने का व्यापक कार्यक्रम	Mass Programme for Polio and Triple Antegon Vaccinations ..	76
3302. भारतीय वायु सेना के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम्पनी, नई दिल्ली, द्वारा अग्नि शामक इंजनों का निर्माण	Manufacture of Fire Extinguishing Engines by India International Trading Company, New Delhi for Indian Air Force ..	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	77—78
उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति	Permission for nationalisation of Sugar industry in U.P. ..	77— 8
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	77
श्री शेर सिंह	Shri Sher Singh	77—78
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members ..	79
सर्वश्री ईश्वर चौधरी और भारत सिंह चौहान	Sarvashri Ishwar Chaudhry and Bharat Singh Chauhan ..	79
लोक लेखा समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee on Public Accounts ..	79
जहाज द्वारा पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र भेजे जाने और कुछ देशों को अपनी हाल की यात्रा के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बारे में प्रस्ताव	Motion re: Statements by Minister of External Affairs re: Shipment of American Arms to Pakistan and his recent visit Abroad ..	79—115
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	79—82
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	82—83
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ..	83
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malviya ..	83—84
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	84—86
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	86—87
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	87—89
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	89—91
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan ..	91—93
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	93—94
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra ..	94—95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	95—96
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	97
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	98—99
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	99—100
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	.. 100—102
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	.. 103
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	.. 103—104
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	104—105
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	.. 105—106
श्री जम्बूवन्त धोते	Shri Jambuwant Dhote	.. 106—107
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	.. 107
श्री एम० एम० हाशिम	Shri M. M. Hashim	.. 107—108
श्री शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	.. 108—109
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh	.. 109
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	.. 109—114

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 28 जून, 1971/7 आषाढ़, 1893 (शक)
Monday, June 28, 1971/Asadha 7, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बंगला देश की स्थिति के बारे में अमरीका के प्रवक्ता द्वारा भारत और पाकिस्तान को संयम से काम लेने की सलाह

*751. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाशिंगटन में विदेश विभाग के एक प्रवक्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि अमरीका ने भारत और पाकिस्तान को बंगला देश की स्थिति पर संयम से काम लेने की सलाह दी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ऐसा समझती है कि भारत और पाकिस्तान को अस्पष्ट रूप से भी समान स्तर पर रखने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण और असंगत है । मैंने वाशिंगटन में अपने सार्वजनिक एवं असार्वजनिक वक्तव्यों में इसे सुस्पष्ट कर दिया था ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अमरीका ने न केवल भारत को पाकिस्तान के समान स्तर पर रखने का प्रयत्न किया है अपितु हमारे विदेश मन्त्री द्वारा विदेशों का विशेषकर अमरीका का दौरा करने के उपरान्त—मेरे विचार में वे आशावान् होकर लौटे हैं— भी वह देश पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई कर रहा है । क्या सरकार अभी यहां अमरीका जैसे साम्राज्यवादी देश द्वारा इस मामले में भारत को पाकिस्तान के समान स्तर पर लाने के ऐसे प्रयास की निन्दा करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : अमरीका द्वारा शस्त्रास्त्रों की सप्लाई के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर अगले दिन दिया था। यह आज वाद-विवाद के लिए यहां लाया गया है ताकि माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर मिले।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब प्रश्न किया गया है तो स्वभावतः उन्हें इसका उत्तर देना होगा। इस पर वाद-विवाद आज हो सकता है परन्तु क्या इसका तात्पर्य यह है कि वे आज प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अमरीका साम्राज्यवादी भारत पर आक्रमण कर रहा है और न केवल भारत को पाकिस्तान के समान स्तर पर रख रहा है परन्तु इस मामले में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। यह वक्तव्य जारी किया गया था परन्तु सरकार इस बारे में चुप रही, जैसे उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी हो। इस प्रकार का व्यवहार न केवल अमरीका की ओर से हो रहा है अपितु इंगलैंड भी ऐसा कर रहा है, श्री होम ने भी वक्तव्य दिया था ....

अध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य न देकर प्रश्न पूछिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार इस सभा में इन प्रयासों की निन्दा करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस सम्बन्ध में चुप नहीं रहे हैं। हमने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत को पाकिस्तान के समान स्तर पर रखने का कोई भी प्रयास नितांत असंगत है और हम ऐसे प्रयासों की तीव्र भर्त्सना करते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस तथ्य को देखते हुए कि भारत और पाकिस्तान को समान रूप से शरारती बताना, जिसमें पाकिस्तान की अपेक्षा भारत को अधिक शरारती बताया गया है, अमरीका का आचरण रहा है जो कि वह पहले से बहुत बार कहता आ रहा है, विशेषकर 1965 के संघर्ष से, और पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों से भरे जहाजों को भेजने के बारे में, जिसका हाल ही में पता लगा है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अमरीका द्वारा दिये गए कतिपय उग्र वक्तव्यों के बारे में केवल यह कहकर संतुष्ट क्यों हो जाती है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और असंगत है ? हम अमरीका सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए कठोर शब्दों में क्यों नहीं कहते हैं कि हमारी उनके साथ छोटी संधि नहीं है ? अथवा क्या मन्त्री महोदय का यह विचार है कि भारत की अमरीका से छोटी संधि है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि छोटी अथवा बड़ी संधि होने का कोई प्रश्न नहीं है और मैं जोरदार शब्दों में ऐसे विचार का खंडन करता हूं। हमने अमरीकी प्रतिनिधियों को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि—मैंने इस बारे में सार्वजनिक वक्तव्य भी दिया है — कि हम उनके द्वारा इस प्रकार भारत को बदनाम करने के प्रयास को सहन नहीं करेंगे और बंगला देश में व्याप्त वर्तमान स्थिति में भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखने का प्रयास पूर्णतया असंगत है और हम पूर्णतया इसका विरोध करते हैं। हमने इसकी बहुत भर्त्सना की थी। मैंने इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रहने दिया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या उन्होंने हाल की घटनाओं के संबंध में वहां कोई सरकारी राजनयिक विरोध पत्र भेजा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सार्वजनिक रूप से इसको पूर्णतया असंगत बताना सरकारी विरोध पत्र भेजने से अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह उनका विचार है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सच है कि मंत्री महोदय ने कतिपय सार्वजनिक वक्तय दिये है । यहां तक कि इस सभा में उन्होंने वक्तव्य दिया है जो कि मेरे विचार में अमरीकी साम्राज्यवादियों को उनके हाथ बंगला देश में नरसंहार करने के प्रयास का एक प्रमाणपत्र है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके अतिरिक जो कुछ उन्होंने इस सभा में तथा इसके बाहर कहा है, उन्होंने राजनयिक तौर पर उनको विरोध-पत्र दिया है और यदि हां, तो उस विरोध-पत्र का विषय क्या है और क्या अमरीकी सरकार को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार का वक्तव्य और उनके द्वारा बंगला देश में नरसंहार करने का प्रयास एक अमैत्रीपूर्ण कार्य है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है जिसमें इस दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है.....

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने इस प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखा है परन्तु क्या उन्होंने कोई एक पत्र लिखा है या नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने बताया है कि उन्होंने यह भी जबानी कहा था और हमने सार्वजनिक रूप से और उनको जबानी ही कहा है । कोई पत्र या नोट लिखने की बात नहीं थी और न ही मैंने कोई पत्र या नोट लिखा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय कृपा करके इस सभा को यह बतायें कि क्या उन्होंने अमरीका और अन्य देशों की अपनी गत यात्रा के दौरान कभी भी यह कहा है कि जो कुछ बंगला देश में हो रहा है वह नरसंहार के समान है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने कतिपय वक्तव्यों में कहा है कि जो कुछ बंगला देश में हो रहा है वह नरसंहार है ।

लन्दन में व्यापार कर रहे भारतीय राजनयिक

*757. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं कि लन्दन में भारतीय उच्चायोग में नियुक्त कुछ भारतीयों ने वहां व्यापार करके अपनी जायदाद बना ली है ;

(ख) इस गतिविधि को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ; और

(ग) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में नियुक्त अनेक भारतीयों ने त्यागपत्र दे दिये हैं और ब्रिटेन में व्यापार करना आरम्भ कर दिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सेवा आचार नियमों में सरकारी कर्मचारियों को इन कार्यकलापों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने को मनाही है ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत–आस्थानी 16 अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए हैं किन्तु अभी तक केवल 4 व्यक्तियों के ही त्यागपत्र स्वीकार किये गए हैं । हमारी जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों में से किसी ने भी व्यापार आरम्भ नहीं किया है, किन्तु उन्होंने इंगलैंड में नौकरियां कर ली हैं ।

Shri Prabodh Chandra : May I know whether the Government is aware that our Officials of Indian High Commission have purchased houses on instalment basis in London ?

Shri Surendra Pal Singh : So far as India-based official are concerned, I think there was only one such case in which an official was given permission to purchase house by the Ministry. The circumstances of his family were such that permission bad to be granted. To my knowledge, no other person was given such permission. I do not know about those who are not India-based officials.

Shri Prabodh Chandra : May I know whether the Hon. Minister is aware that not only one but dozens of officials of Indian High Commission have acquired property is England on instalment basis ?

Shri Surendra Pal Singh : This question relates to business being carried on by officials. This is not the question of Property. I have stated that locally employed persons may have property or houses but this is not in the case of India-based officials. No one is carrying on business.

Shri Prabodh Chandra : Mr. Speaker, Sir, I asked in my question whether some officials have not acquired property by purchaing houses on instalment bases. May I know whether acquiring of property is not business ?

Shri Surendra Pal Singh : If the Hon. Member has any such case in his knowledge, he may intimate us. We are prepared to conduct enquiry in this respect. I our knowledge there is no such case.

Shri D. N. Tiwary : The Hon. Minister has just stated that 16 employees had tendered resignations and only four were accepted and they may be carrying on business, so I want to know why other resignations have not been accepted ? What were the reasons for not accepting their resignations and what are they doing now ?

Shri Surendra Pal Singh : The rule in this regard is this that if any employee wants to tender resignation from service, then he will have to come back to the Headqurters. Contrary to this rule four employees were given permission on compassionate grounds because their cases were such in which granting permission was necessary. As regards other cases, it is difficult to say why the permission was not given. As a rule we do not give such permission.

भारत-वर्मा की सीमा का निर्धारण

*758. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भारत-वर्मा की सीमा का हिसाब लगाने और उसका नक्शा तैयार करने के लिए वर्मा के सीमा संबंधी एक दल ने भारत की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1970 के दौरान कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा 1971-72 के क्षेत्र मौसम में सीमांकन कार्य करने से सम्बद्ध दो देशों के सर्वेक्षण विभागाध्यक्षों द्वारा की गई समस्त सिफारिशों पर विचार विमर्श करने तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए, 6 से 11 जून 1971 तक नई दिल्ली में संयुक्त भारत-वर्मा सीमा आयोग की बैठक हुई ।

(ख) सीमांकन कार्य सुचारु रूप से चल रहा है । 1971-72 के आने वाले क्षेत्र-मौसम में, 168 कि० मी० तक और सीमांकन कार्य करने का प्रस्ताव है । भू-सत्यापन तथा मानचित्र खींचने आदि से सम्बद्ध कार्य चल रहा है ।

Shri Narendra Singh Bist : May I know the position of Burma's map when Burma was a part of India and after it separated from India and now what Burma and India want ?

Shri Swaran Singh : We both want that our boundary should be marked and we both are agreed to this.

Shri Narenda Singh Bist : I asked the position of map at the time of British regime and after Burma was separated....(*Interruption*) I ask second question. Why the demarcation of 168 Kilometers has not been carried out till now? May I know whether there is any dispute in it ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं । इसमें कोई विवाद नहीं है । सीमा निर्धारण करने वाले वहां स्वयं जाकर उचित माप लेने के उपरान्त खम्बे लगाने का कार्य कर रहे हैं । वहां कार्य सुचारु रूप से चल रहा है । इस प्रकार का वहां कोई विवाद नहीं है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री महोदय का ध्यान नागालैंड के मुख्य मन्त्री द्वारा भारत और वर्मा के मध्य एक गांव के विभाजन के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा वक्तव्य पढ़ा है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं । परन्तु नागालैंड के मुख्य मन्त्री मेरे से सम्पर्क बनाए हुए हैं । उन्होंने मेरे साथ एक समस्या पर विचार विमर्श किया है । मेरे विचार में उन्होंने अपने दृष्टिकोण के बारे में मुझे कुछ लिखा है जिसको सीमा-निर्धारण के समय ध्यान में रखा जाना है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मैंने पूछा था कि एक विशेष नामा गांव का भारत और वर्मा के मध्य विभाजन किया गया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

कर लगाये जाने के कारण प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त व्यय

*759. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान नये करों से तथा वाहनों में ईंधन और चिकनाई के रूप में प्रयोग किये जाने वाले पेट्रोल और मोबिल आयल की वढ़ी हुई कीमतों से मुक्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कितना अतिरिक्त खर्च पड़ेगा ; और

(ग) क्या वर्ष 1971-72 के वजट में इस बारे में व्यवस्था की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) तीनों सेवाओं के लिए मोटे रूप से 4.33 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा । रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) जी नहीं । आवश्यक अतिरिक्त खर्चे की व्यवस्था पूरक मांगों में की जाएगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय वजट में ऐसे विशेष मामलों के लिए अतिरिक्त धनराशि पूरक मांगों के स्थान पर अलग रखी गयी है ?

श्री जगजीवन राम : विशेष नियतन किसके लिए ? हम देखेंगे कि क्या हम बचत अथवा पुर्विनियोग आदि द्वारा समायोजन कर सकते हैं; यदि यह संभव नहीं है तब हम पूरक मांगों में इसको रखेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री महोदय ने जिस धनराशि का उल्लेख किया है, उसमें सभी कर तथा अन्य बातें समाविष्ट हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न विशेष कर पेट्रोलियम के बारे में था । यह केवल पेट्रोलियम और इसके उत्पादों के बारे में है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रक्षा मन्त्री श्रीलंका को उनकी सहायता के लिए रक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतया एक अलग प्रश्न है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अतिरिक्त व्यय . . .

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार एकाएक अनुपूरक प्रश्न मत पूछिए ।

पूर्वी बंगाल की स्थिति से सम्बन्धित वक्तव्यों के बारे में अमरीका को विरोध पत्र

+

*762. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल की स्थिति से सम्बन्धित हाल के कुछ सार्वजनिक वक्तव्यों में भारत की पाकिस्तान के साथ समानता करने की अमरीकी प्रवृत्ति के विरुद्ध अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । ज्यों ही 27 मई 1971 को अमरीकी सरकार के प्रवक्ता द्वारा वक्तव्य दिया गया जिसमें भारत एवं पाकिस्तान को संयम रखने की सलाह दी गई थी, त्यों ही इस मामले को यहां अमरीकी दूतावास में और वाशिंगटन में हमारे राजदूतावास ने विदेश विभाग में उठाया । यह स्पष्ट किया गया कि संयम रखने की सलाह पाकिस्तान को दी जाय न कि भारत को । मैंने इस बात को वाशिंगटन में अपने असार्वजनिक एवं सार्वजनिक व्यक्तव्यों में भी स्पष्ट किया था ।

श्री पी० गंगादेव : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में "संयम" शब्द का प्रयोग किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि संयम का क्या अर्थ है जबकि हमने पहले ही बंगला देश के 20 लाख शरणार्थियों को अपने यहां रखकर पर्याप्त संयम बरता है ?

एक माननीय सदस्य : इससे भी अधिक संयम बरता है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यही कारण है कि हमने "संयम" शब्द का, जो हमारे लिए कहा गया है, जोरदार विरोध किया है । इसीलिए हमने कहा है कि यह पाकिस्तान को कहा जाना चाहिए न कि हमको ।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को देखते हुए कि अमरीका खुले आम पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र आदि की सप्लाई कर रहा है और इस समस्या के प्रति भारत के दृष्टिकोण की उपेक्षा कर रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले पर हमारी विदेश नीति का पुनः मूल्यांकन किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनके प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछना चाहते हैं कि इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार अपनी विदेश नीति का पुनः मूल्यांकन करने को तैयार है ।

श्री स्वर्ण सिंह : विदेश नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

डा० रानेन सेन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि एक विरोध पत्र भेजा गया है और उन्होंने यह सार्वजनिक वक्तव्य भी दिया है जिसमें भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखने सम्बन्धी अमरीकी सरकार के वक्तव्य का खंडन किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान को जहाजों में शस्त्रास्त्र भेजने के पश्चात्—जबकि वे भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रख रहे हैं और वे बंगला देश में बंगालियों का कत्ले आम करने में पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं—क्या भारत सरकार ने कोइ विरोध पत्र भेजा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले भी उत्तर दे दिया है। संभवतः माननीय सदस्य उस समय यहां नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर दिया जा चुका है।

डा० रानेन सेन : क्या पाकिस्तान को जहाजों में जो शस्त्रास्त्र भेजा गया था उस सम्बन्ध में विरोध पत्र दिया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हां।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा किये गये चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति

*764. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अस्पतालों में अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा कराने पर दिए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में लगे प्रतिबन्धों को सरकार ने कम कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और सरकारी कोष पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : जैसा कि केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 और उसके अधीन जारी किये गये आदेशों में दिया गया है केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के सदस्य उसी अनुपात में और उन्हीं शर्तों पर चिकित्सा परिचर्या और/अथवा उपचार जिसमें अस्पताल में कराया जाने वाला उपचार भी सम्मिलित है, कराने के हकदार हैं जिस अनुपात में तथा जिन शर्तों पर कर्मचारी स्वयं अपना इलाज आदि करवाता है। चूंकि केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 और आदेशों के अधीन चिकित्सा खर्चों को प्रतिपूर्ति कराने के मामले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य बराबर माने जाते हैं, इसलिये उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रतिबन्ध मे छूट देने तथा उसका सरकारी कोष पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० के० दास चौधरी : मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य समान हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में

'अस्पताल' शब्द की कोई विशिष्ट परिभाषा है अर्थात् क्या उनका इलाज भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अस्पतालों में होना चाहिए अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता न दिये गये गैर-सरकारी अस्पतालों में भी उनका इलाज हो सकता है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जहां अस्पताल उपलब्ध हैं, वे वहां इलाज कराने के हकदार हैं। यदि वहां अस्पताल नहीं है, तो वे वहां उपलब्ध किन्हीं अन्य केन्द्रों में जा सकते हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के आन्तरिक क्षेत्रों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जहां अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, अगर वे निजी डाक्टरों से इलाज कराते हैं, तो क्या चिकित्सा-व्यय की पूर्ति उन्हें की जायगी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे विचार में 1944 के नियमों और तत्पश्चात् उसमें हुए संशोधनों के अनुसार ऐसा किया जायगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : यह स्पष्ट नहीं है। मेरा निश्चित प्रश्न यह है कि जिन स्थानों में अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां अगर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है, तो क्या उनको चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जायगी, नियम चाहे कोई भी हो ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति की जायगी।

श्री ए० पी० शर्मा : इस पद्धति से कुल कितने व्यक्ति लाभ उठाते हैं और इस पर प्रति वर्ष कुल कितनी राशि व्यय की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के दायरे से बाहर है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मंत्री महोदय को पता है कि सरकार द्वारा धन की प्रतिपूर्ति करने की इस पद्धति का काफी दुरुपयोग किया गया है ?

श्री डी० पी० चट्टपोध्याय : सामान्य दुरुपयोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई विशिष्ट मामले हमारे जानकारी में लाये जायेंगे, तो हम उनकी जांच करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार ने दिल्ली की तरह की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना को अन्य नगरों मे भी चालू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ? इस सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था, जो विचाराधीन था।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस योजना को कुछ अन्य नगरों में चालू करने सम्बन्धी योजना पर विचार किया जा रहा है। परन्तु इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया गया है।

बिड़ला के कलकत्ता स्थित "इण्डस्ट्रीज़ हाउस" की सरकार द्वारा खरीद

*765. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के 10, कमाक स्ट्रीट में स्थित "इण्डस्ट्रीज़ हाउस" नामक **बिड़ला** बन्धुओं की 19 मंजिला इमारत की खरीद करने के लिए उनके मंत्रालय ने बिड़ला बन्धुओं के **साथ** किसी समझौते को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) उक्त इमारत को किस प्रयोजन के लिए खरीदा जा रहा है ;

(ग) उक्त "इण्डस्ट्रीज़ हाउस" का निर्माण कब हुआ था, उसके निर्माण पर कितनी लागत आई थी और उसका फर्श क्षेत्र कुल कितना है ; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा इस इमारत को कितनी कीमत पर खरीदा जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) निम्नलिखित कारणवश आरडेनैंस कारखानों के महानिदेशालय के मुख्य कार्यालय के आवास के लिए एक ही उपयुक्त भवन को लेने की सम्भावना विचाराधीन है :—

(1) 6, एसप्लेनेड ईस्ट, उन भवनों में से एक जहां कि कार्यालय का एक हिस्सा है, उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि के असंतोषजनक स्थिति ;

(2) एक से अधिक भवनों में मुख्य कार्यालय के होने की वजह से संचार साधनों की समस्याएं ;

(3) वर्तमान आवास के लिए अधिक दर पर किराये का दिया जाना ;

(4) अधिक जगह की आवश्यकता ;

"इन्डस्ट्रीज़ हाउस" के खरीदे जाने की शक्यता, कई विकल्पों में से एक है जो कि सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) यह मालूम नहीं है कि उक्त "इन्डस्ट्रीज़ हाउस" का निर्माण कब हुआ या उस पर कितनी लागत आई थी । इस भवन का कुल धरातल क्षेत्र लगभग 13,600 वर्ग फीट है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इससे पूर्व कि विभाग अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करें, क्या वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वे पूंजी-मूल्य से अधिक की अदायगी न करें, जो कि निगम के वार्षिक मूल्यांकन से बारह गुनी है ।

श्री जगजीवन राम : अगर यह अन्तिम रूप से निर्णय किया जाता है कि इस इमारत को खरीदा जायगा, तो स्वभावतः एक विशेषज्ञ समिति उक्त इमारत के मूल्य की जांच करेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय इस इमारत की खरीद को अन्तिम रूप देते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कलकत्ता के उस क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व की अपेक्षा सम्पत्ति की कीमत 50 प्रतिशत कम हो गई है ?

श्री जगजीवन राम : मेरे विचार में विशेषज्ञ समिति जो इस प्रश्न की जांच करेगी, इमारत की कीमत का निर्धारण करते समय सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार के लिये यह वांछनीय नहीं होगा कि सावधानी के एक पूर्वोपाय के रूप में विशेषज्ञ समिति के समक्ष भी सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर दे, क्योंकि इस मामले में सम्पत्ति की भावी खरीद एक ऐसे संगठन से सम्बन्धित है जो कि कुख्यात है ? यही कारण है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा सुझाये गये कतिपय पूर्वोपायों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह कुख्यात है अथवा विख्यात ?

अध्यक्ष महोदय : सम्पत्ति की कीमत कम करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं !

श्री जगजीवन राम : यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विशेषज्ञों की समिति जमीन के मूल्य की जांच करेगी और अगर उस आधार की इमारत का निर्माण करे, तो क्या लागत आयेगी और किस कीमत का प्रस्ताव किया जा सकता है । मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञ समिति किसी निर्णय पर आने से पूर्व सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करेगी ।

Shri B. P. Maurya : Mr. Speaker. There is a provision in the law of our country that whenever any and or building is required for public or Government use, it can be acquired and in acquisition Government can pay less than the market value. Whether the Government would make arrangements to acquire it ?

श्री जगजीवन राम : क्या यह कुछ कानूनी प्रश्न नहीं है ? जहां तक मुझे मालूम है, जब हम सम्पत्ति का अधिग्रहण करते हैं....

अध्यक्ष महोदय : यह तो सिर्फ सुझाव है ।

पाकिस्तान द्वारा बंगला देश के पश्चिमी सीमा क्षेत्र का नागरिकों से खाली कराया जाना

*769. **श्री निहार लास्कर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ लगने वाले बंगला देश के पश्चिमी सीमा क्षेत्र को वहां रहने वाली जनता से तत्काल खाली कराने के लिये आदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये लड़ाई सम्बन्धी तैयारी की चालें हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : सरकार ने इस आशय की सूचना देखी है। पूर्वी बंगाली शरणार्थियों में से जो कि भारत में अस्थायी रूप से शरण लिए हुए हैं, बहुत काफी लोग पूर्व बंगाल के सीमावर्ती जिलों के रहने वाले हैं। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान सरकार इन क्षेत्रों को निर्जन कराने के लिए एक निष्ठुर नीति पर चल रही है। इस नीति से हमारी सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर सरकार ने ध्यान दिया है।

श्री निहार लास्कर : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना हमारी पूर्वी सीमा तक बढ़ आई है? यदि हां, तो पाकिस्तानी सेना की आक्रामक गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिये हमारी सरकार क्या कर रही है?

श्री जगजीवन राम : पाकिस्तान सरकार की यह नीति रही है कि हमारी सीमा से जुड़े हुए सीमावर्ती क्षेत्र को व्यवहारिक रूप से हिन्दू एवं मुसलमान खाली कर दें। जैसा कि सदन को ज्ञात ही है, साठ लाख से अधिक लोग हमारे देश में आ गये हैं। अतः इस सोद्देश्य नीति से उस क्षेत्र को व्यवहारिक रूप में लोगों को निकाल कर खाली करा लिया गया है। हमने अपनी सीमा पर किसी भी आकस्मिक घटना मे सावधान रहने के लिए आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी प्रवन्ध कर दिये हैं।

श्री निहार लास्कर : पाकिस्तानी सेना हमारे देश की सीमा तक बढ़ आई है और वहां अपनी सीमा पर केवल सीमा सुरक्षा दल तैनात किया हुआ है। हाल में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या पाकिस्तानी आक्रमण, यदि हुआ तो, उसका प्रतिकार करने के लिए सीमा सुरक्षा दल को वहां लगाया जाना ही काफी है?

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न कई बार सदन में उठाया गया है और मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने के लिये सीमा सुरक्षा दल पर्याप्त रूप से मजबूत है।

Shri R. V. Bade : Mr. Speaker, Sir, Pakistan Government has withdrawn its civil population living in the border areas, but our civil population living on border is always attacked by Pakistan army. In view of this, is it not necessary for the Government either to withdraw civil population therefrom or supply them arms?

Shri Jagjiwan Ram : There is no proposal of withdrawing civil population, they will live on border areas and every possible security arrangements will be made for them.

श्री बी० के० दास चौधरी : श्रीमन् मंत्री महोदय के विवरण को ध्यान में रखते हुए कि अपनी जनता के लिए सभी प्रकार के सुरक्षा प्रबन्ध कर दिये गए हैं, मैं सरकार तथा मन्त्री महोदय का ध्यान उत्तरी बंगाल के कूच-बिहार और पश्चिमी दीनाजपुर की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार गोलाबारी की जा रही है और जिसके परिणाम स्वरूप सीमा पर रहने वाले लोग अपने घर-बार खाली करने को विवश हो गये हैं तथा लगभग 20,000 लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं?

श्री जगजीवन राम : श्रीमन् मैं कल रात ही कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों से लौट कर आया हूं तथा माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वह स्वयं जाकर वहां की स्थिति देखें यदि पाकिस्तानी सेना अपनी मूर्खता के कारण भारी मात्रा में गोलाबारूद व्यर्थ गंवा रही है, तो हम क्या करें।

भारतीय रियासतों के भूतपूर्व नरेशों को दिये गये राजनयिक पासपोर्ट

*770. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रियासतों के भूतपूर्व नरेशों को अभी तक राजनयिक पासपोर्ट मिले हुए हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन पासपोर्टों को वापस लेने तथा उनके स्थान पर सामान्य पासपोर्ट जारी करने का है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों को राजनयिक पासपोर्ट की सुविधा प्राप्त नहीं है । इनमें से कुछ को समय-समय पर नियमों के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तथा आमतौर पर गृह मन्त्रालय की सिफारिश पर राजनयिक पासपोर्ट दे दिए जाते हैं ।

(ख) सरकार प्रत्येक प्रार्थना की उसके गुणावगुणों के आधार पर जांच करती है और यह आवश्यक नहीं है कि इन मामलों में लिए गए व्यक्तिगत निर्णयों को संशोधित करके ऐसे पासपोर्टों को वापस ले लिया जाए।

Shvi Sat Pal Kapur : May I know whether Government has received any complaint regarding misuse of diplomatic passports ?

Shri Surendra Pal Singh : No such complaints have been received.

Shri Sat Pal Kapur : It is time and again reported in the newspapers that passports have been misused and smuggled goods have been brought through these passports granted to the rulers..

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : गत दो वर्षों में किन-किन नरेशों को ये राजनयिक पासपोर्ट दिये गये थे ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि राजनयिक पासपोर्ट अथवा किसी विशेषाधिकार. जो उन्हें दिया गया है, का लाभ उठाते हुए वे जो कुछ भी विदेशों से लाते हैं उसे सीमा शुल्क अधिकारी बिना खोले अथवा बिना छुए ही किसी प्रकार की रुकावट के बिना ले जाने की अनुमति दे देते हैं ? यदि यह सच है तो नरेशों को यहां पर विदेशों से चीजें लाकर उनकी तस्करी न करने देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : किसी को राजनयिक पासपोर्ट पर सीमा शुल्क आदि की छूट नहीं दी जाती है यद्यपि विदेशों में उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाता है । जब वे हमारे देश में वापस आते हैं तो उन पर स्थानीय कानून लागू होता है, जैसा अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : ऐसा कभी नहीं किया जाता है ।

भारत द्वारा आणविक हथियारों के विकास के बारे में श्री पीयरे एम० गैलोइस के विचार

+

*771. **महाराजा मार्तण्ड सिंह :**
डा० कर्णी सिंह

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेवानिवृत्ति फ्रांसीसी जनरल तथा आणविक हथियारों के विशेषज्ञ श्री पीयरे एम० गैलोइस द्वारा हाल में व्यक्त किये गये उन विचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अपने आणविक हथियारों का विकास करना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने श्री पीयरे एम० गैलोइस द्वारा व्यक्त विचारों से संबंधित समाचार पत्रों में छपी एक सूचना देखी है ।

(ख) सरकार की आणविक हथियारों के विकास के विषय में नीति 7 जून के अतारांकित प्रश्न संख्या 1417 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है ।

महाराजा मार्तण्ड सिंह : मैं रक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि आणविक हथियारों के क्षेत्र में चीन के तीव्र गति से विस्तार और प्रगति के सम्बन्ध में क्या श्री गैलोइस के प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया है ?

श्री जगजीवन राम : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं परन्तु, मेरा विचार है कि, परमाणु ऊर्जा आयोग इस प्रश्न की जांच करेगा ।

महाराजा मार्तण्ड सिंह : चीन की ओर से आणविक हथियारों की इस धमकी के प्रति संतुलन के लिये निश्चित रूप से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री जगजीवन राम : मेरी समझ में ऐसे प्रश्न का प्रश्न काल के दौरान पर्याप्त रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता है । इस मामले पर सभा में चर्चा की जा चुकी है और बजट पर चर्चा के दौरान इस पर चर्चा की जा सकती है । भारत सरकार की यह नीति स्पष्ट कर दी गई है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये अणुशक्ति का विकास करना हमारा उद्देश्य है ।

पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में तेल की खोज करने का कार्य इटली की फर्म को सौंपना

*772. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में कच्चे तेल की खोज हेतु कुएं खोदने का कार्य अभी हाल में इटली की एक फर्म को सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) हाल ही में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। 17-12-1962 को किये गये करार के अन्तर्गत बिहार तथा उत्तर प्रदेश में और 13-5-1963 को किये गये करार के अन्तर्गत पंजाब में बहुत गहरे कुएं खोदने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इटली की एक फर्म की सेवाएं ली थी इन करारों के अन्तर्गत बिहार तथा उत्तर प्रदेश में 19-10-1963 से 22-5-1965 की अवधि में और पंजाब में 17-10-1964 से 30-9-1966 की अवधि में व्यधन कार्य किया गया था।

(ख) आयोग के पास उस समय कुओं का यथा अपेक्षित लम्बी गहराइयों तक व्यधन करने वाली व्यधन रिगें नहीं थी और न ही आयोग के कर्मचारियों के पास इस प्रकार के गहरे व्यधन करने की जानकारी एवं अनुभव था।

श्री डी० के० पंडा : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अधिक शक्तियां लेने के लिये पहले कुछ सिफारिशें की थी ताकि वह कच्चे तेल की खुदाई के लिये तकनीकी जानकारी, वैज्ञानिक संवर्ग और खुदाई क्षमता प्राप्त कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने वर्ष 1962 से इस सुझाव को लागू किया है ? यदि नहीं, तो इतने अधिक विलम्ब तथा खुदाई के लिये विदेशी कम्पनियों पर निर्भर रहने का क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जहां तक तट पर खुदाई का प्रश्न है, सारा खुदाई का कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं कर रहा है। तट से दूर खुदाई के लिये अब भी विदेशों के साथ ठेके कर रहे हैं।

श्री डी० के० पंडा : क्या सरकार ने, कम से कम अब, इन राज्यों और समूचे भारत में कुओं की खुदाई के लिए खुदाई की मशीनें लाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री पी० सी० सेठी : इन क्षेत्रों में दो-तीन कुओं में काफी गहरी खुदाई करने की कोशिश की गई थी और 5,000 मीटर से अधिक खुदाई की गई परन्तु इन क्षेत्रों में तेल नहीं पाया गया। अतः यह कार्य छोड़ दिया गया।

श्री डी० के० पंडा : मेरा प्रश्न वह नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि खुदाई कार्यों के लिये 'रिग' लाने के लिये कोई योजना है अथवा इसके लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं। हम अभी विदेशी कम्पनियों पर निर्भर करते हैं.....

श्री पी० सी० सेठी : हम विदेशी कम्पनियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। वर्ष 1962-63 में यह ठेका दिया गया था। इसके पश्चात् कोई ठेका नहीं दिया गया है। जहां तक इस क्षेत्र में गहरी खुदाई का प्रश्न है, इसके लिये कोशिश की गई है और यह क्षेत्र सूखा पाया गया है।

श्री डी० एन० तिवारी : बिहार और उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष की खुदाई के पश्चात् वहां का क्या अनुभव रहा, क्या वहां थोड़ा तेल पाया गया अथवा इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था इसकी पुनः खुदाई करने की कोई संभावना है ?

श्री पी० सी० सेठी : पहले ठेके के अनुसार वर्ष 1963-64 में रक्सौल और मोहन्द में खुदाई की गई थी तथा दूसरे ठेके के अनुसार जेनुरी और बहल में खुदाई की गई थी । बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में इन खुदाई कार्यों को लाभप्रद सिद्ध न होने के कारण छोड़ना पड़ा ।

श्री डी० डी० देसाई : ऐसे प्रमाणित क्षेत्रों के लिए, जहां तेल का पता लग गया हो, आवंटित लिये गये धन की तुलना में समन्वेषी क्षेत्रों के लिये कितना धन आवंटित किया गया ?

श्री अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है । यह प्रश्न इस कार्य को इटली की फर्म को सौंपने के बारे में है ।

श्री डी० डी० देसाई : इटली की फर्म के लिए कितने धन का आवन्टन किया गया ।

श्री पी० सी० सेठी : यदि वह केवल इस ठेके के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बता सकता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले ठेके पर कुल मिला कर 24,90.053 डालर और 68 लाख रुपये लगे तथा पंजाब के लिये 25 लाख डालर और 66 लाख रुपये लगे ।

भंडार निदेशालय के रसद सैल को नई दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरित करना

*778. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय ने भंडार निदेशालय के रसद सैल को नई दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय एक स्वतंत्र विशेषज्ञ जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है ;

(ग) यदि यह रसद सैल बम्बई स्थानान्तरित किया गया तो इससे श्रेणी III तथा I के कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) यदि यह सैल स्थानान्तरित होता है तो क्या नौसेना मुख्यालय ने दिल्ली में कार्य कर रहे इसके कर्मचारियों को बम्बई स्थानन्तरित करने का निर्णय भी किया है ; और

(ङ) क्या नौसेना मुख्यालय ने स्थानान्तरण से संबंधित निर्णय के सभी पहलुओं के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय नौसेना सिविल कर्मचारी एसोसियेशन को भी विवास में लिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं जठता ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या इस 'सेल' के दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरण के लिए किसी विशेषज्ञ समिति ने प्रतिवेदन दिया है और यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समिति ने, विशेष कर इस तथ्य को ध्यान

में रखते हुये कि इसे हाल ही में बम्बई से दिल्ली स्थानान्तरित किया गया था, कोई विशेष और स्पष्ट सिफारिशें की हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न "जी नहीं" और "प्रश्न नहीं उठता" से बना रहे हैं ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या प्रस्ताव विचारधीन है और क्या उन्होंने इसे स्थानान्तरित न करने का निर्णय किया है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि उत्तर में कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजा कुलकर्णी : कब से ?

अध्यक्ष महोदय : जब से " जी नहीं " कहा गया है ।

Manufacturing of 73 m. m. anti-Tank Hand Grenades by Bi-Form Engineering Company Ballabhgarh

*779. **Shri Hukam Chand Kachwao :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are giving a contract to the Bi-form Engineering Company of Ballabhgarh worth about one crore and 38 lakhs of rupees for the manufacture of one lakh 73 m.m. antitank hand grenades ;

(b) whether Government have agreed to pay 50 percent of the said amount in advace to to the Company ;

(c) the capital amount of the said company and when this company was established ;

(d) the number of purchase orders placed by Government on this company so far and the number of proprietors and employees working there ;

(e) whether the Pearl Cycle Company which is involved in many cases filed by the Government against it has been merged in this campany; and

(f) if so, the number of cases filed against the Pearl Cycle Company ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) मैसर्स वाई-फार्म इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बल्लभगढ़ को 73 मिली मीटर टैंक मेदी राईफल ग्रेनेड के निर्माण के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया है । मेसर्स पर्ल साइकिल इन्डस्ट्रीज को आर्डर देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मेसर्स बाई-फार्म इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज की स्थापना मार्च 1970 में हुई थी । इस की अधिकृत पूँजी 25 लाख रुपये है एवं स्वीकृत पूंजी 200 रुपए है ।

(घ) इस कम्पनी को एक आर्डर दिया गया है । शेयरधारियों की संख्या 2 है । कर्मचारियों की संख्या शून्य है । तथापि यह कम्पनी मेसर्स पर्ल साइकिल इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों एवं उपकरणों का प्रयोग कर रही है । दोनों कम्पनियों के प्रबन्धक एक ही हैं ।

(ङ) मैसर्स पर्ल साइकिल इन्डस्ट्रीज का बिलय मैसर्स बाइ-फार्म इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज के साथ नहीं हुआ है । ये दोनों एक ही प्रबन्धकों के अन्तर्गत सहयोगी कम्पनियां हैं ।

(च) मैसर्स पर्लसाइकिल इन्डस्ट्रीज के विरुद्ध दो मामलों के दर्ज होने की सूचना है । ये मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : You have accepted the tender of Bi-form Company worth about one crore and 38 lakhs, whereas the company has done nothing concrete in the past and its subscribed Capital is only Rs. 200/-. What are the circumstances under which order has been placed with this Company ? There was another Company—named Pearl Cycle Company under the same management and you had placed orders with them despite the fact that several cases were pending against it. They have started this new company in the name of Bi-form Company.

Shri Jagjiwan Ram : It has manufactured certain items according to our specifications. No other Company in the country has manufactured these items. Tenders were submitted by two companies and this company was one of them. Goods according to our Specifications, were available only with this Company. But the matter is still under consideration.

Shri Hukam Chand Kachwai : The agents and certain other employees of the Company get their work done in collaboration with departmental officers and by greasing their hands, whereas the Company has no capacity to execute such a work. You have said that this Company has maunfactured certain items, whereas my contention remains that the said Company does not manufacture anything and it is a bogus one.

Mr. Speaker : It is not correct to pass such remarks against a firm instead of saying in an arbitrary manner. You should have asked this in a question form. The questioner should be very cautious about his questions and you should not speak of any firm without any basis.

Shri Hukam Chand Kachwai : They have got no bussiness. They have started another company simply to make frauds. I would like to know, whether Government is aware of the fact that the firm is illegal, it has no business to do but to supply items which are manufactured by other Companies ? Would the orders be placed in future having all these things in mind ?

Shri Jagjiwan Ram : I have already said that the items are according to our specifications. The question whether the order should be placed in this firm, is under consideration. The purchase order has not so far been given. All these things would be kept in mind. Wherever the order is placed so that public money might be safe. No advance would be given.

Shri Hukam Chand Kachwai : You have already paid 50 percent of the cost.

Shri Jagjiwan Ram : No amount has been paid.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

विश्व शांति सम्मेलन में भाग ले रहे विशिष्ट व्यक्तियों को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने का आमंत्रण

*755. **श्री इंद्रजीत गुप्त की ओर से सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मई से 16 मई तक बुडापेस्ट में विश्व शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 54 देशों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक अपील पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें पाकिस्तान के सैनिक शासन के अत्याचारों की निन्दा करते हुए बंगला देश की जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की मांग की गई थी ;

(ख) क्या अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में बड़ी संख्या में प्रमुख समाजसेवी, विशिष्ट वैज्ञानिक, संसद्विज्ञ, कलाकार आदि शामिल हैं ; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने स्वयं उनमें से कुछ को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने हेतु आमंत्रित करने के प्रश्न पर विचार किया है ताकि वे स्वयं के प्रति का जायजा ले सकें ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां । 13 मई से 16 मई 1971 तक बूडापेस्ट में आयोजित विश्व शाँति परिषद की सभा में 57 देशों के प्रतिनिधियों विभिन्न संगठनों तथा कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने ऐसी एक अपील पर हस्ताक्षर किए थे ।

(ग) यह विषय विचाराधीन है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे वक्तव्य पर 54 देशों के शिष्टमंडलों ने हस्ताक्षर किये थे, जिनमें बहुत से प्रमुख व्यक्ति भी थे, क्या उनमें से कुछ प्रतिनिधियों को भारत बुलाने के सम्बन्ध में कोई शीघ्र निश्चय किया जायगा ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है और जितना शीघ्र हो सकेगा निर्णय किया जायेगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस मामले में विलम्ब करने के क्या कारण है ? क्या सरकार ने विश्व शान्ति परिषद् से कहा है कि वे कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भारत के दौरे पर भेजें ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं बता चुका हूं कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है और जितना शीघ्र संभव हो सकेगा, निर्णय किया जायेगा ।

डा० महिपतराम मेहता : क्या हस्ताक्षरकर्त्ताओं में अरब देशों के प्रतिनिधि भी थे ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : बहुत से देशों के शिष्टमंडल थे। ये लगभग 70 या 80 होंगे। कुछ गैर-सरकारी शिष्टमंडल भी थे, वे सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे।

डा० रानेन सेन : इन प्रतिनिधियों में अरब देशों के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। यदि मंत्री महोदय हस्ताक्षरों को देखें तो पता चल सकता है। क्या सरकार उन प्रतिनिधियों से जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये थे, इस तात्पर्य से सम्पर्क स्थापित करेगी कि वे सीमावर्ती राज्यों का दौरा करें और अपनी आंखों से स्थिति देखें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक मुझे पता है, 3, 4 व्यक्ति सीरिया के थे जिन्होंने इस प्रलेख पर हस्ताक्षर किये। दूसरे भाग का उत्तर मैं दे चुका हूं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की एक एकीकृत तेल कम्पनी में परिवर्तित करना

*773. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा से कोई पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक ऐसी एकीकृत तेल कम्पनी में परिवर्तित कर दिया जाये जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उनके उत्पादन, शोधन तथा क्रय विक्रय का कार्य करे ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 में संशोधन करके ऐसे उपवन्ध, जिनके अन्तर्गत ये कृत्य हाथ में लिये जा सके, रखने और बाधाएं दूर करने का सरकार विचार कर रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) जी हां।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) भारत में तेल एवं गैस की खोज के लिए क्रियाविधियों के और विस्तार हेतु अधिक गुजांयस के संदर्भ में, यह विचार किया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पूर्ण रूप से इन क्रियाविधियों को कार्यान्वित करने वाली संस्था के रूप में रखा जाय तथा वह पेट्रोलियम उत्पादों के परिष्करण एवं विक्रय से सम्बन्धित पूर्णतया वाणिज्यिक प्रकार के कार्यों से मुक्त रहे। आयोग पर देश की हाइड्रोकार्बन की सम्भाव्यताओं के तथा शीघ्र अन्वेषण यथासमुपयोजन करने का एक

विशेष उत्तरदायित्व है। देश में अशोधित तेल की मांग की वृद्धि तथा आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भी यह उत्तरदायित्व और महत्वपूर्ण हो गया है। यह तथ्य कि आयोग अपनी अन्वेषण सम्बन्धी हानियों को कम एवं समाहृत करने के लिये परिष्करण तथा विक्रय जैसे वाणिज्यिक कार्य नहीं करता है, आयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं रख सकता क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 के अन्तर्गत, आयोग की क्रियाविधियों के लिए आवश्यक साधन जुटाना सरकार का उत्तरदायित्व है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि जो सुझाव पहले ही दिये जा चुके थे उन पर काफी लम्बी चर्चा हुई थी और सरकार के समक्ष विशेषज्ञों का परामर्श भी रखा गया था फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सरकार ने इस मामले पर कई बार विचार किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि देश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सर्वेक्षण तथा तेल का पता लगाने सम्बन्धी बहुत बड़ा दायित्व है। अतः इस पर आयल इन्डिया द्वारा किये जा रहे कार्य का बोझ नहीं थोपा जाना चाहिए। परन्तु जहां तक कर्मचारियों की मांग का सम्बन्ध है, उस पर सदैव ही विचार किया जाता है। यही कारण है कि चार वर्षों में उनकी अनुग्रह पूर्वक अदायगी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न के पहले भाग का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री पी० सी० सेठी : मैंने बताया है कि जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है, इसका प्रमुख दायित्व देश में हाइड्रोकार्बन क्षमताओं का पता लगाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुये अशोधित तेल को शुद्ध करने तथा उसकी बिक्री करने का कार्य भारतीय तेल निगम को देना होगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सर्वेक्षण, तेल का पता लगाने तथा खुदाई कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने विशेषज्ञों के परामर्श पर ध्यान नहीं दिया है ?

श्री पी० सी० सेठी : यह प्रशासन का मामला है। जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, हम उनकी मांगों पर विचार करते हैं। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन्डियन आयल के मजदूरों को 18 प्रतिशत बोनस दिया जाता है और तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग के मजदूरों को 10 प्रतिशत, इस मांग को उठाया।

श्री राजा कुलकर्णी : आसाम के निकट कार्य कर रहे आयल इन्डिया जैसे संगठन के लाभ की तुलना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कम लाभ को ध्यान में रखते हुये क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को क्षेत्रीय संगठनों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री पी० सी० सेठी : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नही है।

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई

*774. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने प्रतिशत नगरीय तथा ग्रामीण लोगों के लिए पीने के पानी की सप्लाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ था और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) भारत के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

(क) मौजूदा अनुदानों के अनुसार 1961 की जनगणना के आधार पर अभी लगभग 25 प्रतिशत शहरी लोग ऐसे हैं जिनके लिये नलों द्वारा पानी दिये जाने की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है ।

ग्रामों में अभावग्रस्त एवं दुर्गम क्षेत्रों में अभी लगभग 23 प्रतिशत लोगों को (1961 की जनगणनानुसार) पीने के साफ पानी की सुविधाओं को उपलब्ध करने की आवश्यकता है ।

(ख) गांधी शताब्दी वर्ष में देश में जलपूर्ति सुविधाओं में सुधार हुआ है । 1968-69 में शहरी जलपूर्ति और मल निष्कासन योजनाओं पर लगभग 14.75 करोड़ रुपये और ग्राम जल पूर्ति योजनाओं पर लगभग 5.80 करोड़ रुपये खर्च किये गये । 1969-70 में शहरी जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं पर किये गये खर्च 32 करोड़ रुपये बढ़ गया और ग्राम जलपूर्ति योजनाओं पर 19.12 करोड़ रुपये खर्च किये गये ।

(ग) मोटे तौर पर अनुमान यह है कि शहरी क्षेत्रों में जलपूर्ति एवं मल निष्कासन सुविधायें देने के लिये 1,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी तथा ग्राम के अभावग्रस्त एवं दुर्गम क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं, नलों द्वारा पानी पहुंचाने के लिये 730 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी । चौथी पंचवर्षीय आयोजन में राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 401.49 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें शहरी जलपूर्ति एवं मल निष्कासन और ग्राम जलपूर्ति योजनाएं सम्मिलित हैं । यद्यपि यह कार्यक्रम अब राज्य क्षेत्र में आता है, फिर भी केन्द्रीय सरकार इस समस्या को हल करने के लिये राज्यों की हर प्रकार से मदद कर रही है । सामान्यरूप से वित्तीय सहायता देने के अलावा, दुर्गम और अभावग्रस्त क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिये और इन क्षेत्रों के लिये समुचित योजनाएं तैयार करने के लिये एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना भी चलाई जा रही है । केन्द्रीय सरकार ने ग्राम जलपूर्ति योजनाओं को उच्च प्राथमिकता

देने की बात भी राज्य सरकारों के साथ उठायी है और ग्राम जलपूर्ति पर किये जाने वाले खर्च की राशियां भी निर्धारित की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सख्त चट्टानों पर तेजी से छेद करने वाले रिग भी मंगा रही है और सख्त चट्टानों/पथरीली भूमि वाले स्थानों की समस्या को हल करने के लिये उन्हें राज्यों को दे रही है। देश के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधाएं देने के लिये सभी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु यह लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा इसका निश्चित समय बतलाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह काम मुख्यतः साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशंसनीय सफलता के साथ गांधी शताब्दी मनाये जाने पर भी ग्रामों तथा शहरों की बहुत बड़ी जनता को पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि गांधी शताब्दी के वर्ष में भी इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं किये गये और हमें इस स्थिति में रहना पड़ रहा है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें इस समस्या के बारे में पता है। परन्तु अन्ततः यह संसाधन उपलब्धि का प्रश्न है जिससे हमारी सफलता सीमित हो गई है। हमें कुछ और अधिक कार्यवाही करनी होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परिवार नियोजन का नया "इन्ट्रा यूटिराइन" उपाय

*752. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :**
श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परिवार नियोजन के लिये लूप के स्थान पर "इन्ट्रा-यूटिराइन" गर्भ-निरोधक उपाय पर परीक्षण किया जा रहा है ;

(ख) क्या विदेशों में विकसित उक्त उपाय पर विस्तारपूर्वक परीक्षण किया जा चुका है ;

(ग) विदेशों तथा भारत में किये गये परीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) लूप की तुलना में यह किस प्रकार अधिक उपयोगी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) "कापर टी" नामक एक नये गर्भाशयी गर्भरोधक को देश में हाल ही में परखा जाने लगा है।

(ख) इस नए साधन को करीब एक वर्ष से अमरीका, चिल्ली और ईरान में परखा जा रहा है।

(ग) विदेशों में निकले प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर यह नया साधन सुरक्षित और अधिक ग्राह्य बताया गया है। भारत में इसकी परख अभी शुरू की गई है तथा परिणाम कुछ समय पश्चात प्राप्त होंगे।

(घ) विदेशों में किए गए परिक्षणों से इस साधन में निम्नलिखित खूबियां पाई गई हैं :—

(1) इस साधन से गर्भ-दर नगण्य होती है।

(2) यह नया साधन काफी समय तक उपयोग किया जाता है।

(3) इससे अवांछनीय तकलीफों और रक्तस्राव के मामले बहुत कम हुए बताए गए हैं।

A Part of Jammu and Kashmir Shown as Belonging to Pakistan in an Atlas of U.K.

*753. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a map appearing on page 132 of "The Teach Yourself Atlas of the World" published and printed by the English Universities Press Ltd., London, in which large chunks of Jammu and Kashmir have been shown within Pakistan ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) This publication had come to the notice of the Government in 1964. The maps on pages 132/133 show the whole of Jammu and Kashmir within the international boundaries of India. However, the areas under the illegal occupation of Pakistan have been shown in the same colour as that used for Pakistan.

(b) The publishers were asked to show the whole of Jammu and Kashmir in the same colour as the one used for India. The publishers agreed to give the matter careful consideration. However, in 1965 they informed us that they could not correct the Atlas in accordance with our views as it was financially impossible for them to do so. The matter was once again taken up with the publishers without any response from them. No further edition of the Atlas has come to the notice of the Government.

दिल्ली तथा मद्रास में विकलांग केन्द्रों के लिये अमरीका से वित्तीय सहायता

*754. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार दिल्ली मद्रास में विकलांग केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) उक्त सहायता का किन योजनाओं के लिये उपयोग किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) : अमरीकी सरकार ने विकलांग चिकित्सा केन्द्रों के लिये इस प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है, परन्तु इन दो शहरों की खास-खास परियोजनाओं के लिये कतिपय अनुसंधान अनुदान दिये हैं। अमेरिका की सरकार ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान को एक अनुसंधान योजना के लिये 10,06,322 रु० का पी० एल० 480 अनुदान तथा दूसरा पी० एल० 480 अनुदान 74,900 रु० का सफदरजंग अस्पताल को दिया है।

मद्रास में, मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास को अनुसन्धान एवं प्रदर्शन परियोजना के लिये 6,01,920 रु० का पी० एल० 480 अनुदान दिया गया है।

स्वेजनहर को पुनः खोलना

*760. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब स्वेज नहर को खोलने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तदनुसार, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में आयोजन कर लिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पिछले कुछ महीनों में स्वेज नहर को फिर से खोलने के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण बातचीत हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ, डा० जारिंग और अमरीका के विदेश सचिव, दोनों ने इस दिशा में प्रयत्न किये हैं। ऐसा समझा जाता है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने नहर खोलने की बात मान ली है बशर्ते कि इजराइल आंशिक रूप से नहर के पूर्वी किनारे से पीछे हट जाए और संयुक्त अरब गणराज्य की सेना को पूर्वी किनारे पर जाने दिया जाए। परन्तु इजराइल की सरकार ने कुछ और शर्तें लगा दी हैं जो संयुक्त अरब गणराज्य को मान्य नहीं हैं, जैसे युद्ध-विराम, जो समग्र समझौता न होने पर भी अनिश्चित काल तक चलेगा।

(ख) सरकार इससे संबद्ध घटनाओं को बड़े ध्यान से देख रही है, परन्तु ठोस अनुवर्ती कार्यवाही के कदम केवल तभी उठाये जा सकते हैं जबकि पता चल जाय कि क्या नहर खोल दी जायेगी और यदि हां तो कब।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा बंगला देश पर विपत्ति के बारे में प्रेस नोट जारी किया जाना

*761. **श्री विश्वनाथ झुनझुवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायोग यह प्रचार करने के लिये कि बंगला देश में विपत्ति भारत ने पैदा की है समाचार पत्रों को प्रेस नोट जारी करता रहा है ?

(ख) क्या उर्दू की कुछ पत्रिकाओं ने इन प्रेस नोटों का बहुत अधिक प्रचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा इस समय जारी किये जा रहे प्रचार साहित्य पर सरकार ने कोई सेंसर लगा रखा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) : इस प्रकार की कोई प्रेस नोट सरकार के नोटिस में नहीं आया है । और जांच पड़ताल की जा रही है । इस संदर्भ में जब भी कोई नया तथ्य मालूम होगा, उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

प्राकृतिक गैस को तरल पैट्रोलियम गैस में बदलने के लिए एक संयंत्र की स्थापना

*763. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड के अपने प्राकृतिक गैस के भंडार को घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होने वाली तरल पेट्रोलियम गैस में बदलने के लिए एक संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं । आयल इंडिया लिमिटेड ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

औषध के उत्पादन में विदेशी फर्मों तथा सरकारी क्षेत्र के कारखानो का हिस्सा

*766. **श्री नुग्धल्ली शिवप्पा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में उत्पादित औषधों के कुल मूल्य में विदेशी कम्पनियों तथा सरकारी क्षेत्र के कारखानों का हिस्सा कितना-कितना था ; और

(ख) क्या इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी अधिपत्य को कम करने के लिए सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकारी क्षेत्रीय कारखानों तथा विदेशी फर्मों (अर्थात वे फर्में जिन में विदेशी साम्य पूंजी 50% से अधिक है।) का 1969-70 के औषधियों के कुल उत्पादन में क्रमशः लगभग 6% तथा 45% का हिस्सा था।

(ख) जी हां। अपनाये गये प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) विदेशी साम्य हिस्सेदारी में उत्तरोत्तर कमी करना और संबंधित फर्मों में भारतीय हिस्सेदारी में उतनी ही वृद्धि करना ;

(ii) जटिल प्रकार के सूत्रयोगों अथवा सूत्रयोग क्षमता प्रपुंज औषधियों के उत्पादन से सम्बद्ध है, के सिवाये, सूत्रयोगों के लिए लाइसेंसों का सामान्य रूप से जारी न किया जाना ; और

(iii) क्षमता में विस्तार करने के लिए उपयुक्त निर्यात दायित्व उदाहरण-स्वरूप मानकर शर्त के रूप में लगाया जाना।

आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एन० सी० सी० में कमीशन और प्रादेशिक सेना में कमीशन

*767. **श्री पी० के० देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एन० सी० सी० में और प्रादेशिक सेना में दिये गये कमीशन पूर्णतः अस्थायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन, 494 आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एन० सी० सी० में कमीशन दिये गये हैं वे फिर से बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : सामान्यतः तीनों सेनाओं के नियमित अफसर राष्ट्रीय कैडेट कोर के पदों को सम्हालते हैं। नियमित अफसरों की भारी कमी के कारण अनेक भूतपूर्व आपात कमीशन अफसरों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अस्थायी आधार पर कमीशन प्रदान किए गए हैं। उनका कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है, जो कि सेवाओं की आवश्यकता होने पर एक बार में एक ही वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। इस समय 596 ऐसे भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसर हैं जिनको राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन दिया गया है। तीनों सेवाओं में नियमित अफसरों की वर्तमान कमी कुछ और वर्षों तक रहने की संभावना है अतः राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन प्राप्त इन भूतपूर्व आपात कमीशन अफसरों को निकट भविष्य में हटाये जाने की कोई आशंका नहीं है।

जहां तक प्रादेशिक सेना का संबंध है, 82 भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसरों को प्रादेशिक सेना में कमीशन प्रदान किया गया है। प्रादेशिक सेना में ऐसे व्यक्तियों को जिनको पहले से

ही असैनिक रोजगार प्राप्त हैं, वर्ष में केवल 2 माह के लिए अंशकालिक आधार पर रोजगार मिल जाता है। प्रादेशिक सेना में कमीशन प्रदान किए गए ऐसे भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसरों को जो नियमित सिविल रोजगार में नहीं हैं पुनर्व्यवस्थापन संगठन द्वारा सिविल नौकरियां दिलाने में सहायता दी जाती रहेंगी।

ब्रिटेन में प्रवेश पाने की अनुमति की प्रतीक्षा करने वाले भारत में रह रहे एशिया मूलक पूर्व अफ्रीकी

*768. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय 2000 से अधिक एशिया मूलक पूर्व अफ्रीकी हैं जिनमें अधिकांश छात्र हैं जो कि ब्रिटेन में प्रवेश पाने हेतु वहां की सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनमें से कुछ तो तीन वर्ष से अधिक समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्रिटिश सरकार का क्या रवैया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : कीनिया के भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारियों को छोड़कर जिनके मामले में मार्च 1968 में भारत में प्रवेश करने के लिए बीजा प्रणाली लागू की गई थी सामान्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्रमंडल राष्ट्रिकों के लिए भारत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की कार्यविधियां सुलभ हैं। चूंकि स्वतन्त्र रूप से प्रवेश करने की कार्यविधियों के अन्तर्गत कुछ लोग आ गए होंगे, अतः ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने हमेशा यू० के० सरकार को यह समझाने का प्रयास किया है कि पूर्वी अफ्रीका के एशियाई ब्रिटिश पासपोर्टधारियों के लिए वे ही उत्तरदायी हैं और उन्हें ब्रिटेन में बिना शर्त प्रवेश करने दिया जाए।

हाल में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की है कि उन्होंने पूर्वी अफ्रीकी ब्रिटिश एशियाई लोगों के ब्रिटेन में प्रवेश करने के कोटा वर्ष में दुगुना अर्थात 1500 से 3000 कर दिया है और साथ ही जून से दिसम्बर 1971 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 1500 वाउचर हैं।

भारत सरकार ने उन लोगों की विशेष कठिनाई का मामला यू० के० सरकार के साथ भी उठाया है जो भारत में अध्ययन के लिए आए हैं लेकिन ऐसा करना उनके लिए कठिन हो रहा है क्योंकि अब वे अपने मां बाप से मिलने के अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए 16 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं जिन्होंने पूर्वी अफ्रीका से यू० के० प्रव्रजन किया है। यू० के० सरकार ने बतलाया है कि वे ऐसे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

तीर्थयात्रियों को लाहौर स्थित डेरा साहिब जाने की अनुमति देने से इन्कार

*775. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने सिख तीर्थयात्रियों को लाहौर स्थित पवित्र स्थान डेरा साहिब जाने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए गिरिनगर, कोचीन में आवास योजनाएं

*776. **श्री व्यालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रस्तावित आवास योजना हेतु गिरिनगर, कोचीन में 20 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से उत्साह की कमी के कारण बाद में केरल सरकार ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के क्या कारण थे ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) सरकार के पास कोचीन में अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल वास के लिए कोई योजना नहीं है और केरल सरकार से ऐसी कोई पेशकश केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुई थी । तथापि, यह मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सेवा कल्याण बोर्ड, कोचीन ने राज्य सरकार से सीधा सम्पर्क स्थापित किया था, और उन्हें यह सूचित किया गया था कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोचीन में अपेक्षित किसी भी भूमि के अर्जन में केन्द्रीय सरकार की सहायता करेगी ।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

एन्नोर, तमिलनाडु में मैरिन डीजल इंजन के कारखाने की स्थापना

*777. **श्री भुवाराहन :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्नोर, तमिलनाडु में जापानी सहयोग से मैरिन डीजल इंजन के कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) क्या उसके लिये स्थल भी चुन लिया गया था तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : 1962 में एन्नोर, तामिलनाडु में एक मैरिन डीजल इन्जिन कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव था और इस उद्देश्य से एक स्थान का चुनाव किया गया गया था। विदेशी सहयोग, एक पश्चिम जर्मनी की फर्म से था न कि जापानी फर्म से सहयोग लेने का विचार था। पश्चिम जर्मनी की मैसर्स एम० ए० एन० से लाइसेन्स के अन्तर्गत मैरिन डीजल इंजन के निर्माण के हेतु तकनीकी सहयोग का समझौता अक्तूबर, 1962 में किया गया।

2. मूल प्रस्ताव के अनुसार इस संयंत्र को मैरिन डीजल इंजन के लिए एक पूर्ण रूप से सम्पन्न निर्माण करने वाली एकक के रूप में होना था। लेकिन बाद में यह आवश्यक समझा गया कि इसके कार्य-क्षेत्र एवं विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखते हुए इसकी आर्थिक क्षमता का भी पुन-निरीक्षण किया जाए। मिट्टी की परीक्षा के उपरान्त एन्नोर में चुने गये स्थान की उपयुक्तता पर शंकाऐं उत्पन्न हुई। अतैव यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के कार्य-क्षेत्र एवं संभव श्रेष्ट स्थान का पुनर्निरीक्षण किया जाए। सरकार के निमंत्रण पर, मैसर्स एम० ए० एन०, जिनके सहयोग से इस परियोजना की स्थापना हो रही थी, वे इन्जीनियरों के एक दल, जून-अगस्त, 1965 में, स्थान एवं प्रारम्भिक निर्माण योजना पर सलाह देने के लिए, भारत आए। विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, संचार के साधन, मजदूरों की उपलब्धता, पूंजीनिवेश, कारखाने की कीमत इत्यादि एवं भिन्न-भिन्न जगहों का तुलनात्मक अध्ययन पर विचार करने के बाद रांची को उन्होंने पहली अधिमान्यता देने की सिफारिश को तदनुसार कारखाने को रांची में स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस निर्णय पर सबसे अधिक प्रभाव मैरिन डीजल इंजन प्लाट के बहुत करीब हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का होना था, यह कारपोरेशन ही इसके लिए उपकरण का मुख्य पूर्तिकर्ता है।

(ग) रांची स्थित संयंत्र के कारखाने का भवन निर्माण पूरा हो गया है। जर्मनी से पश्चिम जर्मनी साख व्यवस्था के अन्तर्गत आर्डर किए गए कल पुर्जे एवं उपस्करों को जहाजों द्वारा भेजा जा चुका है तथा उन्हें उत्तरोत्तर रूप में प्राप्त किया जा रहा है, और स्वदेश के कलपुर्जों के साथ उन्हें लगाया जा रहा है। इसी बीच मध्यम शक्ति के इंजिनों को जोड़ने का कार्य आरम्भ हो चुका है और ऐसे दो इंजनों के पहले खेप का जुलाई 1971 तक तैयार हो जाने की आशा है।

चीन द्वारा हिन्द महासागर में अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण

*780. **प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 1971 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की पुष्टि करने के लिये सरकार के पास कोई जानकारी है कि निकट भविष्य में चीन हिन्द महासागर में अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों को परीक्षणार्थ छोड़ेगा ;

(ख) क्या सरकार ने चीन की परमाणु शक्ति का और इससे भारत की सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरे का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : समाचार पत्रों में छपी खबर की अभिपुष्टि के लिए सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है। तद्यपि सरकार पूरी तरह से अवगत है कि चीन में परमाणु क्षेत्र में हाल में हुए विकास का हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। इनका ध्यान हमारी सुरक्षा नीतियों एवं योजनाओं में रखा जाता है।

मध्यम आय वर्ग के लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का आवंटन

3214. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री मध्य आय समूह के लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में 31 मई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व सैनिकों ने दिसम्बर, 1969 में मकानों के नियतन हेतु आवेदन-पत्र दिये थे ; और

(ख) नई दिल्ली में सफदरजंग तथा ईस्ट कैलाश कालोनियों के प्लाटों के आवंटन हेतु अगली लाटरी कब निकाली जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) पंजीकरण वर्गवार नहीं किया गया था। अतएव यह बताना संभव नहीं है कि कितने भूतपूर्व सैनिकों ने 'अग्रिम रजिस्ट्रेशन योजना' के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करवाया।

(ख) सफ़दरजंग और ईस्ट आफ कैलाश रिहायशी योजनाओं में निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत लाटरी द्वारा प्लाटों के आवंटन का कोई कार्यक्रम नहीं है।

ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में सेवा सुविधाओं की व्यवस्था

3215. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में सेवा सुविधाओं के सम्बन्ध में 31 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालोनाइजर के साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा स्वीकृत नक्शे/सेवा नक्शों के अनुरूप सेवा व्यवस्थाओं का प्रबन्ध न करने के कारण सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है ; और

(ख) कार्य के कब तक प्रारम्भ किये जाने और पूरा किये जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) : अपेक्षित स्तर की सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए, नगर निगम द्वारा कालोनाइजर के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है। अतएव, उसके विरुद्ध फिलहाल कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आशा है कि वह बढ़ाई गई अवधि में अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कर देगा।

दिल्ली में रिहायशी प्लाटों का जमीन भाड़ा कम करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार समिति का प्रस्ताव

3216. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिहायशी प्लाटों का जमीन भाड़ा कम करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत तथा श्रीलंका के मध्य गुप्त प्रतिरक्षा संधि

3217. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री डडले सेनानायक ने भारत तथा श्रीलंका के मध्य एक गुप्त सन्धि होने का आरोप *लगाया* है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) श्रीलंका के समाचार पत्र का जो मूलपाठ छपा है, उसमें इस प्रकार के कोई आरोप नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के काश्मीर पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में मुस्लिम लीग द्वारा पारित संकल्प

3218. **श्री एव० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान ग्वालियर में 30 मई, 1971 को मुस्लिम लीग द्वारा पारित इस संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें भारत सरकार से आजाद काश्मीर को पाकिस्तानियों के अनधिकृत अधिकार से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या उनकी यह मांग काश्मीर के लोगों पर पाकिस्तानी अधिकारियों के बढ़ते हुए अत्याचार के आधार पर की गई है ; और

(ग) यदि हां, इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने इस मामले से संबद्ध प्रेस रिपोर्ट देखी है। 31 मई 1971 के स्टेट्समेन के अनुसार, 29 मई 1971 को ग्वालियर में हुई मुसलमानों की एक बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वह काश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे से उसे मुक्त कराएं। तथाकथित "आजाद काश्मीर" के लोगों पर पाकिस्तानी शासकों द्वारा असीम अत्याचार किए जा रहे हैं और वे गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा करने में भारत सरकार और भारत की जनता, विशेषकर भारतीय मुसलमानों द्वारा उनकी मदद की जानी चाहिए।

(ग) जम्मू और काश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान ने अभी भी अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में असंतोष के बारे में सरकार को समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रहती हैं। किन्तु सरकार की यह नीति है कि काश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे से उत्पन्न मसले को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शान्तिपूर्वक निपटाया जाए।

सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली में प्लाटों की लागत

3219. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सफदरजंग विकास क्षेत्र के ब्लाक ए० तथा बी०, नई दिल्ली में भूमि के अधिग्रहण के लिये मूलतः कितनी अदायगी की गई है तथा इस भूमि के विकास पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) मूल भू-स्वामियों द्वारा उच्चतर सक्षम प्राधिकारी को अपील किये जाने पर उन्हें कितना अतिरिक्त मुआवजा अदा किया गया ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में जनता को बेचे गये प्लाटों में कुल कितनी राशि प्राप्त की गई ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : विभिन्न रिहायशी योजनाओं में, भूमि अवार्ड द्वारा अर्जित की जाती है। ये अवार्ड, भूमि अर्जन समाहर्ताओं द्वारा, समय-समय पर दिये जाते हैं। अवार्ड में विभिन्न खसरे होते हैं। इस प्रकार एक योजना में कई सौ खसरे हैं। पंचाट में दी गई राशि पर अपील भी की जा सकती है। ऐसी अपीलों के निर्णय कई वर्षों में होते हैं। इसलिए भूमि के अर्जन में की गई सभी मूल अदायगियों का पता लगाना कठिन है। अक्तूबर, 1970 तक, ब्लाक ए०, बी० तथा सी० के बारे में किए गए विकास पर 92.32 लाख रुपये की लागत आई। ब्लाक ए० तथा बी० के लिये विकास लागत पृथक करना संभव नहीं है क्योंकि यह एक एकीकृत योजना है जिसमें ए०, बी० तथा सी० ब्लाक शामिल हैं।

(ग) सफदरजंग विकास रिहायशी योजना के ब्लाक ए० तथा बी० में प्लाटों की बिक्री द्वारा प्राप्त हुई बिक्री की कुल राशि 118.42 लाख रुपये है।

भारत और पाकिस्तान के राजस्व अधिकारियों की बैठक

3220. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा खम्भे लगाने के बारे में संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के राजस्व अधिकारियों के बीच त्रैमासिक बैठक अभी तक नहीं हुई है ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में विलम्ब करने का दावपेच अपनाया हुआ है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो पाकिस्तान का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण रहा है और यदि नहीं है तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) : भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा स्तम्भों का संयुक्त निरीक्षण करने के बारे में कुछ क्षेत्रों में बैठकें अर्धवार्षिक और कुछ में द्विवार्षिक होनी चाहिए। इस प्रकार की बैठकें सदा ही निश्चित अवधि पर नहीं हुई। पूर्वी बंगाल की हाल की घटनाओं को देखते हुए भारत पूर्वी बंगाल की सीमाओं पर इस प्रकार की बैठकों की सम्भावना नहीं रही है।

अमरीका में भारतीय इंजीनियर

3221. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका में भारतीय इंजीनियरों की इस समय क्या संख्या है ; और

(ख) उनमें से कितने रोजगार में हैं और पिछले छह महीनों में कितने इंजीनियरों को नौकरी से निकाल दिया गया ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमरीका के महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 5,532 है। संयुक्त राज्य अमरीका में नियोजित भारतीय इंजीनियरों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

इंडियन आयल कारपोरेशन पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

3222. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन आयल कारपोरेशन" मिट्टी के तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है ;

(ख) क्या 1968 में पूर्वी क्षेत्र को, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ा था ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 12 जून, 1968 को इंडियन आयल कारपोरेशन के विपणन प्रभाग (मिट्टी का तेल विभाग) के विधि मैनेजर को भारतीय दंड संहिता के आर 161 के अधीन गिरफ्तार किया था ;

(घ) क्या मिट्टी के तेल को काला बाजार में बेचने में इंडियन आयल कारपोरेशन के कुछ एजेन्टों के विरुद्ध कुछ मामले दायर किये गये थे ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से भाग (घ) तक के उत्तर सकारात्मक हों तो इंडियन आयल कारपोरेशन, कलकत्ता के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये प्रत्येक आरोप का ब्यौरा क्या है ; और

(च) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध मामले इस समय किस अवस्था में हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) 1968 में पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मिट्टी के तेल की अस्थाई कमी की सूचना मिली थी क्योंकि विदेशी तेल कम्पनियों, विशेष रूप से एस्सो ने पूर्वी बाजार में अपना कार्य बन्द कर दिया । भारतीय तेल निगम ने सप्लाई में वृद्धि करने एवं अन्तराल को पूर्ण करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की ।

(ग) भारतीय तेल निगम के अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 12 जून, 1968 को घेरा डाला था तथा भारतीय तेल निगम, कलकत्ता के एक विक्रय अधिकारी (विक्रय प्रबन्धक नहीं) को घूस खोरी के अपराध के कारण हिरासत में ले लिया ।

(घ) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एजेन्टों के विरुद्ध समय-समय पर कई मामले पाये गये थे । जब कभी भारतीय निगम को ऐसे मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, तभी सम्बद्ध व्यापारियों की सप्लाई स्थगित कर दी गई ।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सम्बद्ध विक्रय अधिकारी के विरुद्ध, 2 जून, 1969 को एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था । उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 की धारा 5 (2) 5 (1) (डी) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के साथ पढ़ी गई भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 120-बी के अन्तर्गत अपराध के लिए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 (2)/5(1) (डी), 161 आई० पी० सी० तथा 164 आई० पी० सी० के अन्तर्गत स्थाई अपराध के लिए दोषी ठहराया गया ।

(च) इस मामले पर मुकदमा चल रहा है ।

Meeting of Assam Mizo Hills District Council Delegation with Prime Minister

3223. **Shri Narendra Singh Bist :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a delegation of the Assam Mizo Hills District Council had called on the Prime Minister ;

(b) if so, whether this delegation held discussions with her or with other Central leaders to persuade them to initiate talks with the underground leaders in order to solve the problem of Nagaland ; and

(c) if so, the outcome of their talks ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) A delegation on behalf of the Mizo Hills District Council met the Prime Minister on the 27th May, 1971.

(b) No, Sir. Nagaland did not figure in the discussions.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये बोर्ड

3224. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का एक बोर्ड गठित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड के सदस्यों के नामों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में रहने वाले लोगों का जनमत जानने हेतु सरकार इस प्रस्ताव को परिचालित करेगी ;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में जिन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाना है उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) : से (ङ) : केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों तथा दिल्ली के संघ क्षेत्र के प्रतिनिधियों का एक सांविधिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-आयोजना बोर्ड स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। बोर्ड एक एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजना का विकास सुनिश्चित करेगा और योजना की कुछ प्रमुख परियोजनाओं में पूंजी लगायेगा। योजना के वास्तविक कार्यान्वयन का उत्तर-दायित्व सम्बंधित राज्य सरकारों का होगा ।

इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि क्या प्रस्ताव को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जायगा। प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने, उस पर निर्णय लेने और उसे कार्यान्वित करने में लगने वाले समय का, इस अवस्था में निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

श्रमजीवी वर्ग का आहार सर्वेक्षण

3225. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा किये गये उन आहार सर्वेक्षणों की ओर दिलाया गया है जिनमें श्रमजीवी वर्ग के भोजन में कैलोरी के अपर्याप्त होने की बात कही गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान ने 1957-58 में औद्योगिक कामगारों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किये थे। परिवार के आकार और आहारों के पौष्टिक मूल्यों के मध्य क्या सम्बन्ध है इसका पता लगाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस पर मालूम हुआ कि जिन परिवारों के तीन से कम बच्चे हैं उनके आहारों में उन परिवारों की अपेक्षा जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं कैलोरी और प्रौटीन तत्व की मात्रा अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखने में आया कि तीन से अधिक बच्चों वाले परिवारों के आहारों में कैलोरीज की कमी थी।

(ग) एकत्रित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1962 में "कामगारों के परिवारों की पौष्टिक आवश्यकताओं" के सम्बन्ध में एक उप-समिति नियुक्त की। इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस उप-समिति ने 1965 में अपनी रिपोर्ट दी। समिति की सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए इस रिपोर्ट को विभिन्न राज्य सरकारों और औद्योगिक ऐजेन्सियों को भेज दिया गया था। ये सिफारिशें थीः—

कामगार	2,816	कैलोरीज
पत्नी	2,150	कैलोरीज
बच्चे		
(i)	0.5 वर्ष तक का आयुवर्ग	1,230 कैलोरीज
(ii)	6.14 वर्ष तक का आयुवर्ग	2,010 कलोरीज

Construction Work of Inter-State Bus Terminus, Kashmeri Gate, Delhi

3226. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the construction work of the Inter-State Bus Terminus, Kashmeri Gate, Delhi has been left unfinished by the contractor and the Delhi Development Authority has been put to heavy losses as a result thereof ;

(b) the amount of money for which the contract was given for the construction work and the reasons for which the work has been left unfinished ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government for the completion of the unfinished work ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. At this stage, it is not possible to determine the extent of loss, if any.

(b) The contract was for Rs. 94,70;527.00. The contract has been rescinded as the work was not progressing satisfactorily and the contractor was not willing to work according to the conditions specified in the tender. The contractor had put in certain claims which could not be accepted.

(c) Action is being taken by the Delhi Development Authority to invite tenders for the completion of the unfinished work.

देश के विभिन्न नगरों और हवाई अड्डों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3227. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न नगरों और हवाई अड्डो पर अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने क्वार्टर बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नगरों और हवाई अड्डों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर हैं और प्रत्येक नगर और हवाई अड्डे पर प्रत्येक श्रेणी के कितने क्वार्टर हैं ;

(ग) क्या इन सभी नगरों और हवाई अड्डों के क्वार्टर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित एवं कार्य-प्रभावित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन नगरों और हवाई अड्डों पर ऐसे क्वार्टर हैं जो नियमित कर्मचारियों के लिए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Shortage of Drinking Water in Bihar

3228. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of drinking water throughout Bihar State including Patna town ;

(b) if so, whether the State Government has forwarded any memorandum to the Central Government in this regard :

(c) if so, the particulars thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Work and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) The State Government have reported that there is acute shortage of drinking water in parts of the State where water table has receded on account of insufficient rainfall during the last few years and in chronic scarcity areas. In Patna City also a few mohallas suffer from water scarcity.

(b) The State Government of Bihar made a request to the Central Government in April, 1971 for financial assistance for relief measures which include a provision of Rs. 406 lakhs for drinking water supply schemes in famine and drought affected areas of the State.

(c) The details of the proposal are given in the enclosed statement.

(d) A central team visited the State to make on the spot assessment and recommended a loan assistance of Rs. 1 crore for tackling the water supply problems. The Central Government have accepted this recommendation and the State Government is being informed.

Statement

	Name of the Scheme		**Estimated cost**
1.	Surface wells	2650 Nos.	
2.	1½ "dia. hand tube-wells	13035 Nos.	Rs. 2,2,750,500/-
3.	Rock-drilled tube-wells	575 Nos.	
4.	Specific schemes for drinking water supply for bigger villages	58 Nos.	Rs. 1,52,50,900/-
5.	Structural modification of tube-wells	600 Nos.	Rs. 1,20,000/-
6.	Deepening of existing wells	500 Nos.	Rs. 7,50,000/-
7.	Mechanical equipments		Rs. 17,75,000/-
			Rs. 4,06,46,400/-

बृहद ग्रामीण आवास योजना

3229. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मकान बनाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि बड़े पैमाने पर आवास निर्माण को रोजगार की योजनाओं में सम्बद्ध किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रामीण आवास योजनाएं खर्च की दृष्टि से न केवल अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहेंगी बल्कि उससे मुद्रा स्फीति भी बढ़ेगी ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य क्या निदेश दिये गये हैं ; और

(ङ) उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ङ) : फिलहाल सरकार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल उपलब्ध करने के लिए, राज्य सरकारों की सहायता के लिए, एक कार्यक्रम बना रही है। कार्यक्रम का ब्यौरा विचाराधीन है।

Indian Experts Settled Abroad

3230. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of doctors, engineers and experts who have settled in foreign countries after migrating from India and have adopted citizenship of those countries during the last three years ; and

(b) their number, category-wise and country-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as it becomes available.

भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में पाकिस्तान के वाशिंगटन स्थित राजदूत का वक्तव्य

3231. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के वाशिंगटन राजदूत के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता, परन्तु उन्होंने

यह भी कहा कि उस स्थिति में पूर्वी बंगाल के संकट के युक्तिसंगत हल को ढूंढने के प्रयासों में भी जटिलताएं उत्पन्न होंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के विचार से अच्छा तो यह होता कि पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि ने जो कुछ कहा था उस पर वह अमल करती । दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि हमारी सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना की भड़काने वाली गतिविधियों से पता चलता है ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के भारत आगमन के संबंध में विदेश मंत्री का विश्व की राजधानियों का दौरा

3232. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व शक्तियों को भारत में शरणार्थियों के आगमन तथा पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगालियों के नरसंहार के परिव्ययों से अवगत कराने हेतु उन्होंने विश्व की राजधानियों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, किन-किन देशों का दौरा किया गया ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां, विदेश मंत्री जी ने कुछ देशों को बंगला देश के हालात से अवगत कराने के लिए उनका दौरा किया था ।

(ख) सोवियत सामाजवादी गणतंत्रसंघ, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाईटेड किंगडम तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ।

चण्डीगढ़ में प्लाटों का आवंटन

3233. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री सलाहकार समिति की छठी बैठक में चंडीगढ़ के मुख्यायुक्त ने यह कहा था कि प्रशासन का विचार निम्नलिखित अनुपात में रिहायशी प्लाटों का आवंटन करने का है ;

(एक) वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 प्रतिशत (दो) अन्य श्रेणियों के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत और (तीन) गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 15 प्रतिशत

और इसके अतिरिक्त उन्होंने धोबी, नाई, मोची, आदि के लिए सस्ते मकानों की व्यवस्था किये जाने का आश्वासन दिया था ; और

(ख) क्या सरकार ने इसके अनुसार कोई कार्यवाहीं की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) चण्डीगढ़ में सैक्टर 37 के लिए कम्पोजिट स्कीम पर, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऊपर भाग (क) में उल्लिखित प्रस्ताव हैं, चण्डीगढ़ प्रशासन के परामर्श से विचार किया गया है । मामले पर अन्तिम निर्णय उस प्रशासन को शीघ्र ही सूचित किये जाने की आशा है ।

मद्रास नगर का विकास

3234. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली के अनुरूप मद्रास महानगर के विकास के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार ने मद्रास महानगर के विकास के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, परन्तु तामिलनाडु सरकार ने, एक मद्रास महानगर योजना, 1971-1991 प्रकाशित की है ।

(ग) तामिलनाडु सरकार द्वारा, योजना को 1971 से 1991 की अवधि के दौरान, चरणों में कार्यान्वित किया जाना है ।

(घ) 1971-1991 के दौरान, योजना में सिफारिश की गई प्रमुख नगर-विकास योजनाओं के कार्यान्वित के लिये, प्लान में लगभग 938 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है ।

कृत्रिम रेशों के लिए लाइसेंस

3235. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम रेशों का लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है और इनका उत्पादन क्या है ;

(ख) 1970-71 में कितने नये लाइसेंस जारी किये गये, उनकी क्षमता क्या है, कम्पनियों के नाम क्या हैं और एकक कहां स्थित है ; और

(ग) विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नप्रकार है :—

क्रम संख्या	मद	लाइसेंस प्राप्त 1970 में उत्पादन क्षमता (मीटरी टनों में)	(मीटरी टनों में)
1.	विस्फोट स्टेपल फाइबर	26,000	63,342
2.	विस्फोट फिलामैन्ट यार्न	40,500	36,076
3.	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर	24,400	5,332
4.	नायलोन टैक्सटाइल यार्न	16,540	9,255
5.	नायलोन टायर कौर्ड	2,400	605
6.	रेयन टायर कौर्ड	18,800	17,421
7.	एक्रिलिक फाइबर	4,000	145
8.	एसीटेट यार्न	5,400	1,959

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नप्रकार है :—

नायलोन फिलामैन्ट यार्न के उत्पादन के लिये 1970-71 में निम्नलिखित पार्टियों को दो लाइसेंस दिये गये थे :—

(1) मैसर्स गुप्तालोन लि०, लुधियाना, पंजाब 100 मीटरी टन/प्रतिवर्ष के लिए ।

(2) मैसर्स गारवरे नायलोन लि० बम्बई-756 मीटरी टनों से 2000 मीटरी टनों/प्रतिवर्ष तक विस्तार के लिए ।

पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के उत्पादन के लिए निम्नलिखित पार्टियों को चार लाइसेंस दिये गये थे :—

(1) मैसर्स इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि० बम्बई तमिलनाडु में एक 6,100 मीटरी टन/प्रतिवर्ष का कारखाना स्थापित करने के लिए ।

(2) मैसर्स स्वदेशी पोलिटैक्स लि०, गाजियाबाद (उ० प्र०)-6100 मीटरी टन/प्रतिवर्ष के लिए ।

(3) मैसर्स अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड प्रिंटिंग कं० लि०, अहमदाबाद-गुजरात में 6100 मीटरी टन/प्रतिवर्ष के कारखाने के लिए ।

(4) मैसर्स कैमिकल्स एण्ड फाइबर्ज आफ इंडिया लि० बम्बई-1600 मीटरी टनों तक विस्तार के लिये अर्थात महाराष्ट्र में उनके वर्तमान उपक्रम में क्षमता को 6100 मीटरी टनों/प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए ।

विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या निम्नप्रकार है :—

(1) पोलीप्रोपाइलीन फाइबर	5
(2) पोलीएस्टा फिलामैन्ट यार्न	10
(3) नायलोन टायर कौर्ड एन्ड फाइबर्स	8
(4) सक्रीलिक फाइबर	2
(5) वी० ए० एण्ड पी० वी० ए० फाइबर	1
(6) पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर	9
(7) नायलोन टैक्सटाइल फिलामैण्ट यार्न	130
(8) विस्फोट स्टेपल फाइबर	5

यह सभी आवेदन पत्र विचार किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों का बन्द किया जाना

3236. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1970 में त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, हैदराबाद, पटना और लखनऊ में स्थित अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के अनुदेश जारी किये थे ;

(ख) अब तक बन्द किये गये या निकट भविष्य में बन्द किये जाने वाले सांस्कृतिक केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त केन्द्रों को फिर से खोलने का है और यदि हाँ, तो कौन-कौन से केन्द्रों को फिर से खोलने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) सिर्फ अमरीकी तथा फ्रेंच दूतावास ही ऐसे स्थानों पर केन्द्र चला रहे थे, जहां उनके राजनयिक अथवा कोंसली मिशन नहीं है। सरकार के आदेशानुसार बंगलौर, लखनऊ, पटना, हैदरावाद तथा त्रिवेन्द्रम स्थित अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र और हैदराबाद तथा बंगलोर स्थित फ्रेंच सांस्कृतिक केन्द्र 18 मई, 1970 से पहले ही बन्द कर दिए गए थे।

(ग) जी नहीं। ऐसे स्थानों पर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जहां इन मिशनों के राजनयिक अथवा कोंसली मिशन नहीं है।

नेपाल, भूटान और सिक्किम को वित्तीय सहायता

3237. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल, भूटान और सिक्किम सरकारों को विकासात्मक कार्यों और परियोजनाओं के लिए ऋणों, अनुदानों अथवा सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 1971-72 में कितनी वित्तीय सहायता दी जानी है ;

(ख) क्या यह सहायता इन सरकारों की मांगों के अनुकूल है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सहायता में कमी क्यों की जा रही है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) **नेपाल** : नकद अनुदान, भारत द्वारा परियोजनाओं को स्वयं पूरा करने तथा तकनीकी सहयोग के रूप में नेपाल की वित्तीय सहायतार्थ वर्तमान वर्ष के बजट में 11.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पहले से ही चल रही औद्योगिक विकास योजनाओं के वास्ते नेपाल को 1971-72 वर्ष के दौरान 30 लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है।

भूटान :— 1971-72 वर्ष के हमारे बजट में विकास योजनाओं के लिए अनुदानों के रूप में 5 करोड़ रुपये की और ऋणों के रूप में 72.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

सिक्किम :— 1971-72 वर्ष के हमारे बजट प्राक्कलनों में अनुदानों के रूप में एक करोड़ 75 लाख रुपये की, और ऋणों के रूप में 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) नेपाल, भूटान और सिक्किम को दी जाने वाली सहायता की मात्रा परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर निर्धारित की जाती है ताकि उनकी प्रमुख माँगों को पूरा किया जा सके।

(ग) भूटान की तीसरी पंच-वर्षीय योजना और सिक्किम की चौथी पंचवर्षीय योजना भारत के योजना आयोग के नेतृत्व में विशेषज्ञों के दलों द्वारा तैयार की गई थी। अन्तिम आवंटन इन सिफारिशों पर आधारित होता है। नेपाल के मामले में, 1971-72 वर्ष के लिए आवंटन 1966-71 की पिछली योजना अवधि के खर्च में कमी को पूरा करने और साथ ही कुछ नई योजनाओं के सम्भावित निष्पादन के लिए किया गया है, इन योजनाओं की संवीक्षा की जा रही है।

केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों की चिकित्सा डिग्री की मान्यता का समाप्त किया जाना

3238. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने केरल तथा कालीकट विश्वविद्यालयों की चिकित्सा डिग्री की मान्यता को समाप्त करने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर आयुध कपड़ा फैक्टरी के श्रमिकों का निलम्बन

3239. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 न्यायालय मामलों में अन्तग्रस्त होने के कारण शाहजहाँपुर आयुध कपड़ा फैक्टरी के 21 श्रमिकों को जनरल मैनेजर द्वारा निलम्बित कर दिया गया था ;

(ख) क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट ने श्रमिको को 10 मई, 1971 को आरोप मुक्त कर दिया था, यदि हां, तो अब तक उन्हें पुनः कार्य पर न लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय को उपरोक्त तथ्य के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। 23 श्रमिकों को मुअत्तिल किया गया था।

(ख) न्यायिक मैजिस्ट्रेट के द्वारा 10 फरवरी, 1971 को दिए गए आदेशों को दृष्टि में रखते हुए जनरल मैनेजर ने सभी 23 श्रमिकों को पुनः कार्य पर लिए जाने का आदेश 8-6-71 को दे दिया था। मुअत्तिली की पूरी अवधि का पूरा वेतन और भत्ता श्रमिकों को ग्राह्य होगा।

(ग) घटना के सम्बन्ध में जनता के कुछ लोगों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन इसका ध्यान रखते हुए कि स्थिति सामान्य हो गई है, किसी और कार्यवाही का किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक आयुध कारखाने की स्थापना

3240. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पटेल अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी स्थान में एक आयुध कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : आयुध उत्पादन के किसी नवीन एकक की स्थापना अभी विचाराधीन नहीं है।

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में लोहे के डेरिक का गिरना

3242. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुल बनाये जाने के लिये निर्मित एक लोहे का 'डेरिक' 10 जून, 1971 को नई दिल्ली के बहादुरशाह जफर मार्ग पर गिर पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकेक्या कारण हैं तथा उससे कितनी हानि हुई ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा, दिल्ली नगर निगम के लिए आरम्भ किये जा रहे एक ऊपरी-पुल (ओवर ब्रिज) के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 10 जून, 1971 को लगभग 35 फुट ऊंचा एक इस्पात डेरिक, बहादुरशाह जफर मार्ग के पैदल मार्ग के निकट, एक छोर की ओर हटाया जा रहा था तथा वह इस्पात के रस्सों से बंधा हुआ था । डेरिक की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, डेरिक का एक रस्सा, लगभग 19 फुट की ऊंचाई पर सड़क की दूसरी ओर बांधा गया था । यातायात, इस रस्से के नीचे से चल रहा था । ऐसी सूचना मिली है कि सड़क की दूसरी ओर गुजर रही एक बस, इस रस्से से रगड़ खा गई तथा डेरिक सड़क के मध्य की ओर खिंच गया तथा गिर गया, जिससे एक टैक्सी के पिछले भाग तथा तीन पहिये वाले स्कूटर के अगले भाग को क्षति पहुंची ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि० को कोई हानि नहीं हुई । तथापि, घटना की जांच पुलिस तथा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी दोनों द्वारा की जा रही है ।

तिलपत के निकट किसानों द्वारा चांदमारी क्षेत्र हटाने के लिये अभियान

3243. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलपत वायु सेना चांदमारी क्षेत्र के निकट के किसानों ने चांदमारी क्षेत्र के हटाये जाने के लिये एक अभियान आरम्भ किया है ;

(ख) वायु सेना ने खेती के लिये 1250 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त भूमि किन-किन व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई है और भूमि किस दर पर पट्टे पर दी गई है ; और

(घ) क्या किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार चांदमारी क्षेत्र को हटायेगी और भूमि को जरूरतमन्द और भूमिहीन किसानों को बेचेगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग): कमीशन के आधार पर नियुक्त किए गए 13 फार्म मैनेजरों के द्वारा, वायु सेना यूनिट लगभग 1,600 एकड़ भूमि पर खेती कर रहा है ।

(घ) जी नहीं ।

Equipping the Chinese and Pakistan Armies with Atomic Weapons

3244. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Chinese and Pakistani armies have been equipped with atomic weapons during the last few years and it has increased danger to the security of the Indian borders ; and

(b) if so, whether necessary steps are being taken to make Indian army equally strong and more capable ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Government's assessment of the Chinese nuclear strength as well as missile capability has been conveyed to the House on a number of occasions. There is no information so far that China has developed tectical nuclear weapons for ground warfare, although it is not unlikely that she may have plans to develop them. According to Government's information, Pakistan does not possess nuclear weapons.

(b) The hon'ble Member's attention is invited to the answer given to Unstarred Question No. 1417 on the 7th June, 1971.

पश्चिम बंगाल, मेघालय और आसाम हैजे का प्रकोप

3245. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैजे के प्रकोप के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल, मेघालय और आसाम में कितने शरणार्थियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) हैजा की महामारी को फैलने की रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	मौतों की संख्या
पश्चिम बंगाल	3,648 (22-6-71) तक
मेघालय	शून्य (जैसाकि 23-6-71 को सूचित किया गया है)
आसाम	15 (जैसाकि 23-6-71 को सूचित किया गया है)

उपर्युक्त आंकड़े अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में भरती किये गये रोगियों के बारे में हैं और इनमें वे मौतें नहीं आती जो रास्ते में हुई हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें जठरान्त्रशोथ से होने वाली मौतें भी शामिल हैं।

(ख) अब तक जो मुख्य-मुख्य कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों और स्थानीय लोगों को हैजा निरोधी टीके लगाये जा रहे हैं।

(ii) बंगला देश की सीमा पर स्थित राज्य के शहरों और बड़े-बड़े कस्बों में हैजा निरोधी एक विशेष व्यापक अभियान शुरू किया गया है।

(iii) हैजा के संक्रमण को रोकने के लिये पानी को विसंक्रमित करना, रोगियों को पृथक रखना आदि जैसे आवश्यक निरोधी उपाय बरते जा रहे हैं। सफाई कार्यों में सुधार किया जा रहा है।

(iv) हैजा निरोधी वैक्सीन का पर्याप्त स्टाक, विसंक्रामक औषधियां आदि दी जा रही हैं।

(v) आपात्कालीन स्थिति में रोग के प्रकोप की जांच पड़ताल करने के लिए कलकत्ता और गौहाटी में दो महामारी विज्ञान सम्बन्धी दल गठित किये गये हैं।

तमिलनाडु में स्थानीय मेडिकल कालेज

3246. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एक स्थानीय मेडिकल कालिज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसकी स्थापना कहां की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तमिलनाडू राज्य में एक क्षेत्रीय चिकित्सा कालेज आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Proposal for Overall Expansion and Efficiency of Indian Forces

3247. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether recent developments in Bangla Desh and the hostile activities of the Pakistani troops time and again near the Indian borders specifically call for overall expansion and efficiency of the Indian armed forces ; and

(b) if so, whether appreciating the situation, Government have initiated action in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : These factors, which have a bearing on India's security, are taken into account while planning our defence arrangements.

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिये जनेवा को भेजा गया प्रतिनिधि मंडल

3248. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिये जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसके सदस्यों के नाम और उनकी संख्या कितनी थी ;

(ख) उक्त प्रतिनिधिमंडल ने कौन-कौन से अन्य देशों का दौरा किया था ;

(ग) प्रतिनिधिमंडल द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) प्रतिनिधिमंडल के दौरे के क्या परिणाम निकले ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) 4 मई, 1971 को जेनेवा में हुए विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के 24 वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम तथा संख्या इस प्रकार है :—

(1) प्रो० ए० के० किस्कू, मुख्य-प्रतिनिधि
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमन्त्री ।

(2) श्री के० के० दास, प्रतिनिधि
सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ।

(3) डा० जे० वी० श्रीवास्तव, प्रतिनिधि
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ।

श्री के० के० दास और डा० जे० वी० श्रीवास्तव ने 24 वें विश्व स्वास्थय सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रतिनिधियों की 3 मई, 1971 को जेनेवा में हुई बैठक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

(ख) जेनेवा में आयोजित 24 वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की यह यात्रा भारत की ओर से मुख्यतः प्रतिनिधित्व करने के लिए थी । तथापि भारत लौटते समय प्रो० अमिय कुमार किस्कू फ्रैंकफर्ट, बोन, लन्दन तथा रोम में चल रहे जन-स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करने के लिए इन देशों में गए । इग्लैंड स्थित भारतीय उच्चायोग के चिकित्सा सलाहकार के कार्य की जानकारी हासिल करने, भारतीय डाक्टरों से मिलने तथा वहां दो एक अस्पतालों को देखने के लिए श्री के० के० दास भी लन्दन गए ।

(ग) प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों की हवाई यात्रा पर भारतीय मुद्रा में लगभग 24,916 रु० खर्च हुए। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के होटल में ठहरने, दैनिक भत्ते, मनोरंजन आदि पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई उसका ब्यौरा संबंधित भारतीय दूतावासों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुसार विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए हर साल एक प्रतिनिधि मण्डल भेजना पड़ता है । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक उच्चतम अंग है, इस प्रतिनिधि मण्डल ने सामान्य विचार-विमर्श में भाग लिया । भारत को अपने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्भवतया 1971 में 623847 डालर तथा 1972 में 698302 डालर की सहायता मिलने का अनुमान है ।

Companies Manufacturing Spurious Drugs

3249. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a number of Companies manufacturing spurious drugs in various States have been unearthed in the country some time back ;

(b) if so, the list thereof ; State-wise ;

(c) how the said Companies managed to get licences ; and

(d) the action taken by Government to check the growth of such companies ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhaya) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

नरेणा, दिल्ली में दिल्ली विकास प्रधिकरण के अलाटियों को बरसातियों को कमरे में बदलने की अनुमति

3250. **श्री अन्नासाहिब गोंधिडे** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेणा में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के एलाटियों ने छत पर कमरे बनाने की अनुमति के लिये अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, एलाटियों को सुरक्षा की दृष्टि से बरसाती के आस-पास दीवार बनाने की इस बीच अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : अभी नहीं । प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है ।

नरेणा (दिल्ली) में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलाटी

3251. **श्री अन्नासाहिब गोंधिडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री नरेणा रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एलाटियों के बारे में 14 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बीच इस मामले पर पुनः विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उसने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि नरेणा में दूसरे लाट के दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटियों के मामले में 5 मास की बिना सूद की अवधि की जैसी अनुमति दी गई है, वैसी अनुमति दिसम्बर, 1968 में दिये गये मकानों के पहले लाट के आवंटियों के मामले में भी दी जाय ।

दिल्ली में मकान किराये में वृद्धि

3252. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सब बस्तियों में मकान के किराये असाधारण रूप से बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किराये नियंत्रित रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस विषय पर दिल्ली प्रशासन से विचार विमर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली में मकानों के किराये निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं परन्तु यह किसी भी प्रकार, दिल्ली की विलक्षण विशेषता नहीं है, न ही बढ़ोतरी सभी क्षेत्रों में असाधारण कही जा सकती है ।

(ख) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में, दिल्ली संघ क्षेत्र में, किरायों के नियंत्रण की व्यवस्था है । उसके अध्याय 11 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार, मानक किराये से अधिक किराया वसूल नहीं किया जा सकता तथा मानक किराया, किराया नियंत्रक द्वारा, मालिक या किरायेदार द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर, निर्धारित किया जाना अपेक्षित है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Expenditure on Maintenance of Curzon Hostel, New Delhi

3253. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the maintenance and repairs of Curzon Hostel, New Delhi during the financial year 1968-69, 1969-70 and 1970-71 ; and

(b) the amount received by Government from visitors in the form of rent during the same period ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) :

(a)	1968-69	Rs. 4,46,596.00
	1969-70	Rs. 5,86,941.00
	1970-71	Rs. 7,83,659.00
(b)	1968-69	Rs. 5,12,958.66
	1969-70	Rs. 8,00,638.37
	1970-71	Rs. 9,42,807.81

चौथी योजना में कुष्ठ रोग के उपचार के लिये केन्द्र

3254. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ रोग उपचार के कितने केन्द्र खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : चौथी आयोजना अवधि (1969-74) के दौरान 80 कुष्ठ नियन्त्रण एकक और 460 सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए 40 पुराने उप-केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें परिपूर्ण कुष्ठ नियंत्रण एकक बनाने का भी प्रस्ताव हैं ।

Allocation of Funds for Housing Programme in the States During Fourth Plan

3255. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the amount allocated for housing programme in the Fourth Five Year Plan ;

(b) the break-up of the amount so allocated to be given to various States in the form of grant on assistance ; and

(c) the amount to be given to Madhya Pradesh State therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) The Fourth Five Year Plan contains the following provisions for housing programmes concerning the Ministry of Works and Housing :—

	(Rs. in crores)
I. State sector (including Union Territories)	
This does not include provision for Slum Clearance Scheme, which is included under Urban Development for which a provision of Rs. 69.36 crores has been made in the Plan.	123.91
II. Central Sector	
(a) Office and residential accommodation for Central Government employees.	30.00
(b) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers.	2.00

Besides the above provisions, a sum of Rs. 10 crores has been provided in the Fourth Plan as the share-capital of the Housing and Urban Development Finance Corporation. This amount is also likely to be used for assisting the State Governments in their housing programmes.

(b) and (c) : All the Social Housing Schemes of the Ministry of Works and Housing, with the exception of the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers, are included in the State Sector. From the beginning of the Fourth Five Year Plan, Central assistance to State Governments is given in the shape of 'block loans' and 'block grants' for all the State Sector schemes taken together (including housing). The amount is determined each year after taking into account the size of the annual Plan, availability of resources etc. No amount of the Central block assistance is relatable to any specific scheme or head of development. The question of break up of the financial assistance given to various States for Housing, therefore, does not arise. The State Governments are free to allocate the Central assistance to various Schemes and projects included in the State sector on the basis of their own requirements and priorities.

As regards Central financial assistance for the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers, allocations are made to the State Governments on a year to year basis, having regard to the requirements of houses to be built in different States for Plantation Workers, the utilisation capacity of the States. The Scheme is not in operation in Madhya Pradesh since there are no plantations in that State.

Expenditure on Malaria Eradication Scheme

3256. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the total expenditure incurred on Malaria-eradication scheme during the Third Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : An amount of Rs. 86.84 crores was spent on the National Malaria Eradication Programme during the Third Five Year Plan.

तटवर्ती तेल शोधक कारखानों की शोध-क्षमता में कमी करने का प्रस्ताव

3257. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1 जुलाई, 1971 से पांचों तटवर्ती तेल-शोध कारखानों की शोध-क्षमता में 10 से 15 प्रतिशत तक की कमी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख), मामला विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

Setting up of Drugs Laboratory for Research of Indigenous System of Medicine

3258. **Shri Narendra Singh Bist :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Research Council of Indigenous Systems of Medicine and Homoeopathy have approved a scheme under which a drugs laboratory will be set up at Ranikhet for conducting research on 'musk deer' ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b): The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy have sanctioned a scheme during 1970-71 for preliminary work in connection with the setting up of a farm for breeding musk-deer. The snow-belt altitude of Himalaya is being surveyed for finalising the location of the farm.

श्रीलंका के मामलों में भारत का कथित हस्तक्षेप

3259. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री डडले सेनानायक ने श्रीलंका के भीतरी मामलों में भारत द्वारा हस्तक्षेप की शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । इस विषय पर कोई अधिकृत सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश की समस्या के बारे में बड़ी शक्तियों का असहयोगपूर्ण रवैया

3260. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 22 मई 1971 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित इस आशय

के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बड़ी शक्तियों के सहयोग न देने के रवैये के कारण बंगला देश के बारे में भारत द्वारा राजनयिक स्तर पर की गई कार्यवाही पूर्णतः विफल होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार बंगला देश की गतिविधियों के बारे में, अपने पास उपलब्ध सभी माध्यमों से विदेशी सरकारों से बराबर संपर्क बनाये हुए है । बड़ी शक्तियों सहित अनेक विदेशी सरकारों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे पाकिस्तान सरकार पर शक्ति के उपयोग को बन्द करके राजनीतिक हल ढूंढ़ने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं । बहुत से देश इस बात से भी सहमत हैं कि शरणार्थियों का भारत पर बहुत बड़ा बोझ है और वे भारत की जिम्मेदारी नहीं हैं तथा इनकी सुरक्षित वापसी के लिए परिस्थिति तैयार की जानी चाहिए । इस प्रकार भारत के रुख को अधिकाधिक अच्छी तरह समझा जा रहा है ।

पाकिस्तान सरकार द्वारा पश्चिम पाकिस्तान के हिन्दुओं की सम्पत्तियों का जब्त किया जाना

3261. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री देवेन्दर सिंह गारचा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार पश्चिम पाकिस्तान में हिन्दुओं की सम्पत्तियों को जब्त कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन सम्पतियों का कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान को देय राशियों के बारे में कोई बदले की कार्यवाही करेगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं कि पश्चिम पाकिस्तान में रहने वाले कई हिन्दुओं को नोटिस दिए गए हैं जिनमें यह कहा गया है कि उनकी सम्पत्ति को निष्क्रांत सम्पत्ति क्यों न घोषित कर दिया जाए ।

(ख) और (ग) सरकार सही सूचना और ब्योरे एकत्र करने का प्रयास कर रही है और इसके बाद ही यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में विचार किया जाएगा ।

श्रीलंका, बर्मा तथा अन्य देशों से आये आप्रवासी

3262. **श्री सरजू पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान श्रीलंका, बर्मा तथा अन्य देशों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को देश-प्रत्यावर्तित किया है ; और

(ख) ऐसे भारतीयों की देश-वार संख्या कितनी है तथा उन्हें पुनः बसाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में श्रीलंका और बर्मा से काफी संख्या में भारतीय स्वदेश भेजे गए हैं ।

(ख) उनकी संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	बर्मा	श्रीलंका
1968	8,569	3,177
1969	10,139	5,764
1970	3,747	7,988
कुल	22,455	16,929

देश प्रत्यावर्तितों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(i) प्रति परिवार व्यापार ऋण, जिसकी अधिकतम सीमा 3000/-रु० है ;

(ii) गृह-निर्माण ऋण, किन्तु 4, 100/-से अधिक नहीं ।

(iii) जो लोग कृषि में फिर से बस गए हैं, उनके लिए प्रति परिवार 5,000/-रु० तक की सहायता, और साथ ही कृषि सम्बन्धी कुछ उपकरणों की सप्लाई ; कई प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी छूटें, नियोजन कार्यालय में प्राथमिकता, नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में ढील, देश प्रत्यावर्तितों को नियोजन सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए मद्रास और विशाखापट्टनम् में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति, उद्योगों में प्रशिक्षण एवं नियोजन सम्बन्धी सुविधाएं, श्रीलंका के देश प्रत्यावर्तितों के लिए चाय एवं रबर बागान योजनाएं स्कूलों, व्यवसाय-गृहों, कार्य केन्द्रों आदि के लिए विभिन्न विशेष योजनाएं ।

सभी भूतपूर्व सैनिकों को उपदान (ग्रेच्युटी) की अदायगी

3263. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भूतपूर्व सैनिकों को उपदान (ग्रेच्युटी) की अदायगी करने की एक योजना के बारे में निर्णय अक्तूबर 1970 में किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं तथा अपनी अदायगी ले चुके हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक निर्णय अक्टूबर, 1970 में लिया गया था जिसके अनुसार 10 सितम्बर, 1970 को जो सेवा में थे या जिनकी नियुक्ति इस तिथि के बाद हुई थी वे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए हकदार करार किए गए थे ।

(ख) लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है और इस सूचना को एकत्रित करने में काफी परिश्रम एवं समय लगेगा ।

संसद् सदस्यों को जीपों का वितरण

3264. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान संसद् सदस्यों को बेची गई जीपों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि प्राप्त की जानी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1970-71 के वित्तीय वर्ष में लगभग 171 जीपें संसद् सदस्यों को बेची गई ।

(ख) 154 जीपों के लिए 10,33,527 रुपये प्राप्त हुए हैं । बाकी 17 जीपों के लिए प्राप्त राशि का पता उन डिपो से जिन्होंने जीपें बेची थीं लगाया जा रहा है और एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा । जीपों को दिये जाने के पहले उसकी पूरी कीमत वसूल कर ली जाती है ।

पश्चिम पाकिस्तान के हिन्दुओं का हुसैनीवाला सीमा से भारत आना

3265. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1971 के गत सप्ताह में हुसैनीवाला सीमा से लगभग 100 हिन्दू परिवार भारत आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम पाकिस्तान में भारत विरोधी अभियान आरम्भ किया गया है और वहाँ रहने वाले हिन्दुओं में असुरक्षा की भावना व्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ऐसा करके दोनों देशों में अल्पसंख्यक वर्ग की सुरक्षा के संबंध में नेहरू-लियाकत अली संधि का उल्लघन कर रहा है ; और

(घ) यदि हां तो क्या भारत ने उस देश में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ किये जा रहे व्यवहार के प्रति पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है ।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 25 मई से 31 मई 1971 के बीच हुसैनीवाला चैकपोस्ट होते हुए बीस हिन्दू परिवार भारत में आए हैं ।

(ख), (ग) और (घ). भारत-विरोधी प्रचार हमेशा से ही पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अंग रहा है। इधर, हाल ही में, इस तरह के प्रचार ने और जोर पकड़ा है।

पश्चिम पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं में कठिनाइयों और भेदभाव के कारण हमेशा ही असुरक्षा की भावना रही है। पूर्व बंगाल में जो कुछ हुआ है उससे यह भावना निश्चय ही और बढ़ी होगी।

पाकिस्तान की सरकार बराबर ही नेहरू-लियाकत समझौते का उल्लंघन करती रही है जिसके अन्तर्गत उसने निष्ठापूर्वक इस बात का सुनिश्चय करने का वचन लिया है कि वह अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की पूरी भावना पैदा करेंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को बार-बार यह बताया है कि इस समझौते के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के प्रति उनके क्या दायित्व हैं।

परिवार नियोजन के सामाजिक पहलुओं के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की बैठक

3266. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के सामाजिक पहलुओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की एक अन्तर्क्षेत्रीय बैठक न्यूयार्क में अप्रैल 1971 में आयोजित हुई थी।

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। यह बैठक 22 से 30 मार्च 1971 तक हुई थी।

(ख) मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :—

(1) राष्ट्रीय स्तर पर समाज कल्याण का परिवार नियोजन कार्यक्रम को योगदान,

(2) परिवार नियोजन कार्यक्रम के समाज कल्याण संबन्धी पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ; और

(3) परिवार नियोजन कार्यक्रम के समाज कल्याण सम्बन्धी पहलुओं के लिए जन-शक्ति और उनमें प्रशिक्षण की आवश्यकताएं।

(ग) बैठक की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

भारत के पूर्वी भाग के लोगों को सेना में भर्ती

3267. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पूर्वी भाग विशेषकर उत्तरी बंगाल के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उस क्षेत्र से सेना में अधिक कर्मचारी भर्ती करने का निर्णय कर लिया है क्योंकि ये लोग स्थानीय परिस्थितियों के अभ्यस्त होते हैं ;

(ख) क्या उत्तर बंगाल में और अधिक भर्ती केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या भर्ती के कुछ नियमों को विशेषकर अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उदार बना दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): जी नहीं ।

(ग) कुछ जातीय समूहों के लिए जैसे कि अनुसूचित जन-जाति असमिया एवं गोरखा इत्यादि के लिए औरों की अपेक्षा, कुछ नीचे शारीरिक मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ।

हाशीमारा में सैनिक स्कूल

3268. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हशीमारा में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : जी नहीं । सैनिक स्कूल, राज्य सरकार/ केन्द्रीय प्रशासन के अनुरोध पर खोले जाते हैं और वे स्कूल के भवन, फर्नीचर इत्यादि के ऊपर हुए व्यय का वहन करते हैं और वे अपने राज्य के उन लड़कों को जो स्कूल में प्रवेश हेतु जाने हैं छात्रवृत्ति भी देते हैं । पश्चिम बंगाल की सरकार से हाशीमारा में दूसरा स्कूल खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । पश्चिम बगाल में पुरुलिया नामक स्थान में एक सैनिक स्कूल पहले से ही है ।

रायल कामनवैल्थ सोसायटी फार ब्लाइंड, लन्दन—द्वारा किये गये आंखों के आपरेशन

3269. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समस्त भागों में रायल कामनवैल्थ सोसायटी फार ब्लाइंडज, लन्दन—द्वारा आयोजित कैम्पों में आंखों के आपरेशन किये गये थे ;

(ख) क्या "आईज आफ इण्डिया कैम्पन" अन्तर्गत भी अन्धेपन को रोकने के आपरेशन किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अभियान के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के आपरेशन किये गये और इस अभियान से कितनी सफलता मिली ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां । रायल कामनवैल्थ सोसायटी फार दि ब्लाइंड की सहायता से भारत के 9 राज्यों में आंख के आपरेशन किये गये । ये राज्य हैं—तमिलनाडू, केरल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार ।

(ख) जी हां।

(ग) आंखों की ज्योति वापिस लाने के लिये 21,752 आपरेशन तथा आसन्न अन्धता के निवारण के लिये 6,587 आपरेशन किये गये सब मिला कर 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में 210,094 ऐसे लोगों का इलाज किया गया जिनको कुछ ऐसे नेत्र रोग थे जिनसे वे अन्ततः अन्धे हो सकते थे।

त्रिपुरा में गृहनिर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियां

3270. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में गृहनिर्माण सम्बन्धी कितनी सहकारी समितियां हैं ;

(ख) उन्हें वर्ष 1969-70 के दौरान कुल कितनी राशि दी गई थी ; और

(ग) उक्त अवधि में कितने मकानों का निर्माण किया गया था ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) : त्रिपुरा सरकार से सूचना मांगी गई है तथा यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नसबन्दी के कारण शारीरिक, यौन और मानसिक रोगों की शिकायतें

3271. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसबन्दी कराने वाले 15 से 20 प्रतिशत तक व्यक्ति नशबन्दी के कारण शारीरिक, यौन और मानसिक रोगों की शिकायत करते हैं ;

(ख) क्या अनुसन्धान से यह सिद्ध हो गया है कि रोगियों में कुण्ठा उत्पन्न हो जायेगी।

(ग) यदि हाँ, तो क्या इसके कारण यह है कि आपरेशन के पश्चात् की जाने वाली चिकित्सा दोषपूर्ण है ; और

(घ) इसमें सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुप्रभाव न पड़े ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) नसबन्दी के प्रभावों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है :-

(1) (1) सामान्य सन्तुष्टि
(2) कामेच्छा अथवा क्रिया में परिवर्तन
(3) सामान्य स्वास्थ्य में परिवर्तन

भारतीय अध्ययनों का सारांश नीचे दिया गया है :—

नसबन्दी कराने वाले ऐसे पुरुषों का प्रतिशत जो नसबन्दी से सन्तुष्ट हैं :—

देश और सब-नेशनल क्षेत्र	प्रकाशन का वर्ष	लेखक	संतोष व्यक्त करने वालों की संख्या	संतोष व्यक्त करने वालों की प्रतिशतता
भारत				
गुजरात	1963	पोफेनबरगर और शेट	61	87
जम्मू व कश्मीर	1969	साहनी और लागू	175	68
महाराष्ट्र	1963 ए	दाण्डेकर	1, 191	92

(2) नसबन्दी कराने वाले पुरुषों में कामेच्छा अथवा क्रिया में परिवर्तन बताने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत विभाजन :—

देश और सब-नेशनल क्षेत्र	प्रकाशन का वर्ष	लेखक	नसबन्दी कराने वाले पुरुषों में कामेच्छा अथवा क्रिया में परिवर्तन बताने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत विभाजन					
			कोई परिवर्तन नहीं	वृद्धि	कमी	कोई प्रतिक्रिया नहीं	योग प्रतिशत	योग संख्या
भारत								
दिल्ली	1964	भटनागर	69	19	12	0	100	330
दिल्ली	1968	संधु और भारद्वाज	57	16	23	4	100	146
गुजरात	1963	पोफेनवरगर और शेट	59	15	10	16	100	61
मध्य प्रदेश	1968	हालदार	60	12	23	5	100	250
महाराष्ट्र	1961वी	फड़के	80	12	8	0	100	655
महाराष्ट्र मैसूर और	1963बी	दाण्डेकर	35	11	54	0	100	1191
तमिलनाडु	1968वी	एच० के० राव	83	4	7	6	100	247
उत्तर प्रदेश	1961	बैनर्जी	54	39	7	0	100	202

(3) नसबन्दी कराने वाले पुरुषों में सामान्य स्वास्थ्य में परिवर्तन बतलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत विभाजन :—

देश और सब नेशनल क्षेत्र	प्रकाशन का वर्ष	लेखक	नसबन्दी कराने वाले पुरुषों में सामान्य स्वास्थ्य में परिवर्तन बतलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत विभाग					
			कोई परिवर्तन नहीं	उत्तम	बदतर	कोई प्रतिक्रिया नहीं	योग	
							प्रतिशत	संख्या
भारत								
दिल्ली	1964	भटनागर	76	10	14	0	100	322
मध्य प्रदेश	1968	हालदार	56	28	16	0	100	250
महाराष्ट्र	1962	फड़के	75	23	2	0	100	655

वर्तमान अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब रोगियों से नसबन्दी किए जाने के बाद तीन महीनों से 18 महीनों की अवधि के बीच मिला गया, तो उनमें से लगभग एक चौथाई रोगियों ने कुछ शिकायतें बतलाई जिनके लिए वे आपरेशन को जिम्मेदार ठहराते थे । यह कहना कठिन है कि क्या इन शिकायतों को क्लीनिकी दृष्टि से 'रोगलक्षण' माना जाये या नहीं क्योंकि इनमें से अधिकतर लोगों ने वास्तव में इन शिकायतों के बारे में डाक्टरी इलाज पाने की कोशिश नहीं की थी । यदि रोगी डाक्टर के पास जाए तो रोगी की शिकायत "रोग लक्षण" है या नहीं इस बात को डाक्टर आसानी से समझ सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति को उसके घर में जाकर मिला जाए और वह वहां अपनी शिकायतों का उल्लेख करें, तो ऐसी हालत में निर्णय करना कठिन हो जाता है । फिर भी, हमारे विचार में इन 'गौण क्लीनिकी शिकायतों' का भी उचित अध्ययन और छानबीन की जानी चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पैदा हुआ यह अवरुद्ध असन्तोष इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकूल प्रचार का जबर्दस्त साधन बन सकता है ।

(ख) जी नहीं । बल्कि इन अध्ययनों से पता चला है कि जोग नसबन्दी के पश्चात शिकायतें करते हैं वे अक्सर पहले से ही मानसिक असन्तुलन से पीड़ित होते हैं । डाक्टर एन० एन० विग और उनके सहयोगियों के निष्कर्षों के अनुसार ये शिकायतें रोगभ्रम के कारण होती हैं ।

(ग) जी नहीं । यौन और मनोवैज्ञानिक शिकायतें दोषपूर्ण अनुवर्ती देखभाल के कारण नहीं अपितु ऊपर दिए गए कारण के फलस्वरूप हैं ।

(घ) इस बात की हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि नसबन्दी के लिए स्वेच्छा से आने वाले लोगों का आपरेशन करने से पहले उनकी उचित जांच कर ली जाए । ये हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं कि यदि किसी व्यक्ति को आपरेशन के पश्चात् किसी प्रकार की भी शिकायत हो तो उसका प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जाए ।

गुजरात के भावनगर जिले में ग्रामीण पेयजल सप्लाई योजना

3272. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भावनगर जिले के कितने गांवों को सरकार ने "पेय जल के स्रोतो से वंचित" गांव माना है ;

(ख) क्या ऐसे गांवों को पेय जल की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात के भावनगर जिले में 116 गांव ऐसे हैं जिनमें पेय जल के कोई साधन नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अधीन पथरीले क्षेत्रों वाले 6 गांवों में हैंड पम्पों तथा नल कूपों द्वारा सुविधा देने का प्रस्ताव है । शेष 110 गांवों में जल सम्भरण योजना के अन्तर्गत नलों द्वारा पीने का पानी पहुंचाने का विचार है ।

Oil Wells in Arabian Sea with Russian Collaboration

3273. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether oil wells were sunk in the Arabian Sea with Russian collaboration ;

(b) if so, the results achieved therefrom and the total expenditure incurred thereon ; and

(c) the extent of profit earned or loss incurred as a result thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir, However, technical assistance of the U. S. S. R. was availed for designing the fixed platform used for drilling offshore Well No. 1 in Gulf of Cambay. Also, the services of Soviet experts were availed for installation of the fixed platform and for technical advice in resolving the problems met with from time to time, in drilling of this well.

(b) An oil-bearing horizon was met with in the well ; however, the results of detailed testing of the well, indicate that the oil find in this well is not of commercial interest. The expenditure incurred on the well up to 31-5-1971 is Rs. 186.38 lakhs. This does not include the allocation of depreciation on equipment utilised for the operation, and allocation of the administrative charges in respect of the Regional and Central Headquarters of the Commission, for the years 1970-71 and 1971-72.

(c) As the oil find is not of commercial interest, there is no profit. However, the well has helped to give very valuable information for conducting further exploration work in this region and the expenditure incurred on the well, at this stage, would be deemed to be exploration cost and not a loss. In the event of a commercial oil-field being discovered in this region at a future date, the possibility of the expenditure incurred on this well being recovered cannot be ruled out.

औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3274. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार भारत में औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) 2800 से अधिक कारखाने (संगठित क्षेत्र के लगभग 100 कारखाने मिला कर) इस समय औषधि एवं भेषजों का निर्माण कर रहे हैं । कारखानों की संख्या, उनके कार्य के क्षेत्र के परिसर आदि पर विचार करते हुए, सरकार औषधि उद्योग के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक नहीं समझती । 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत अनुसूचि 'बी' उद्योग के रूप में, इसका विकास सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है ।

गृह-निर्माण ऋण की शर्तों में शिथिलता

3275. **श्री नुग्घल्ली शिवप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण सहकारी समितियों से बने बनाये मकान खरीदने की सुविधा देने के उद्देश्य से गृह-निर्माण ऋण की शर्तों में शिथिलता करने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मंत्रालय के दिनांक 18 फरवरी, 1971 के कार्यालय ज्ञापन सं० 10/3/59-एच-111 भाग-11 की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है, जिसमें पंजीकृत सहकारी आवास समितियों से बने बनाये मकानों/फ्लैटों को खरीदने के लिए आवास निर्माणार्थ अग्रिम राशि स्वीकार करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें दी गई हैं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 551/71]

अग्रिम राशि आवेदक के मासिक वेतन के 60 गुने से नहीं बढ़नी चाहिए तथा वह मकान, फ्लैट की कुल लागत के 80 प्रतिशत तक अथवा 50,000 रुपये तक इनमें जो भी कम हो, सीमित होगी । इसके अतिरिक्त मकान/फ्लैट की कुल लागत सरकारी कर्मचारी के मासिक वेतन के 75 गुना अथवा 1 लाख रुपये इसमें जो भी कम हो, से नहीं बढ़ना चाहिए ।

हरियाणा में हरिजनों की नसबन्दी

3276. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को, विशेष रूप से हरिजनों को नसबन्दी कराने के लिये मजबूर करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) क्या हरियाणा सरकार भूमिहीन हरिजनों को नसबन्दी कराने के लिये मजबूर कर रही है ताकि वे भूमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने के पात्र बन सकें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम एक स्वैच्छिक किस्म का कार्यक्रम है । इसलिए नसबन्दी आपरेशन करवाने के लिए किसी को मजबूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जबरन नसबन्दी आपरेशन

3277. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की बड़ी संख्या दिखाने के लिये अत्यन्त गरीब तथा असहाय हरिजनों को जबरन नसबन्दी कराने को बाध्य किया जाता है ।

(ख) क्या डाक्टर योगेश्वर नाथ सिंह ने 25 सितम्बर, 1970 को बिहार में जिला दरभंगा के बासोपट्टी ब्लाक के गांव भागीरथ पट्टी के 70 वर्षीय शारीरिक रूप से अत्यन्त शक्तिहीन तथा निस्सन्तान व्यक्ति श्री पूरन पासवान सुपुत्र दसाई पासवान का आपरेशन किया था ;

(ग) क्या इसका विरोध करने के कारण एक श्री कृष्ण कुमार झा पर हमला किया गया था तथा 29 सितम्बर, 1970 को उसे गिरफ्तार करा दिया गया था ; और

(घ) यदि उपरोक्त (ख) तथा (ग) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम एक स्वैच्छिक किस्म का कार्यक्रम है और नसबन्दी आपरेशन करवाने के लिए किसी को मजबूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) से (घ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Auditing of Accounts of Sainik School of Madhya Pradesh

3278. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some money is charged from students of Sainik School of Madhya Pradesh for their pocket expenses ;

(b) if so, the total amount collected in this manner during 1969-70 and the main items on which it was spent together with the name of the persons who made such spendings ;

(c) whether these accounts are audited regularly ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The total amount collected during 1969-70 was Rs. 50,717.69. The money was spent by the boys mainly on Cinemas, Stationery, Toilet articles, Snacks from the Canteen, etc. The housemasters were in charge of Pocket Expense Accounts and their names are :—

S/Shri B. R. Chowdhury, R. R. Pandey, T. C. Pandey, R. R. Rathor, R. P. Sethi, T. Samson Rajan, R. D. Chowdhury and P. S. Channa.

(c) and (d): The accounts are subjected to audit annually.

अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों में परिवर्तित किये जा सकने वाले राकेटों का निर्माण

3279. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने, अंतःद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों में परिवर्तित किये जा सकने वाले राकेटों का निर्माण करने का निर्णय किया है जिससे कि चीन के हिन्द महासागर में अंतःद्वीपी प्रक्षेपणास्त्रों के परीक्षण करने के निर्णय से उत्पन्न धमकी का मुकाबिला किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) । (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य कर्मचारियों को भूमि का आवंटन

3280. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1947 में राजस्थान की बूंदी रियासत में बस्तियां बसाने संबंधी योजना के अन्तर्गत उनके मंत्रालय ने सैन्य कर्मचारियों को भूमि का आवंटन किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने सैन्य कर्मचारियों को भूमि आवंटित की गई ;

(ग) क्या सभी आवंटियों को उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा दे दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्हें किसी अन्य स्थान पर भूमि आवंटित करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ): अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मंगवाई गई है एवं प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

बेरोजगार इंजीनियरों अथवा स्नातकों को छोड़कर किसी अन्य को पेट्रोलियम और गैस की एजेंसियां देना

3281. **श्री नवल किशोर वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बेरोजगार इंजीनियरों अथवा स्नातकों को छोड़कर किसी अन्य को पेट्रोल पम्प गैस एजेंसी अथवा कोई अन्य एजेंसी दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या तथा वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां ये एजेंसियां दी गई है तथा उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख). बेरोजगार स्नातकों को भारतीय तेल निगम के फुटकर पेट्रोल पम्पों की एजेन्सियां, मिट्टी के तेल/ लाईट डीजल आयल की एजेन्सियां तथा इण्डेन गैस के विवरण को एजेन्सियां देने की योजना 24-11-1969 को लागू की गई थी । इस योजना के अतिरिक्त व्यापारियों, एजेण्टों तथा वितरकों की नियुक्ति के बारे में और उनके कारणों सहित अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

बिहार में सहरसा और पूर्णियां जिलों को सामरिक महत्व

3282. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सहरसा और पूर्णियां जिलों के सामरिक महत्व को देखते हुए अधिकांश पूर्वोत्तर जिलों की सीमाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये किसी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : उस क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकताओं का, जो कि माननीय सदस्य के दृष्टि में है, हमारी सुरक्षा योजनाओं में ध्यान रक्खा गया है ।

दिल्ली में यमुनापार शकरपुर बस्ती में अनधिकृत मकान

3283. **श्री वेंकटास्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार स्थित शकरपुर बस्ती में जहां दिल्ली मास्टर प्लान के उल्लंघन में भूमि बेची गई है बड़ी संख्या में अनधिकृत रूप से मकानों का निर्माण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती में अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) शकरपुर ग्राम में, लगभग 1500 मामलों में, गिराने के नोटिस जारी किये गये हैं । नये अतिक्रमणों को रोकने के लिए बाड़ लगाई जा रही है । अर्जित सरकारी भूमि की गैर-कानूनी बिक्री के लिए कई व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया है । नये निर्माण रोकने के लिये, पुलिस गश्त की व्यवस्था भी की गई है ।

कथित भूखे भारतीय बच्चों की सहायता करने के लिये विदेशों में चन्दा इकट्ठा किया जाना

3284. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ देशों में कालेजों और स्कूलों के छात्रों से इस आधार पर नियमित रूप से चन्दा एकत्रित किया जाता है कि भारत के भूखों मरते हुए बच्चों के लिये उक्त धनराशि की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन देशों को ऐसे चन्दे एकत्रित करने से रोकने के लिये पत्र लिखने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख): हाल ही में सरकार के नोटिस में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है ।

लन्दन में भारतीय उच्च आयोग में अधिकारी तथा कर्मचारी

3285. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या वहां स्थित अन्य देशों के मिशनों के कर्मचारियों की तुलना में उक्त आयोग में कर्मचारियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस समय लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन में 628 अधिकारी एवं कर्मचारी सेवारत हैं । कर्मचारियों का वर्गवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

भारत आस्थानी

राजपत्रित	89
गैर-राजपत्रित	88
कुल	177

स्थानिक

सहायक एवं इससे ऊपर	121
क्लर्क एवं टंकक वर्ग के	222
छोटे एवं हस्तकोशल वर्ग के	108
कुल	451

(ख) और (ग) : लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या में बराबर कमी हुई है जो 1962 में 1035 से घटकर आजकल 628 रह गई है जो वास्तविक आवश्यकता से ज्यादा नहीं है। लन्दन स्थित हमारे मिशन के कर्मचारियों की संख्या का वहां स्थित अन्य देशों के मिशनों से तुलना करना कठिन है। क्योंकि किसी भी देश के मिशन के कार्य स्वरूप एवं उसकी मात्रा दूसरे देश से भिन्न होती है।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी दूतावास का प्रचार

3286. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में स्थित पाकिस्तानी दूतावास और मिशन भारत के विरुद्ध काश्मीर तथा अन्य विवाद ग्रस्त मामलों का विभिन्न प्रकार से प्रचार कर रहे है ;

(ख) क्या पाकिस्तान अपनी पुस्तिकाये निकालने के अतिरिक्त प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन दे रहा है और हमारे देश की तस्वीर बिगाड़ रहा है तथा ऐसी कार्यवाहियों में संलग्न है जो कि विदेशी दूतावासों और मिशनों के उचित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख): जी हां।

(ग) विश्व की अनेक राजधानियों में पाकिस्तानी मिशनों द्वारा ऐसे प्रचार नए नहीं है।

विदेश स्थित अपने मिशनों को तथ्य से पूर्णतः अवगत रखा जाता है और इस संदर्भ में वे सही तथ्यों को समुचित रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं और तुरन्त ऐसी कार्यवाही करते भी हैं।

छावनी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के मकानों का अधिग्रहण रद्द करना

3287. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छावनी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों के मकानों का अधिग्रहण रद्द करने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन सेवानिवृत्त सैनिकों/नौ सैनिकों और वायुसैनिकों को पर्याप्त आवासीय सुविधाएं देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है जिनका छावनी क्षेत्र में मकान है परन्तु जिसे सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) किसी भी भूतपूर्व सैनिक का मकान किसी भी छावनी में अधिग्रहित नहीं है। अतएव अधिग्रहण को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तद्यपि किरायनामा-समाप्ति के प्रत्येक अनुरोध की जांच की जाती है एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

Encounters between Rebel Nagas and Security Forces

3288. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of encounters that took place between the rebel Nagas and the Indian Security Forces since the 1st January, 1968 ; and

(b) the number of Nagas killed and arrested, separately, during this period and the details of the arms and ammunitions recovered from them ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There were 189 cashes between the rebel Nagas and our Security Forces 1st January 1968 and 30th April 1971.

(b) During this period, 162 underground Nagas were killed and 3668 captured. Further 3244 hostiles surrendered to our Security Forces. 1821 Service pattern weapons and 1876 non-Service pattern weapons and considerable quantity of ammunition were also recovered from the underground Nagas by our Security Forces during the same period.

Report of Committee on Reduction of Cost of Public Works

3289. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Committee appointed to go into the question of reducing the cost of public works etc. has since submitted its report to Government ;

(b) if so, the main recommendations of the Committee ; and

(c) the reaction of Government thereto and the action taken on them ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c): The Government of India have not appointed any Committee to go into the question of reduction in the cost of public works. However, the Government had appointed a Committee to study the methods for achieving low-cost large-scale housing construction in the major cities. A copy of the Report of the Committee has been placed in the Parliament Library. The main recommendations of the Committee are at pages 125 to 130 of the Report. Action on the recommendations is being taken. The general recommendations have been brought to the notice of the construction agencies for guidance. The State Governments have been addressed for the establishment of housing factories. The establishment of a factory in Maharashtra is being pursued activity.

बंगला देश के शरणार्थियों की समस्याओं के संबंध में अमरीका के सिनेटरों का भारत आगमन

3290. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के कुछ सिनेटर हाल ही में नई दिल्ली आये थे और बंगला देश के शरणार्थियों की समस्याओं के संबंध में उन्होंने प्रधान मंत्री से भेंट की थी ; और

(ख) क्या उनके भारत आगमन से अमरीका के विदेश विभाग के रवैये में बंगला देश की समस्या के प्रति कोई परिवर्तन आया है ।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सिनेटर सेक्सवे 7 व 8 अप्रैल को दिल्ली में थे । अमरीकी हाउस विदेश संबंध समिति की एशियाई एवं पेसिफिक् उप-समिति के अध्यक्ष अमरीकी कांग्रेस के कारनीलियस इ. गेलाधर 2 से 4 जून तक भारत में थे । वे 3 जून को प्रधान मंत्री से मिले ।

(ख) लौटने पर सिनेटर सेक्सवे ने 11 मई को अमरीकी सिनेट में दृढ़ वक्तव्य दिया । वे सिनेट समवर्ती प्रस्ताव के सहयोजक भी हैं जिसमें कहा गया है कि जब तक यह संघर्ष समाप्त न हो जायं तब तक पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता न दी जाए ।

कांग्रेस के गेलाधर ने अमरीका लौटने पर अत्यन्त वस्तुनिष्ठ एवं दृढ़ वक्तव्य दिये और प्रतिनिधि सभा में 1961 के विदेश सहायता अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा । "जब तक अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण दल यह सुनिश्चत न कर ले कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में समुचित स्थायित्व लाने की स्थित में सहयोग देगा तथा शरणार्थियों को भारत से लौट कर अपनी भूमि एवं सम्पति को प्राप्त करने की अनुमति देगा तब तक पाकिस्तान सरकार को सभी सहायता बन्द कर दी जानी चाहिए ।"

तिब्बत अथवा सिक्यांग क्षेत्रों में थोड़ी अथवा बीच की दूरी तक मार करने वाले तरल ईंधन से सम्पन्न चीनी प्रक्षेपणास्त्रों का लगाया जाना

3291. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत अथवा सिकियांग क्षेत्रों में थोड़ी अथवा बीच की दूरी तक मार करने वाले तरल ईंधन से सम्पन्न चीनी प्रक्षेपणास्त्रों के लगाये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मुख्य भूमि पर स्थित नगरों के लिये उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): सरकार के पास, चीन के तरल ईंधन से चालित निकट परास अथवा मध्यम परास के प्रक्षेपणास्त्र के तिब्बत अथवा सिक्यिांग क्षेत्रों में लगाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

क्षयरोग उन्मूलन योजना

3292. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में क्षयरोग ग्रस्त व्यक्तियों के अद्यतन आंकड़े क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1960-61 तथा वर्ष 1970-71 में सरकारी अस्पतालों और सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये कुल कितने पलंग थे ;

(ग) क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस महामारी का मुकाबला करने के लिये सरकार की दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह वृद्धि यथार्थ की अपेक्षा जारी अधिक हैं और इसके कारण इस प्रकार हैं :—

(i) जनसंख्या वृद्धि ।

(ii) रोगों के निदान और उपचार के लिए विभिन्न स्वास्थ्य एजेन्सियों में सुविधाओं का विस्तार ।

(iii) रोग के उपचार की सुविधाएं होने के बारे में लोगों की जानकारी ।

(iv) क्षयरोग से होने वाली मौतों में कमी ।

(घ) यहां पर एक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम है जो चौथे पांच वर्षीय आयोजन में एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है और जिसके लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । इसमें प्रत्येक जिले में एक-एक जिला क्षयरोग केन्द्र खोलने/उसका दर्जा बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, इन केन्द्रों में एक्स-रे और प्रयोगशाला उपकरण रखे जायेंगे और राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर में विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सीय तथा पार्श्व चिकित्सीय कर्मचारी नियुक्त होंगे । जिला क्षयरोग केन्द्र में उसके चारों ओर अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से बी० सी० जी० के टीके लगाये जाने तथा रोगियों का रोग निदान और उपचार किये जाने और इस प्रकार रोगियों को उनके घरों के यथा सम्भव नजदीक निरोधी नैदानिक और उपचार सेवायें प्रदान करने की व्यवस्था है ।

इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की स्वैच्छिक क्षयरोग संस्थाओं को क्षययोग औषधियां मुफ्त दी जाती हैं ।

केरल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना

3293. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल राज्य में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने का विचार किया है अथवा विचार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा तथा उसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): जी नहीं ; सैनिक स्कूल राज्य सरकार केन्द्रीय प्रशासन के अनुरोध पर खोले जोते हैं और वे स्कूल के भवन, फर्नीचर इत्यादि के ऊपर हुए व्यय का वहन करते हैं और वे अपने राज्य के उन लड़कों को जो प्रवेश के हेतु चुने जाते हैं, छात्रवृति भी देते हैं। केरल की सरकार से उस राज्य में दूसरा स्कूल खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है। केरल में त्रिवेन्द्रम के निकट एक सैनिक स्कूल पहले से ही है।

केरल में बेरोजगार डाक्टर

3294. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1971 को केरल में बेरोजगार डाक्टरों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बर्मा आयल कम्पनी के सहयोग से डिगबोई तेल शोधक कारखाने की क्षमता में विस्तार

3295. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिगबोई तेल शोधक कारखाने की क्षमता में विस्तार करने के लिये सरकार बर्मा आयल कम्पनी के साथ सहयोग करने को सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का योगदान कितना होगा ; और

(ग) इस सहयोग से क्या लाभ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

मन्दिर-मार्ग और डी० आई० जेड क्षेत्र नई दिल्ली में क्वार्टरों का निर्माण

3296. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री शशि भूषण :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नई दिल्ली के मंदिर मार्ग और डी० आई० जेड क्षेत्रों में कितने क्वार्टर बनाये जा रहे हैं तथा टाइप I, II, III और IV के बारे में उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) अनुमानतः यह क्वार्टर कब तक बन जायेंगे तथा आवंटन के लिये तैयार हो जायेंगे ; और

(ग) इन मकानों को किस प्रकार एलाट करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) टाइप I — 64
टाइप II — 192
टाइप III — 240
टाइप IV — 94

(ख) टाइप-I के 64 क्वार्टर पहले ही पूरे हो चुके हैं तथा दखल दिया जा चुका है। टाइप-II के 192 तथा टाइप-III के 240 क्वार्टरों के जुलाई, 1971 में पूरा हो जाने की आशा है तथा टाइप-IV के 94 बहु-मंजिले फ्लैटों के जून, 1972 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) 47 क्वार्टर भारत सरकार प्रैस पूल, विलिंगडन हस्पताल पूल तथा उन अधिकारियों को, जिन्हें इस क्षेत्र में वर्तमान वास को खाली करना अपेक्षित है, आवंटन करने के लिए निर्धारित किये गये हैं। शेष क्वार्टर, परिवर्तन के आधार पर/बारी की प्रतीक्षा सूची के लिए तथा/या उन अधिकारियों को, जिन्हें तदर्थ आधार पर आवंटन/परिवर्तन स्वीकृत किये गये हैं, आवंटित किये जाएंगे।

संघ राज्य क्षेत्र के सैनिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना

3297. **श्री शशि भूषण :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने अगस्त, 1968 में सैनिक स्कूलों के संघ राज्य क्षेत्रों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के संदर्भ में "आय" की पुनः परिभाषा करते हुए कतिपय निर्देश जारी किये थे ;

(ख) क्या "आय" की संशोधित परिभाषा के अनुसार कर्मचारियों के केवल मूल वेतन को ही "आय" माना जाना था ;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय ने जवानों तथा भूतपूर्व जवानों के बच्चों के बारे में आय की उक्त परिभाषा को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने के संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ): रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सैनिक स्कूलों में छात्र वृत्तियों की योजना के तुलनात्मक ब्यौरो का विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-552/71]** विवरण से यह देखा जा सकता है कि किन्हीं रूपों में गृह मंत्रालय की योजना लाभप्रद है तथा कुछ अन्य रूपों में रक्षा मंत्रालय की योजना लाभप्रद है। इन योजनाओं में एक रुपता लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

Expenditure Incurred on Illumination of Government Buildings on the Eve of Republic Day, 1971

3298. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred by Government on illumination on various Government buildings on the eve of Republic Day, (26th January, 1971) ;

(b) whether the said expenditure exceeds the expenditure incurred during the previous years ; and

(c) whether there is any proposal before Government to curtail the expenditure in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Rs. 2,77,699/-.

(b) The expenditure in 1971 was less than in 1970.

(c) Efforts are made to effect as much economy as possible in organising Republic Day celebrations keeping in view the importance of the occasion.

मेजर बहुगुणा की मृत्यु के बारे में जांच समिति

3299. **श्री परिपूर्णा नन्द पैन्युली :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेजर बहुगुणा की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई समिति ने बयान देने के लिये अब तक कितने व्यक्तियों को बुलाया है ; और

(ख) समिति द्वारा सरकार को कब तक अपने निष्कर्ष दिये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हिमालय अभियान दल के दो सह-नेताओं में से एक श्री नारमन डाइहरेनफर्थ एवं जापानी सदस्यों में से एक श्री नाओमी एइमेरा के साथ समिति थे साक्षात्कार किया है। अभियान दल के अन्य सदस्यों द्वारा इस विषय पर दिए गए वक्तव्य भी समिति को उपलब्ध हैं। नेता द्वारा पर्वत पर मामले की जांच करते समय कुछ अन्य सदस्यों से ली गई गवाही का टेप रेकार्ड भी 24-6-1971 को प्राप्त हुआ है।

(ख) समिति से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 3 जुलाई, 1971 तक दे दें।

सैनिक स्कूल कजाकोट्टम, केरल के प्रशासन के विरुद्ध शिकायत

3300. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैनिक स्कूल कजाकोट्टम, केरल के प्रशासन और उसके विद्यार्थियों के के प्रवेश के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): स्कूल के प्रशासन के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की गई और जहां पर संभव हुआ वहां उपचारी कार्यवाई की गई।

पोलियो और ट्रिपल एन्टीगोन टीके लगाने का व्यापक कार्यक्रम

3301. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या चेचक के टीकों की तरह देश के बच्चों को पोलियो और ट्रिपल एन्टीगोन के टीके लगाने के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(क) इस कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की जानी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : देश में बच्चों के लिए पोलियो और त्रिगुण प्रतिजन का व्यापक कार्यक्रम चलाने का कोई विचार नहीं है। फिर भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में "शिशुओं और स्कूल जाने की आयु से कम आयु वाले बच्चों का डिपथीरिया, पोलियो और टिटेनस से प्रतिरक्षण" नामक एक योजना है। लगभग 31,26,000 बच्चों के प्रतिरक्षण के लिए पंचवर्षीय आयोजन में इस योजना के लिए 20 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

Manufacturing of Fire Extinguishing Engines by India International Trading Company, New Delhi for Indian Air Force

3302. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a contract for manufacturing 41 big fire extinguishing engines in India for the Indian Air Force is being given to the India International Trading Company, New Delhi, by the Department of Defence Supplies and the cost of each engine is about Rs. 2,30,000 ;

(b) whether the purchase orders for some engines were placed with this firm in the past also ; if so, the opinion expressed by their users to the Government in regard to those engines ;

(c) the name and the location of the factory of the said firm in India and the amount of the capital invested therein and when the said factory was set up ;

(d) the number of partners, share holders of the said factory and the number of employees working therein ; and

(e) the percentage of the amount to be given to the said firm as advance ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) An order for supply of 41 Crash Fire Tenders for the Indian Air Force has been placed on M/s Bhartiya Antar Rashtriya Byopari (P) Ltd. The cost of each Crash Fire Tender will be Rs. 2.90 lakhs F.O.R. Kanpur exclusive of custom duty on imported components.

(b) Yes, Sir. 25 Crash Fire Tenders were purchased from this firm in 1965, 12 for Civil Aviation, and 13 for the Air Force. Subsequently, 5 more were purchased for the Air Force in 1969, and 2 more for the Navy in 1970. These Crash Fire Tenders were all imported from Czechoslovakia as complete units. The first 13 units procured by the Air Force were not found satisfactory beeause of poor foam production, and technicians from Czechoslovakia came to modify them to bring them up to the requisite standard. Thereafter, they have given satisfactory service. The 12 units procured by Civil Aviation, 5 units procured later by the Air Force and 2 units purchased for the Navy have all been found fully satisfactory.

(c) The firm proposes to set up a factory for manufacturing the indigeneous components at Kanpur with an investment of about Rs. 5 lakhs.

(d) The number of partners/shareholders is 18. The firm has, at present, 20 employees. Their number will increase to approximately 100 when the production comes in full swing.

(e) (i) 10% of the value of the order against an irrevocable Bank Guarantee for the amount drawn.

(ii) 100% FOB value limited to a ceiling of Rs. 1.30 lakhs per unit, plus insurance and freight charges at actuals for the imported chassis and components to be paid after despatch of such chassis and components by the foreign suppliers and against proof of non-negotiable copy of the B/L and foreign suppliers invoices in original. This advance shall also be made against an irrevocable Bank Guarantee.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अध्यादेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने का समाचार ।"

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, तब खाद्य तथा कृषि मंत्री ने देश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के बारे में 15-12-1969 को सदन में एक वक्तव्य दिया था । जैसाकि उप वक्तव्य में उल्लेख किया गया था, सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उसके कार्यचालन के सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक आयोग स्थापित किया है । भारत सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस विषय पर अपनी धारणा बनाएगी । सदन में यह बात इस विषय पर माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में कई बार दोहराई गई है ।

2. जहां तक इस विषय पर कानून बनाने की सक्षमता का प्रश्न है, सदन में यह कई बार बताया गया है कि सरकार को मिली कानूनी सलाह के अनुसार संसद् तथा राज्य विधान सभा चीनी प्रतिष्ठानों के अभिग्रहण के बारे में कानून बनाने के लिए सक्षय है बशर्ते कि वह कानून संविधान के अनुच्छेद 31 (2) और (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता हो । यदि राज्य विधान सभा ऐसा कानून पास करती है तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना होगा और उनकी सहमति प्राप्त करनी होगी । इस कार्याविधि के अनुसार अभिग्रहित चीनी प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार चला सकती है लेकिन ऐसा करने के लिए ऐसे कानूनों का पालन करना होगा जोकि संसद् द्वारा पास किए जाएंगे । इस विषय पर भारत के महा सालिसिटर और महान्यायवादी की राय की एक प्रति सभा के पटल पर 11 अगस्त, 1970 को रखी गई थी ।

3. जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, सरकार को इस मामले पर राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वक्तव्य को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का मामला केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अनिर्णीत पड़ा है। कभी इस प्रश्न पर उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता विचार करता है तो कभी केन्द्रीय विधि मंत्रालय और भारत का महान्यायवादी उस पर विचार करता है। इस सभा में केन्द्रीय सरकार ने यह वचन दिया था और बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय किया गया था कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। 25 जून, 1971 के 'स्टेट्समैन' में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी का एक इस आशय का वक्तव्य छपा था कि वह इस बात का पूर्ण प्रयास करेंगे कि राज्य में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाये। इस सभा में मंत्री महोदय ने कई बार इस आशय के वक्तव्य दिये हैं कि भारत के महान्यायवादी और विधि मंत्रालय की मंत्रणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। मंत्री महोदय को इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसका सार क्या है दूसरे, यह एक विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है और केन्द्रीय सरकार इस मामले में विलम्ब कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चीनी मिलों के मालिक केन्द्रीय सरकार पर किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ऐसा करने की अनुमति न दे।

श्री शेर सिंह : माननीय सदस्य का यह आरोप गलत है कि केन्द्रीय सरकार पर मिल मालिकों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। जहां तक पत्र के विषय की बात है, उसे लोकहित में यहां बताया नहीं जा सकता। केन्द्रीय सरकार मामले में जान बूझ कर विलम्ब भी नहीं कर रही है। हमें पत्र 9 जून को मिला है और उस पर विचार किया जा रहा है। उस पर औद्योगिक विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय से भी विचार किया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether the question of nationalisation of sugar mills in U. P. has been hanging fire since long. Whether the opinion expressed by the Ministry of Law does not tally with that expressed by the Attorney General, whether U. P. Government has sent a proposal for nationalisation of sugar industry or running the mill on co-operation basis on the line of Maharashtra State?

Shri Sher Singh : Sir, it is a fact that the opinions expressed by the Ministry of Law and the Attorney General differ. But Government is supposed to agree with Attorney General's opinion. The whole matter is under consideration and the decision thereon will be taken soon.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Whether Government would take decision on the nationalisation of sugar industry after obtaining the report of the Commission appointed for this purpose?

Shri Sher Singh : I have already stated in my statement that the decision on this issue will be taken after the receipt of the Report of the Commission. As regards the jurisdiction of states to do so, we have already told them that they can do so, if they desire.

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : On April 2, 1970 the Minister told in this House that there is an arrear of about 50 crores of rupees towards the sugar mill owners due to the farmers. There is a crisis in sugar industry these days. The question of nationalisation of sugar industry is pending with the Central Government. I would like to know the steps other than those in the direction of nationalisation. Government is taking to improve the situation in sugar industry facing crisis.

Shri Sher Singh : It is a fact that crores of rupees toward sugarcane price are in arrears to the sugar mill owners and it has not so far been paid to the farmers. Some steps have been taken in this direction. U. P. Government have already issued orders for auction of 6 mills in the state in order to make payment to farmers. Moreover, the Commission is considering the question of nationalisation of sugar industry in all aspects.

सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBERS

(सर्वश्री ईश्वर चौधरी और श्री भारत सिंह चौहान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सब डिविजनल आफिसर, पटना से प्राप्त दिनांक 26 जून, 1971 के एक तार की सूचना सभा को देनी है जिसमें यह बताया गया था कि श्री ईश्वर चौधरी, सदस्य, लोक-सभा, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 तथा भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अधीन 25 जून, 1971 को गिरफ्तार किया गया है ।

मुझे निदेशक सरकारी रेल पुलिस, भोपाल से प्राप्त दिनांक 26 जून, 1971 के एक बेतार संदेश की सूचना भी सभा को देनी है जिसमें यह बताया गया कि श्री भारत सिंह चौहान, सदस्य, लोक-सभा को रेलवे अधिनियम की धारा 128/120 के अधीन 26 जून, 1971 को मध्याह्न पश्चात् 5 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया है । सदस्य को न्यायिक हिरासत में रखा गया हैं और वह जिला जेल, भोपाल में हैं ।

लोक-लेखा समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

श्री सेज़ियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा, इस सभा की लोक-लेखा समिति से श्री निरंजन वर्मा द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के शेष भाग के लिये उक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य-सभा से एक सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा, इस सभा की लोक-लेखा समिति से श्री निरंजन वर्मा द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के शेष भाग के लिये उक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य-सभा से एक सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

जहाज द्वारा पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र भेजे जाने और कुछ देशों को अपनी हाल कीयात्रा के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बारे में प्रस्ताव
MOTION re. STATEMENTS BY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS re. SHIPMENT OF AMERICAN ARMS TO PAKISTAN AND HIS RECENT VISIT ABROAD

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्री द्वारा 24 और 25 जून, 1971 को (एक) जहाज द्वारा (पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र भेजे जाने और (दो) कुछ देशों को अपनी हाल की यात्रा के बारे में दिये गये वक्तव्यों पर विचार किया जाये ।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मुझे दुःख हो रहा है किन्तु यह हमारे लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय है, इसलिए कुछ इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि अमरीकी सरकार ने भारत जैसे लोकतंत्र-प्रिय देश को धोखा दिया है। अमरीका पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है, जिनसे पाकिस्तान बंगला देश में नरसंहार कर रहा है और जिन्हें वह भारत पर आक्रमण करने के लिए भी काम में ला सकता है। अमरीका की यह एक सुविचारित चाल है। वह ऐसा करके इस उप-महाद्वीप में शक्ति-संतुलन को भारत के प्रतिकूल ले जाना चाहता है। श्री निक्सन तो उस समय से ही, जबकि वह उपराष्ट्रपति थे, इस पक्ष में थे कि भारत की उपेक्षा करके पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिये जायें। सर्वश्री नार्मन कजिन्स, लेविस ममफोर्ड, चेस्टर बाउल्स, श्रीमती रूज़वैल्ट, और सेनेटर फुलब्राइए जैसे अमरीकी नेताओं के विरोध के बावजूद अमरीकी सरकार इस नीति को अपनाये हुए है। अमरीका की कूटनीति का यह कितना बड़ा उदाहरण है कि एक ओर हमारे विदेश मंत्री के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत की जा रही थी, उन्हें भोज दिया जा था और बंगला देश में मृत्यु के मुंह में जाते हुए लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की जा रही थी तथा दूसरी ओर 'पदमा' और 'सुन्दरबन्स' नामक जलयानों पर अमरीकी बन्दरगाहों पर बंगला देश के लोगों का खून बहाने के लिए पाकिस्तान के लिए शस्त्रास्त्र लादे जा रहे थे। उनमें सामान क्या था, यह तो मालूम न हो सका, किन्तु यह सच है कि उनमें सैनिक सामान था। अमरीकी सरकार के स्टेट डिपार्टमैंट से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है। ढाका में भूतपूर्व अमरीकी काउन्सल जनरल, श्री आर्चर के० ब्लड ने सीनेट की 'विदेश- सम्बन्धी समिति' के सामने कहा कि भारत के सामने बंगला देश से आये शरणार्थियों की समस्या फिलस्तीन शरणार्थी समस्या से कहीं अधिक बड़ी है। अमरीकी सरकार ने इस बात को बिल्कुल ही दबा दिया। न केवल श्री ब्लड बल्कि श्री ह्यु स्काट और सेनेटर फुलब्राइए जैसे अन्य बुद्धिजीवी और 'न्यूयार्क टाइम्स' और 'वाशिंगटन पोस्ट' जैसे समाचार पत्र भी इसका विरोध कर रहे हैं किन्तु फिर भी अमरीका पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिये जा रहा है। सेनेटर केनेडी की यह टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है कि निक्सन प्रशासन ने नरसंहार के शिकार बने लोगों को राहत देने की बजाय पाकिस्तान को सैनिक सामान देने में अधिक शीघ्रता की। पाकिस्तान का जो प्रति वर्ष सैनिक सहायता दी जा रही है, स्टेट विभाग के अनुसार उसका मूल्य 100 लाख डालर है और वह भी छटी दरों पर। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका स्पष्ट कारण यह है कि वे नरसंहार को देखने के आदी हो चुके हैं।

इस संकल्प के मध्यम से मैं अमरीकी निवासियों से अपील करता हूं कि वे अपने देश की सरकार के सैनिक विभाग को पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने से रोकें, क्योंकि उससे बंगला देश के लोग कत्ल किये जा रहे हैं। मेरे विचार से अमरीका यह सब बंगला देश को निराश करने के लिए कर रहा है जिससे बंगला देश में धर्म-निर्पेक्ष राज्य स्थापित न किया जा सके। लगभग 70 लाख शरणार्थी पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना पड़ रहा है। पाकिस्तान के नागरिकों को खिलाने पिलाने पर हमें बहुत अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। भारत सरकार निःसहाय लोगों की सहायता कर रही है। जैसे ही वहां पर स्थिति सुधरेगी, इन सब लोगों को वापिस जाना होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि अमरीकियों ने योजनाबद्ध तरीके से यह सिलसिला चलाया है जिससे विश्व के इस भाग में शक्ति का संतुलन बिगड़ जायें। वर्ष 1951 में भारत में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। हमने अमरीका से 20 लाख टन गेहूं मांगा। इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के लिये अमरीका ने इस गेहूं के बदले हमारी विशेष नीति को अपनी मर्ज़ी के अनुसार बदलना चाहा। 14 वर्ष बाद हमें पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अमरीका के राष्ट्रपति को बारम्बार उस

आश्वासन की याद दिलाई गई जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके हथियारों का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। परन्तु उन्होंने एक न सुनी बल्कि उन्होंने उन जहाजों को रोक दिया जिनमें भारत के लिये हथियार लाये जा रहे थे। अब जब हमने पद्मा, सुन्दरबन्स, कौकाहली और अन्य जहाजों को रोकने के लिये कहा तो अमरीका सरकार ने उत्तर दिया कि कानूनी रूप से यह बात असम्भव है। इन बातों से भारत के प्रति अमरीका के दृष्टिकोण का पता चलता है। जब प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत को आशा है कि वियतनाम में बमबारी बन्द कर दी जायेगी तो अमरीका सरकार और वहां के राष्ट्रपति ने इसकी आलोचना की थी और भारतीयों को कृतघ्न कहा गया था। जहां तक अमरीकी आर्थिक सहायता का सम्बन्ध है, वह भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को प्रति व्यक्ति दुगुनी मिल रही है। पाकिस्तान इस आर्थिक सहायता से हथियार खरीद रहा है। हमने हर अवसर पर देखा है कि अमरीका ने हमें लोकत्रांत्मक राष्ट्र के रूप में कभी भी विश्वास में नहीं लिया।

अमरीका ने हाल ही में चीन के बारे में जो नीति अपनाई है उससे पता चलता है कि वे लोकतंत्र के कितने समर्थक हैं। ब्रिटेन और अमरीका की टेबिल-टेनिस टीमें चीन में खेल खेलने नहीं गई बल्कि वे अपने माल को बेचने के लिये मंडियों की तलाश में हैं जिससे वे समृद्ध हो सकें।

जब मैंने 'राष्ट्रमंडल छोड़ों' प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो यह कहा गया था कि श्री विलसन महान लोकतंत्रवादी हैं और मजदूरों के नेता हैं। अब स्थिति स्पष्ट है कि पाकिस्तान के सैनिक ताना-शाह बंगला देश में वास्तविक लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं। मेरे प्रस्ताव का आशय अमरीकी जनता को यह बताना है कि वे उस कार्यवाही को बन्द कर दें जो वास्तव में उनकी आकांक्षाओं के विरुद्ध हैं। श्री स्वर्ण सिंह के वक्तव्य से स्पष्ट है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान को बराबर समझता है, उन्होंने आशा व्यक्त की है कि दोनों पक्ष संयम से काम लेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका सारी स्थिति को रंगीन शीशे लगा कर देखता है।

अरब देशों के बारे में भी हमें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये। श्री मालवीय हाल ही में दमस्कस में अफ्रीकी एशियाई एकता सम्मेलन में भाग लेने के बाद लौटे हैं। उनके साथ किसी व्यक्ति ने बात तक नहीं की। फिर समर्थन का तो कहना ही क्या। अतः हमें अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिये।

भारत की नीति बंगला देश की जनता का हर प्रकार से समर्थन करने और उन्हें सहायता देने की रही है। बंगला देश को मान्यता देने के बारे में मतभेद हो सकता है परन्तु हम बंगला देश की जनता का हर प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। यदि आरम्भ में ही भारत ने कड़ा रुख अपनाया होता तो जनमत पाकिस्तान के पक्ष में होता और पाकिस्तान का यह झूठा प्रचार सत्य माना जाता कि भारत पाकिस्तान को कुचल देना चाहता है। अतः प्रधान मन्त्री ने स्थिति का सही मूल्यांकन किया है और संयम की नीति अपनाई है। भारत के प्रतिनिधियों ने विदेशों का दौरा किया है और उन्हें बंगला देश में पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे अत्याचारों और विश्व के इस भाग में शान्ति और सुरक्षा को खतरे के बारे में अवगत कराया है। उन्हें बता दिया गया है कि भारत का संतोष समाप्त हो गया है और वह अन्तिम कार्यवाही करने के लिये विवश हो सकता है। इस समस्या का तुरन्त समाधान सैनिक समाधान न हो कर वहां सैनिक कार्यवाही समाप्त करने में है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह महसूस करवाना चाहिये कि विश्व के इस भाग में सुरक्षा और शान्ति को खतरा है और

बंगला देश से शरणार्थियों के आगमन को रोका जाना चाहिये । हमें बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राहत नहीं चाहिये । हमें उन को बताना चाहिये कि हम इन शरणार्थियों को वध करवाने के लिये वापिस नहीं भेज सकते । बंगला देश की जनता और उनके नेता को, जो समाधान मंजूर है, हम इसका समर्थन करेंगे ।

विदेश मंत्री का कहना है कि विश्व को राजधानियों में बड़ी अनुकूल प्रतिक्रिया है । उनकी राय में वहां पर शान्ति स्थापित की जानी चाहिये और शरणार्थियों को वापिस बंगला देश जाना चाहिये । परन्तु क्या कोई सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा अथवा सुरक्षा परिषद् में उठाने के लिये तैयार हैं । केवल शाब्दिक सहानुभूति से काम नहीं चलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Minister of External Affairs has claimed great success achieved by him as a result of his tour of various countries. Other Ministers are also visiting some other countries. It seems as if our ambassadors have been unable to keep informed the Governments of various countries of the developments in Bangla Desh. The External Affairs Minister has stated that how could our ambassador know of any thing about the ships carrying arms for Pakistan. They cannot work as spies. May I know whether journalists work as spies ? The correspondents of New York Times have been able to collect this information. Our ambassadors could also collect such information. Otherwise it would not be out of place to mention that our foreign service is not doing justice to its duties. All the countries, which have been visited by Foreign Minister, have stated that Bangla Desh problem should be solved by arriving at a political settlement. What is meant by it ? I would like to ask the Government whether they have made sure that 6 Point Programme formulated earlier is acceptable to the people of Bangla Desh even now i. e. after the blood-shed at such a large scale ? Whether those people are prepared to live with Pakistan after the atrocities committed on them by the military regime ? Pakistan may accept the political settlement and install a puppet Government in Bangla Desh and Britain and U. S. A. may give them a clean chit. The Acting President of Bangla Desh has put forward four conditions *viz.* (1) Release of Sheikh Mujibur Rahman and other representatives of public ; (2) Withdrawal of West Pakistani forces from Bangla Desh ; (3) Recognition of independent and sovereign Bangla Desh and (4) Compensation for the losses suffered by the people of Bangla Desh during the last three months.

The Government should keep these four conditions in view while talking about political settlement of Bangla Desh. In case West Pakistani troops continue to stay in Bangla Desh and it continues to be a part of Pakistan then no refugee would go back. What is the basis of optimism of the Prime Minister on which she claims that all the refugees would return within 6 months ? Pakistan has committed aggression and we want that our Government should give them a befitting reply. They want to shatter our economy. It may lead to our political instability and create the problem of communal disharmony. It is the policy of U.S.A. and Britain to support Pakistan in order to restraint India. Even if Pakistan does not get any arms from any foreign country at this stage, do they have less arms to crush the people of Bangla Desh ? We cannot depend on foreign countries for solving the problem of Bangla Desh. Had the Government recognised Bangla Desh, the situation might have been different today. What action is proposed to be taken by India if the supporters of Bangla Desh are not released by Pakistan or if political solution being demanded by them is not accepted by Pakistan ? In such a situation the only way out is to help Bangla Desh and we should give recognition to Bangla Desh immediately. In case some other alternative is under consideration of the Government then they should explain it by taking the House into confidence. We are not bound to maintain territorial integrity of Pakistan. If people of East Bengal want to leave Pakistan, we cannot force them to remain with Pakistan.

We should give help to Bangla Desh. In case other countries jain us, it is well and good otherwise we should go alone.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम हथियारों से लदे केवल तीन जहाजों की बात कर रहे हैं परन्तु उनकी संख्या 33 भी हो सकती है। भारत में अमरीका के भूतपूर्व राजदूत श्री चेस्टर बोल्स ने बताया है कि अमरीका ने पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, इटली और तुर्की से भी कहा है कि वे पाकिस्तान को अमरीकी टैंक तथा अन्य हथियार बेचें। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा विरेर्थ गुप्तचर विभाग क्या करता रहता है, क्या उन्होंने अमरीकी सरकार के इन कुकृत्यों की जानकारी सरकार को दी थी ? अमरीका जैसे पूंजीपति देश अपने इन हथियारों को बेचने के अवसरों की तलाश में रहते हैं जो उनके काम के नहीं रहते। मेरे विचार में वे उन्हें रियायती दरों पर नहीं देते। वे लड़ने वाले दोनों देशों को हथियार देने को तैयार रहते हैं। यही उनकी नीति है और यही उनके सिद्धान्त हैं। अमरीका न जानबूझ कर भारत को गुमराह किया है। उनकी यह नीति है कि सारे विश्व पर उनका आर्थिक साम्राज्य बना रहे, कच्चा माल ले लिया जाये और माल बना कर बेच दिया जाये। इस सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसके कारण पाकिस्तान को चिन्ता होने लगी है। हमने सरकार के साथ सहयोग किया, जिससे बंगला देश की जनता के मन में आशा की किरण पैदा हुई थी। भारतीय समाचार-पत्रों और रेडियों ने भी उसके बारे में काफी प्रचार किया। परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। श्रीलंका के आन्तरिक मामले में सहायता करने के लिये भारत ने 5-3 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी थी।

हमें पता चला है कि हमारी सरकार मुक्ति फौज के सेनानियों से पाकिस्तान के हथियार वापिस ले रही है। इसका क्या कारण है ? फिर सरकार ने मेघालय को एक गुप्त परिपत्र भेज कर कहा है कि शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगाई जाये, तो बहुत ही अमानवीय और अनुचित बात है। सरकार को बंगला देश को मान्यता देकर अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिये।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उन राष्ट्रों ने लोकतंत्र को इतना धोखा नहीं दिया तो लोकतंत्र, स्वतन्त्रता और सामाजिक न्याय के पक्ष में अधिक नहीं है बल्कि उन्होंने अधिक धोखा दिया है जो अपने आप को लोकतंत्र के अत्यधिक समर्थक बताते हैं। वे एशिया उपद्वीप में शक्ति का संतुलन स्थापित करना चाहते हैं जो, उनकी राय में भारत के विरुद्ध होना चाहिये। कुछ पश्चिमी सरकारें इस प्रकार का शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

पश्चिम के इन देशों के लोगों और सरकारों के बीच और नासिर के बाद अरब देशों अरब गणराज्य में विवाद बढ़ता जा रहा है। मैं अफ्रीकी-एशियाई एकता का समर्थक हूं। 27 मार्च, 1971 के 'अलथारा में यह उल्लेख किया गया है कि "पूर्व पाकिस्तान में राजनीतिक हल के लिये यदि बन्दूकों का प्रयोग किया गया तो सैनिक युद्ध छिड़ जायेगा और पाकिस्तानी जनता को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा।"

सीरिया के प्रेस प्रतिनिधिओं को पाकिस्तान में किये जा रहे नरसंहार की जानकारी है।

बंगला देश से आने वाले 60 से 80 लाख व्यक्तियों का भार सहना भारत के लिये बहुत कठिन होगा और इसके परिणामस्वरूप भारत को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफल होगी। हम अपनी अर्थ व्यवस्था को खराब नहीं कर सकते और कोई भी देश अपने भविष्य को खराब करने की अनुमति नहीं दे सकता। इन 60 से 80 लाख विस्थापितों को अवश्य वापिस जाना होगा। सरकार को अपने तर्क, कूटनीति अथवा अन्य देशों से प्रतिनिधि मंडल आमंत्रित करके ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये कि इन विस्थापितों को वापिस भेजा जा सके। हमें इस बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा। सरकार और संसद् सदस्यों के उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है। हमे पाकिस्तान से नहीं उलझना चाहिये। सरकार को हमारी यही सलाह है कि वह विस्थापितो को वापिस भेजकर इस समस्या को हल करें।

सरकार को इस समस्या का हल बड़ी सावधानी से करना चाहिये। वे तब ही वापिस भेजे जा सकते हैं जब पाकिस्तान उनकी सुरक्षा के लिये वातावरण तैयार करे। मैंने विदेशों का दौरा किया है और वहां लोगों ने हमारी कार्यवाही की प्रशंसा की है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि निकट भविष्य में सरकार ऐसा वातावरण पैदा करेगी जिससे में विस्थापित वापिस जा सकें।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : ब्रिटेन की पत्रिका 'गार्डियन' ने अपने सम्पादकीय में यह उल्लेख किया है कि "वर्तमान साक्ष्य के अनुसार यह अन्तरराष्ट्रीय विपति संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद सबसे गम्भीर विपत्ति है।"

बंगला देश के बारे में संसद् में एक मत से पारित संकल्प को सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सरकार में न तो साहस है और न ही उस पर विश्वास किया जा सकता है।

हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहते। हम पाकिस्तान से मित्रता रखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ सरकार द्वारा इस बारे में अपनाई गई नीति से काम नहीं चलेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण युद्ध-समर्थक नहीं है। लेकिन वह कब से यह कह रहे हैं कि बंगला देश को मान्यता दी जानी चाहिये। हमें स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता देनी चाहिये, जिसका हमने संसद् में वचन दिया था। यदि इसमें कोई जोखिम है तो हमें उसे विदेशों में प्रचार द्वारा न्यूनतम के प्रयत्न करने चाहिये। यदि भारत इस मामले में साहसपूर्ण और उचित नीति अपनायेगा तो पाकिस्तान भारत से युद्ध का साहस नहीं करेगा।

अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके भारत के मुंह पर तमाचा मारा है। 'स्टेटस्मैन' ने इस बात की सूचना बहुत पूर्व दे दी थी।

श्री स्वर्ण सिंह समस्या को हल करने में असफल रहे हैं। सरकार विदेशी मामलों के बारे में समस्या को हल करने में असफल रही है।

छोटा द्वीप माल्टा भी अमरीका को चेतावनी देता है कि उसके जहाज माल्टा में प्रवेश नहीं करेंगे। माल्टा ऐसा करने का साहस करता है पर भारत नहीं।

भारत को पाकिस्तान हथियार भेजने के बारे में अमरीका को औपचारिक विरोध पत्र भी नहीं भेजता माननीय मंत्री केवल अनुरोध करते हैं ।

क्या सरकार इसी प्रकार की कार्यवाही करती रहेगी ? क्या हम केवल कुछ धनराशि प्राप्त करने के ही इच्छुक हैं ? उक्त राहत, राहत के लिये आवश्यक धनराशि का 10 प्रतिशत भाग है ।

हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि बंगला देश को मान्यता देने से युद्ध छिड़ जायेगा । अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को कुछ देशों ने मान्यता दी थी । क्या उनका फ्रांस से युद्ध हुआ ? भारत ने इंडोनेशिया को, जब वह हालेंड से युद्ध कर रहा था । मान्यता दी थी । क्या भारत का हालेंड से युद्ध हुआ ? यह आवश्यक नहीं कि मान्यता देने से युद्ध छिड़ जायेगा ।

हमारी विदेश सेवा बुरी तरह असफल रही है । जब श्री जय प्रकाश नारायण ने वाशिंगटन का दौरा किया था तब वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत वहां उपस्थित नहीं थे । वह कहीं और व्यस्त थे । घाना तथा अन्य देशों के पत्रकारों ने सूचित किया है कि हमारे दूतावास पर्याप्त जानकारी नहीं देते । हमारी विदेश सेवा ने किसी भी देश में प्रभावशाली प्रचार नहीं किया है ।

पूर्व बंगाल में लोकतान्त्रिक अशान्ति फैली हुई है । बंगला देश का नेतृत्व केवल अवामी लीग के हाथ में केन्द्रित नहीं रहेगा । नेशनल अवामी लीग, मौलाना भशानी का दल तथा अन्य सेक्शन, बंगला देश का साम्यवादी दल भी इसका नेतृत्व करेंगे ।

हमें बंगला देश को किसी समय अप्रैल में ही मान्यता दे देनी चाहिये थी । लेकिन संसद् द्वारा पारित संकल्प पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । ढाका में जब हमारे उच्चायुक्त को काम नहीं करने दिया जा रहा था तब भी सरकार ने कोई राजनयिक कार्यवाही नहीं की । आज वह ढाका में बन्दी हैं, उन्हें भूखामारा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है । दूसरी ओर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिये उच्चायुक्त के रूप में दिल्ली से भेजे गये मेहदी मसूद को हमने विशिष्ट व्यक्तियों का सा सम्मान दिया । यदि आप अपने उच्चायुक्त को वापिस बुलाने के लिये कहते तो पाकिस्तान से युद्ध नहीं छिड़ जाता ।

संसद् द्वारा पारित संकल्प के बाद बंगला देश को मान्यता दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

ऐसे महत्वपूर्ण गम्भीर मामले पर हमारे देश को साहस से काम लेना चाहिये । बंगला देश के अभियान को हमने सहायता देने का वचन दिया है । प्रधान मंत्री कहती हैं कि "हम बंगला देश की जनता को समाप्त नहीं होने देंगे" इसके लिये हम कमी कर रहे हैं ? बंगला देश से आये विस्थापितों की समस्या हल होनी चाहिये । हमें इस बारे में विश्व को रास्ता दिखाना चाहिये । यदि भारत बंगला देश को मान्यता दे देता है तब ही अन्य देश भी इसको मान्यता देंगे अन्यथा अन्य देश कहेंगे कि यह पेचीदा मामला है और यदि भारत ही बंगला देश को मान्यता नहीं देता तो हमारे लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं ।

हमें बंगला देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन को असफल नहीं होने देना चाहिये । यदि इस बारे में कोई जोखिम की आवश्यकता हो तो भी हमें ऐसा करने से हिचकना नहीं चाहिये । पाकिस्तान ने

हमारे लिये युद्ध से अधिक खराब स्थिति पैदा कर दी है। हम युद्ध नहीं चाहते। हमारे विरुद्ध षडयन्त्र रचा जा रहा है हमें उससे बचना चाहिये। हमें इस मामले में कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। विदेश मंत्री हर बार अलग वक्तव्य देते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में 'बंगला देश' शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। जब सदन के विभिन्न दलों ने शोर मचाया तो उन्होंने कहा कि मैं 'बंगला देश' शब्द प्रयोग करने के लिये तैयार हूं, यदि इससे आपको प्रसन्नता मिलती है। विदेश मंत्री का रवैया उनके उपयुक्त नहीं है। सरकार को संसद् द्वारा पारित संकल्प का पालन करना चाहिये। सरकार को बंगला देश को मान्यता देने का साहसपूर्ण कदम उठाना चाहिये। हमें युद्ध न करने का यथासम्भव प्रयास करना चाहिये। हमें समस्या का हल प्रचार और अपने सिद्धान्त के अनुसार करना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : विदेश मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में अपने भ्रमण का और वहां पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। वक्तव्य के एक भाग में सरकार द्वारा बंगला देश के बारे में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया गया है और दूसरे भाग में भारत द्वारा की गई कार्यवाही पर विदेशों की प्रतिक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरे वक्तव्य में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियारों और उस पर भारत की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया गया है। सरकार ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की है। इसमें सन्देह नहीं कि बंगला देश की समस्या अब पाकिस्तान की आन्तरिक समस्या नहीं रही है। अब यह समस्या अन्तरराष्ट्रीय समस्या बन गई है।

बंगला देश की समस्या के बारे में विश्व को तीन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। प्रथम, वहां जो चुनाव हुआ और उसमें दिया गया लोगों का मत। दूसरे, याहिया खां द्वारा लोकतान्त्रिक तरीके से जनता को शक्ति हस्तान्तरित करने का वचन। अवामी लीग ने निश्चित चुनाव घोषणा पत्र के साथ चुनाव लड़ा और उसमें उसे भारी बहुमत प्राप्त हुआ। उसके बाद ऐसी स्थिति आई की मुख्य न्यायधीश ने टिक्का खां को पद की शपथ दिलाने से इंकार कर दिया। हमें बंगला देश को मान्यता देना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान को इस बात का निर्णय लेना चाहिये कि वह नई सरकार को मान्यता दें अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में विश्व के देशों की राय में अन्तर नहीं हो सकता।

1948 की 'जनेवा कन्वेन्शन' के अनुसार नरसंहार अन्तरराष्ट्रीय अपराध है। नरसंहार द्वारा जनता की आकांक्षाओ पर कुठारघात किया गया। इस मामले पर अन्तरराष्ट्रीय राय स्वयं ही प्रकट की जानी चाहिये थी, लेकिन हमने इस मामले पर अपने विचार प्रकट नहीं किये।

गत महायुद्ध के वाद भी शरणार्थियों की ऐसी विकट समस्या हमारे सामने नहीं आई थी जैसी अब आई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी प्रत्येक देश को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह आक्रमण से आत्मरक्षा के लिये युद्ध का सहारा ले सकता है। इस मामले में 60 लाख लोगों ने यहां आकर हमारे देश पर हमला किया है। विश्व को इस बारे में अपना मत व्यक्त करना चाहिये।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विदेश मंत्री का दौरा असफल रहा है। संसद् ने बंगला देश को मान्यता देने का कोई वायदा नहीं किया था। अब मान्यता देने का समय समाप्त हो गया है। अब स्थिति यह है कि हमारे देश पर आक्रमण किया गया है।

विस्थापितों की कोई समस्या कभी भी विस्थापितों को वापिस भेजकर हल नहीं हुई। इस मामले में विश्व का मत बहुत आवश्यक है।

कि अनेक देशों ने इस सम्बन्ध में हमें आश्वासन दिये हैं केवल अमरीका ने ही ऐसा नहीं किया है।

इस मामले में तीन बातें आवश्यक हैं। सर्वप्रथम, शरणार्थियों के आने को रोका जाये। दूसरे आये हुए शरणार्थियों को वापिस भेजा जाये। तीसरे, राजनीतिक समझौते द्वारा ही शरणार्थियों को वापिस भेजा जा सकता है। श्री स्वर्ण सिंह को विश्व के देशों से आश्वासन मिला है। शरणार्थियों को अवश्य भेजा जाना चाहिए और तब ही समस्या हल हो सकती है। अमरीका ने इसको समस्या का हल स्वीकार नहीं किया है। अमरीका ने विचित्र रुख अपनाया है और उसने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये हैं। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने से उसके द्वारा हमारी सरकार को दिये गये आश्वासनों का उल्लंघन हुआ है। हमें दुःख है कि उसने हमारे देश के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की।

अमरीका ने भारत की 60 करोड़ जनता की बात को न मानकर याहियां खां के सैनिक शासकों की बात मानकर अच्छा काम नहीं किया। अमरीका के इस रुख का प्रतिक्रिया होगी।

शरणार्थियों को भारत से वापिस जाना होगा। यह विश्व को देखना है कि जब समझौता हो जाये तो शरणार्थी वापिस लौट जायें।

इसका निर्णय पूर्व बंगाल की जनता ने करना है हमने नहीं। यदि इस बारे में पूर्व बंगाल कोई ऐसी व्यवस्था करता है कि शरणार्थी स्वयं वापिस चले जायें तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि शरणार्थी यहीं रहते हैं तो हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम ऐसी कार्यवाही करें कि वे सुरक्षा से वापिस जा सकें। यदि बड़े देश ऐसा नहीं करते तो विस्फोट के लिये वे ही दोषी होंगे। अमरीका द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही से लोगों में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है। भारत की 60 करोड़ जनता में शक्ति और एकता है और भारत में अपने देश की रक्षा करने की क्षमता है।

देश के सम्मान की रक्षा के लिये भारत सरकार की जनता और संसद् प्रधान मंत्री के साथ हैं। श्री स्वर्ण सिंह के दौरे में प्राप्त हुई सफलता की मैं सराहना करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमान जी, हीरेन मुखर्जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अब यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो गई है कि अमरीकी साम्राराज्यवाद की दुरंगी नीति है। इतना होने पर भी यह भ्रम सदा बना रहेगा कि भारत मुंह से जो भी कहता रहे, भारत की सरकार अमरीकी धन के बोझ से इतनी अधिक दबी हुई है कि वह अमरीकी साम्राराज्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का साहस नहीं कर सकेगी। मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी भारत की जनता और हमारा सत्ताधारी दल अमरीकी साम्राज्यवाद की दुरंगी चाल को समझ ले, हमारे समूचे देश के लिए और विशेषकर बंगला देश की जनता के लिए, यह उतना ही अच्छा होगा।

यह बात केवल अमरीकी साम्राज्यवाद की ही नहीं है। अब तो ब्रिटिश सरकार के विदेश मंत्री का वक्तव्य भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। श्री ऐलस का कहना है कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बंद करने का मतलब होगा गरीबी और दुःखो के क्षेत्रों की ओर अधिक बढ़ावा देना। अतः यह स्पष्ट है कि केवल अमरीका सरकार ही नहीं अपितु ब्रिटिश सरकार भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बंद करने वाली नहीं है। अतः इस सदर्भ में भारत को दिया गया आश्वासन दुरंगा है। एक तरफ वह भारत को आश्वासन देते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ भी अपना व्यवहार ज्यों का त्यों बनाये हुए हैं। अतः अब विदेश मंत्री महोदय यह भ्रम पैदा करने का प्रदान कर रहे हैं कि इन साम्राज्यवादी शक्तियों के हस्तक्षेप से बंगला देश की समस्या का कोई राजनीतिक हल निकल आयेगा।

इन विश्व शक्तियों के मस्तिष्क में इस समस्या का राजनीतिक हल क्या है ? क्या ब्रिटिश सरकार का भी इस समस्या के राजनीतिक हल से वही आशय है जो कि भारत सरकार का है ? ब्रिटिश सरकार के विदेश मन्त्री द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य जारी किये गये हैं। उनसे तो यह बात स्पष्ट होती है कि उनका विचार वहां एक कठपुतली सरकार की स्थापना करने का है। ऐसी सरकार की स्थापना करने के तुरन्त बाद पाकिस्तान सरकार यह घोषणा कर देगी कि बंगला देश में एक असैनिक सरकार की स्थापना कर दी गई है। इसी कार्य को वह एक राजनीतिक समझौते की संज्ञा भी दे सकते हैं जिसके आधार पर वह साम्राज्यवादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त कर लेगें, मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता करने का पाकिस्तान सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह बात आज के समाचारपत्रों में, श्री याहया खां के आर्थिक सलाहकार के वक्तव्य से और भी स्पष्ट हो जाती है।

बंगला देश की जनता सदा ही भारत सरकार पर बहुत अधिक भरोसा करती रही है। वहां के लोगों को यह पूर्ण आशा थी कि भारत सरकार द्वारा बंगला देश की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी जायेगी। भारत उन्हें सभी प्रकार की नैतिक तथा सशस्त्र सहायता देगा। परन्तु हुआ क्या ? हमारी सरकार गत तीन महीनों से निरन्तर मान्यता के प्रश्न को टालती चली आ रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बंगला देश के स्वतन्त्रता सग्रामियों का मनोबल गिर गया है, वह अपने देश को पूर्णतया स्वतन्त्र करवाने के सम्बन्ध में पूर्णतया उदासीन हो गये हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई गई थी। अवामी लीग के 22 असेंबली सदस्य भी इस बैठक में उपस्थित होने की सहमत हो गये। अगर वहां प्रजांतत्रीकरण का यही रूख चलता रहा, तो दल बदलने की घटनाओं की संभावना और भी बढ़ सकती है। इस प्रकार पाकिस्तान की सरकार इस समस्या का कोई राजनीतिक हल निकालने का कुछ दिखावा कर सकती है और प्रजातंत्र के नाम पर वह संसार के लोगों को धोखा दे सकती है। संयुक्त वक्तव्यों से यह धारणा बनती है कि भारत भी पाकिस्तान के सरकारी ढांचे के अन्तर्गत ही इस समस्या का हल निकालना चाहता है। संयुक्त वक्तव्य में "पूर्वी बंगाल" के शब्द तक का उल्लेख भी नहीं किया और वहां "पूर्वी पाकिस्तान" शब्द का प्रयोग किया गया है।

अतः मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बंगला देश की समस्या के प्रति जो रूख अपनाया है उससे बंगला देश की स्वतन्त्रता संग्रामियों के स्वाधीनता संग्राम को काफी धक्का पहुंचा है। हमारी सरकार की नीतियां जनता में भ्रांति उत्पन्न कर रही है। यही कारण है कि आज तीन महीने व्यतीत होने के बाद भी भारत सरकार केवल अपनी पहले वाली बात को दोहरा रही है और

अपनी 31 मार्च की पूर्व स्थिति से पीछे हटने का प्रयास कर रही है। इससे पूर्व सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया था कि सरकार बंगला देश को मान्यता देने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगी।

अब भारत में आये 70 लाख शरणार्थियों की समस्या को ही लीजिये। भारी संख्या में जो शरणार्थियों का आगमन हो रहा है, उसका सीधा संबंध बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम से है। यदि भारत सरकार ने बंगला देश की प्रभुत्व-सम्पन्न अंतरिम सरकार को मान्यता दे दी होती और स्वतन्त्रता संग्रामियों को यथासम्भव सहायता की होती तो यह संघर्ष इस स्थिति को न पहुंचा होता। लोगों के मन में विश्वास की भावना जागती और वह शरणार्थी वहीं रहते और भारत के समक्ष आज शरणार्थियों को यह समस्या मुंह बाये न खड़ी होती। यह ठीक है कि वक्तव्य में यह बात कही गई है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाये, जिससे कि शरणार्थी लोग विश्वास के साथ अपने घरों को वापिस जा सकें। परन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जबकि बंगला देश एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जाये। यदि बंगला देश पाकिस्तान के नियन्त्रण से निकल जाता है तो निश्चय ही यह लोग वापिस चले जायेंगे। इसीलिए हम बार-बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि बंगला देश को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये और स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों को यथासम्भव सहायता दी जानी चाहिये। हम युद्ध के विरोधी हैं। युद्ध याहयां खां के हाथ में विश्व मत संग्रह करने का एक बहुत बड़ा शस्त्र साबित हो सकता है। इसीलिए हम उन लोगों का भी विरोध करते हैं जो युद्ध की बात करते हैं। सच तो यह है कि बंगला देश के लोगों की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता बंगला देश के वर्तमान संघर्ष पर ही आधारित है। उन्होंने सरकार बना ली है और उस सरकार को मान्यता प्रदान कर उनकी सहायता करना हमारा कार्य है। ऐसी परिस्थितियों में ही शरणार्थियों को वापिस भेजने के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है।

डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारा देश बहुत नाजुक दौर में से गुजर रहा है और मैं समझता हूं कि यह स्थिति हम सब से मांग करती है कि हमारा संबंध चाहे किसी भी दल से क्यों न हो, हमें इस समस्या पर दलगत दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये। इस समस्या पर समूचे राष्ट्र की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ समय के लिए हमें अपनी आन्तरिक नीतियों को एक ओर रख कर, केवल बंगला देश की समस्या की ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिये।

श्रीमान जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं कि अमरीका ने जो कुछ किया है, वह गलत है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र भेजने का कार्य उसको उसी पुरानी नीति का परिचायक है जो भारत और पाकिस्तान को सदा एक समान मानती रही है। यह नीति भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ शक्ति संतुलन कायम रखने की अमरीका की इच्छा पर आधारित है। मैं समझता हूं कि अब अमरीकी सरकार को यह अनुभव करना चाहिये कि अब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का समय आ गया है। उसे विश्व मत, हमारे मत और इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था को सदा ध्यान में रखना चाहिये।

वियतनाम में जो कुछ हुआ है उससे वह भली भांति अवगत है। इस क्षेत्र में भी उनके कुछ स्वार्थ निहित है। अब उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति के संतुलन के बारे में अपने पुराने मूल्यांकन को बदलना चाहिये। अब समय आ गया है जबकि उन्हें हमारे उपमहाद्वीप में शस्त्रास्त्र भेजना बन्द कर देना चाहिये।

अब मैं पुनः अपने मुख्य प्रश्न पर ही आता हूं। विदेश मन्त्री महोदय की यात्रा ने निश्चय ही हो इस समस्या की ओर विश्व के अन्य देशों का ध्यान आकर्षित किया है। विदेश मन्त्री की यात्रा का मुख्य उद्देश्य विदेशी सरकारों को यह अनुभव करना था कि बंगला देश की समस्या, केवल पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं है। यह समस्या केवल लाखों शरणार्थियों को भोजन खिलाने के लिए डालर प्राप्त करने की भी नहीं है अपितु यह इन समस्याओं से कहीं अधिक बड़ी है। यह विश्व के इस भाग की शांति और सुरक्षा की समस्या है। यह बात वह विश्व के सम्मुख स्पष्ट करने में सफल हुए है और यदि उनकी यात्रा का उद्देश्य यही था तो मैं समझता हूं कि उनको विदेश यात्रा सफल रही है।

आज वाशिंगटन, लन्दन और बोन आदि में यह बात पूर्णतया स्पस्ट हो गई है कि बंगला देश की समस्या किसी भी प्रकार एक आंतरिक समस्या नहीं है। यदि गैर बंगाली लोग बंगालियों पर अत्याचार करें उनका दमन करें तो क्या यह एक आंतरिक समस्या रह सकती है? यह निस्संदेह एक आंतरिक समस्या नहीं है और इस मामले का सम्बन्ध विश्व के सभी लोगों से है।

यह तो सत्य है कि जो शरणार्थी भारत आये हैं वे भारत के नागरिक नहीं है और न ही हम उन्हें इस देश में रखना चाहते हैं। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। वह हमारे पड़ोसी है और पड़ोसी होने के नाते हम उनकी यथा सम्भव सहायता करना चाहते हैं। परन्तु हम उन्हें सदा के लिए अपने पास नहीं रखना चाहते। प्रधान मंत्री ने अपने श्रीनगर के वक्तव्य में यह वात पूर्णतया स्पष्ट कर दी है कि शरणार्थियों को वापिस जाना ही पड़ेगा और यह बात हम सवको भी स्पष्ट दी जानी चाहिये।

मैं वहुत अधिक बोलने वाले व्यक्तियों में से तो नहीं हूं, परन्तु भारत का देशभक्त नागरिक होने के नाते मुझे इस देश के मामलों को कुछ राजनीतिक जानकारी अवश्य है। हम अमरीका से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता इस समस्या के लिए नहीं लेना चाहते। हम उसके डालरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, किन्तु यदि अमरीका स्वयं कोई सहायता करना चाहता है तो वह एक अलग बात है। हमारी वास्तविक समस्या डालर प्राप्त करने की नहीं अपितु वास्तविक समस्या शरणार्थियों को वापिस भेजने की है। जब तक इस समस्या का कोई राजनीतिक हल नहीं खोजा जाता तब तक यह समस्या सुलझाई नहीं जा सकती।

श्रीमान जी, यह खुशी की बात है कि राजनीतिक हल के बारे में इस सभा में चर्चा की गई है। इस राजनीतिक समझौते की सवसे पहली वात यह होनी चाहिये कि शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा किया जाना चाहिये। अवामी लीग, जिसे कि चुनावों में भारी बहुतमत प्राप्त हुआ है उससे बातचीत की जानी चाहिये। यदि अवामी लीग बंगला देश चाहती है तो उनकी बंगला देश की मांग स्वीकार की जानी चाहिये और यदि वह स्वतन्त्रता की इच्छुक है तो उसे स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। अतः यह समझौता पाकिस्तान और बंगला देश के लोगों के मध्य होगा, हमारे साथ नहीं। जहां तक हमारा संबंध है हम तो केवल राजनीतिक समझौता चाहते हैं क्योंकि बिना राजनीतिक समझौते के ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो सकती जिनके अन्तर्गत शरणार्थी वापिस जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है वह असहनीय है। यदि आप तकनीकी भाषा में इसे आक्रमण की संज्ञा नहीं दे सकते फिर भी वास्तव में यह है आक्रमण ही। इस

प्रकार साठ लाख लोगों को हमारी सीमा में धकेल दिया गया है । क्या आप इस समस्या को पाकिस्तान का आंतरिक मामला ही कहेंगे ? नहीं, यह तो विश्व की आत्मा की आवाज का प्रश्न है । परन्तु अब यह केवल मात्र भारत की समस्या बन गया है और भारत मूल रूप से इसका राजनीतिक समझौता चाहता है । हम संसार को यह विश्वास दिलाना चाहते है कि उन्हें हम पूरा अवसर दे रहे हैं । अब अन्य देश यह नहीं कह सकते कि उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं थी । राजनीतिक समझौते का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है कि शरणार्थी लोग वापिस अपने घरों को जायेंगे या नहीं । अतः मेरा यह निवेदन है कि विदेश मंत्री महोदय को यह बात पूर्णतया इस सभा में स्पष्ट कर देनी चाहिये कि राजनीतिक समझौते से उनका अभिप्राय क्या है ? भारत को संसार के समक्ष इस संबंध में अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर देनी चाहिये । जब विदेश मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण देश उनके साथ होगा । परन्तु यदि कहीं ऐसा समझौता नहीं हो पाता, तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जायेगा ।

मैं यह जानता हूं कि हमारा देश बहुत शक्तिशाली देश नहीं है । यह ठीक है कि यहां 60 करोड़ लोग रहते हैं परन्तु केवल जनसंख्या से कुछ नहीं बनता । किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमने बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारुद के बिना ही एक बड़े साम्राज्य से टक्कर ली थी और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था । अतः हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति मनोबल की है । हम कुछ समय तक प्रतीक्षा करेंगें कि इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण हल निकल आये, परन्तु यदि ऐसा न हुआ तो हम कोई भी एकतरफा निर्णय करने को बाध्य हो जायेंगे ।

मैं यह समझता हूं कि विदेशों के बहुत से लोग यह समझते हैं कि भारत के लोग बहुत नम्र स्वभाव के, बहुत अच्छे और बहुत सहनशील होते हैं । वह कुछ समय शोर करने के बाद स्वंय ही शांत हो जायेंगे । अतः अब हमें विश्व को यह स्पष्ट करना होगा कि भारत इस प्रकार शांत होने वाला नहीं है । यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है । हमें विश्व को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि यदि कुछ उचित समय में, बंगला देश की समस्या का समाधान, बंगला देश के लोगों की इच्छानुसार, जिसमें कि शरणार्थियों का वापिस लौटना भी शामिल हो, नहीं किया जाता, तो भारत इस समझौते के लिए कोई भी कार्यवाही करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होगा ।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत किये गये, बंगला देश से सम्बन्धित संकल्प पर विचार कर रहे हैं । इसके साथ ही सभा विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह के वक्तव्यों पर भी विचार कर रही है । भारत सरकार की धारणाओं को इस संकल्प में स्पष्ट कर दिया गया है ।

मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक नेता अथवा भारत सरकार, कोई भी यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान के टुकड़े हों । मैं समझता हूं कि यदि विश्व के पूंजीवादी देशों को यह बात समझ आ जाये, तो इससे कम से कम आधी समस्या तो हल हो जाती है । परन्तु मुझे इस बात में पूर्णतया संदेह है कि हमारे विदेश मंत्री महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा विश्व की अन्य सरकारों को यह बात समझाने में सफल हुये हैं । श्री स्वर्ण सिंह प्रातः से ही आलोचना के पात्र बने हुये हैं । मुझे उनसे पूर्ण सहानुभूति है । परन्तु यदि विश्व के देश, हमारे साथ मित्रता नहीं निभाहना चाहते, वह हमारी बात को नहीं समझना चाहते तो इसमें श्री स्वर्ण सिंह का क्या दोष है ?

हमारे कुछ मित्रों और मन्त्रियों ने भी बंगला देश की समस्या को स्पष्ट करने के लिए विश्व की विभिन्न राजधानियों का भ्रमण किया है। कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार भी छापा है कि श्री के० डी० मालवीय, अपना पक्ष स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। यही बात सर्वोदय लीडर श्री जय प्रकाश नारायण के विदेश यात्रा के बारे में भी कही जा सकती है। श्री जय प्रकाश नारायण न तो पूंजीवादी हैं और न ही साम्यवादी। उन्होंने भी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह बात कही है कि अब भारत की बंगला देश को अन्तरिम सरकार की मान्यता प्रदान कर देनी चाहिये। मेरा भी यही विचार है कि भारत सरकार को श्री नारायण के निष्कर्ष पर विचार करना चाहिये।

अभी हाल ही में समाचारपत्रों में चौंका देने वाली खबर छापी है कि पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार पाकिस्तान का 50 प्रतिशत बजट प्रतिरक्षा के लिए है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस ओर ध्यान देगी कि पाकिस्तान युद्ध के लिए कितनी जोरदार तैयारी कर रहा है। यदि इस तैयारी से पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था नष्ट हो रही है तो इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान की इस बड़ी तैयारी से भारत सरकार को सतर्क रहना चाहिये।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी आयुक्त श्री आगा खां ने कहा है कि वह अथवा संयुक्त राष्ट्र बंगला देश को लौटने वाले शरणार्थियों की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं दे सकते अतः इस बात से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उन्हें पाकिस्तान सरकार के इरादों अथवा नीयत के प्रति बहुत अधिक संदेह और शंका है।

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुये हम क्या कर रहे हैं? भारत सरकार का कहना है कि इस विषय के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना देश की कूटनीति के हित में नहीं होगा, परन्तु आज देश यह जानना चाहता है कि सरकार को इस समस्या के प्रति क्या नीति है। इसे अधिक देर तक लटकाया नहीं जा सकता। प्रतिदिन हमें यह बताया जाता है कि शरणार्थियों को 3 करोड़ रुपये का अन्न तथा अन्य वस्तुयें दी जा रही हैं। इसके लिए हमें 300 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। अगर इस समस्या का तुरन्त कोई हल नहीं खोजा जाता तो परिणाम क्या होगा। सरकार इन शरणार्थियों को वापिस भेजने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? बंगला देश को मान्यता देने का अर्थ युद्ध की घोषणा नहीं है। हम अपने पड़ोसियों के साथ पूर्णतया मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं परन्तु यदि वह हमारे लिए समस्यायें उत्पन्न करे तो अपने हितों की रक्षा करना तो हमारा धर्म है। अतः हमें इस समस्या को हल करना चाहिये। जब तक इस समस्या को हल नहीं किया जाता तब तक हम अपनी महत्वाकांक्षाओं का समाजवादी भारत नहीं बना पायेंगे और हमारी सभी योजनायें अधुरे में ही लटकी रहेंगी।

इसीलिए मैं प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपया समस्या की गम्भीरता को समझने का प्रयत्न करें। श्री स्वर्ण सिंह पहले ही कह चुके हैं कि विश्वमत हमारे पक्ष में है। अमरीका, रूस, इंगलैंड और भारत सभी देश शांति चाहते हैं। अतः मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह हमें विश्वास में लेकर यह बताये कि वह इस मामले में क्या करने जा रही है? हम शांति, अखंडता और प्रभुसत्ता चाहते हैं परन्तु जब हमारे देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को चुनौती दी जाती है तो उसके विरुद्ध हम संगठित होकर खड़े होंगे।

मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में कुछ लोग ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे जनता का ध्यान दूसरी ओर केन्द्रित हो जाय। सरकार के लिये एक ही रास्ता है कि वे बंगला देश को मान्यता दें और बंगला देश के निवासियों के मनोबल को बढ़ायें। मान्यता देने के पश्चात् सरकार अपनी सेना वहां भेज सकती है तथा उन्हें अन्य प्रकार की सहायता पहुंचा सकती है।

बार-बार कहा जाता है कि राजनैतिक समझौता होना चाहिए। मैं जानन चाहता हूं कि 'राजनैतिक समझौते' से सरकार का क्या तात्पर्य है। राजनैतिक समझौता बंगला देश में शेख मुजीबुर्रहमान की सरकार की स्थापना से लेकर किसी ऐसी सरकार की स्थापना तक हो सकता है जो याहिया खां की कठपुतली हो। अतः हमारे देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता दी जाय।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : पाकिस्तान को जहाजों द्वारा हथियार भेजे जाने से हमारे विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह की विदेश यात्रा की महत्वपूर्ण सफलता प्रायः समाप्त हो गई है। उन्होंने कई पश्चिमी देशों का दौरा किया। उन देशों को वस्तुस्थिति से परिचित कराया। उन देशों में जो हमारे बारे में गलत प्रचार किया गया था या भ्रान्ति फैलायी गयी थी उसका खंडन किया तथा वास्तविक समस्या की ओर उनका ध्यान दिलाने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप ही ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैन्ड्स आदि ने बंगला देश में राजनैतिक समझौते अथवा पाकिस्तान को सहायता बन्द करने की बात कही हैं।

मैंने अनेकों विस्थापितों से बातचीत की है, वे बंगला देश जाने को कृतसंकल्प हैं। बंगला देश में जो दमन चक्र चल रहा है वे उसके विरुद्ध निरन्तर युद्ध करना चाहते हैं। हमारे कुछ माननीय मित्रों का विचार यही है कि वे स्थायी रूप से यहां रहेंगे। अपने उन भाइयों से मिलने के पश्चात् जो लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे हैं, मैं अधिकारपूर्ण ढंग से कह सकता हूं कि उनमें अधिकतर बंगला देश वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिये लड़ रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति है।

इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में विस्थापित किसी दूसरे देश में आये हों। इन विस्थापितों की एकमात्र गलती यही है कि इन्होंने शेख मुजीबुर्रहमान के पक्ष में अपना मत दिया था जिसने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा समाजवाद में अपनी आस्था प्रकट की थी। मेरा पश्चिमी देशों से यही निवेदन है कि उनको इन लोगों की सहायता करनी चाहिये जो पाकिस्तानी सेना द्वारा मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में अमरीका द्वारा पाकिस्तान की सहायता किये जाने पर विचार करना है।

शरणार्थियों की समस्या एक व्यापक तथा गम्भीर समस्या है, फिर भी यह एक प्रक्रियात्मक समस्या है जो कि उन लोगों पर किये गये अकथनीय अत्याचारों से पैदा हुई है। अतः केवल राहत देने तथा उनका पुनर्वास करने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। हमें इसके लिए अन्य देशों की सहायता की आवश्यकता इसलिये भी है, क्योंकि यह एक मानवीय समस्या है। यह एक ऐसे लोगों की समस्या है, जो कि न केवल संकीर्ण राष्ट्रीयता अथवा धर्म के नाम पर एक हुये हैं अपितु जो गरीबी दूर करने के लिये एकता स्थापित करना चाहते हैं। दुःख की बात यह है कि जब हम गरीबी दूर करने के संघर्ष में लगे हैं तब अमरीका जैसी बड़ी शक्ति पाकिस्तान के तानाशाह को युद्ध मशीनों की सहायता पहुंचाने के लिये सामने आ गई है। यह आज के युग की दुखान्त घटना है।

बंगला देश के संसद् सदस्यों ने हमें बताया है कि आप लोगों को तो 60 या 80 लाख लोगों की चिन्ता है परन्तु उन 7 करोड़ लोगों का क्या होगा जो शरणार्थियों के समतुल्य ही हैं क्योंकि वे सैनिक शासन में रहना नहीं चाहते हैं। तब इस मूल समस्या का हल क्या है? इसके लिये जनमत जगाना होगा। हमें दूसरे देशों का समर्थन प्राप्त करना होगा तभी कोई राजनैतिक समझौता संभव हो सकेगा।

मैं विपक्ष के नेताओं से निवेदन करता हूं कि बंगला देश को मान्यता देने से यह समस्या हल नहीं होगी। मान्यता देना प्रत्येक बीमारी का इलाज नहीं है। हमारे विदेश मंत्री तथा प्रधान मत्री बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। हमें उन्हें अपना समर्थन देना चाहिये। हम सभी को एक होना चाहिये तथा जनमत जगाना चाहिये तभी कोई राजनैतिक समझौता संभव हो सकेगा। एकबार हम एक हो जायें, तो मुझे विश्वास है कि संसार के देश एक मत से हमारा समर्थन करेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार ने इस विषय पर जनमत की अवहेलना की है। सरकारी नीति ने हमको अभूतपूर्व कठिन परिस्थितियों में ला छोड़ा है क्योंकि सरकार बंगला देश की उभरती हुयी स्थिति में अपने हितों को नहीं पहिचान सकी है। आरम्भ से अब तक यही कुछ हुआ है।

विदेश मंत्री का छः राष्ट्रों का दौरा परम आवश्यक था परन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें दौरे के महत्वपूर्ण देशों से आशाजनक सफलता नहीं मिली है। सम्पूर्ण स्थिति के प्रति सरकार की गलत पहुंच के कारण भारत सरकार की कूटनीति पाकिस्तान से पिछड़ गयी है। भारत के विदेश मंत्री तथा अन्य दूसरे मंत्रियों के विदेशों में जाने से पूर्व ही पाकिस्तान वहां अपने पक्ष की वकालत कर चुका था।

संभवतया, विश्व के किसी भी राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता के लिये इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ी जितनी बंगला देश के निवासियों को चुकानी पड़ी है। मानवता की पुकार के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है, अभी भी चल रहे भयानक विनाश के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है? पाकिस्तान को वे प्यार करना चाहते हैं, सहायता पहुंचाना चाहते हैं परन्तु भारत के साथ केवल सहानुभूति प्रदर्शित करना तथा उसकी स्थिति पर तरस खाना चाहते हैं।

दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बंगला देश की घटना को बहुत बड़ा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामला नहीं मानतें वे इसे पाकिस्तान का घरेलू मामला मानते हैं जो कि पाकिस्तान को स्वयं निपटाना चाहिये। यही कारण है कि वे मानवीय संहार की इतनी बड़ी घटना से द्रवित नहीं हुये हैं। वे पुराने शक्ति ढांचे के संदर्भ में ही इस क्षेत्र की स्थिति पर विचार करते है और इस शक्ति ढांचे को हानि पहुंचे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते। उन्हें इस बात का भी भय है कि कहीं चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव न जमा बैठे। उन्हें इस बात का भय है कि इस मामले में चीन हस्तक्षेप कर सकता है और इस प्रकार उन्होंने इस क्षेत्र पर चीन प्रभाव स्वीकार कर लिया है। यह बात स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पाकिस्तान ने अधिक चालाकी से काम लिया है। वास्तव में यह एक ऐसा ढोंग है जिससे पाकिस्तान मानवता के प्रति अपने जघन्य अपराध से बच निकला है। यही नहीं, इसी ढोंग से विश्व के देशों से आवश्यक सहायता तथा समर्थन प्राप्त कर सकता है। जहां तक राजनीति का सम्बन्ध है विश्व के देश बंगला देश के निवासियों के संतोष के विरुद्ध याहिया खां की सन्तुष्टि का

समझौता कराने की बात सोचते हैं। जब तक हमें यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हम इस समस्या का सामना नहीं कर सकते।

विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया के विषय में अधिक कुछ नहीं बताया है। वे नरसंहार के विषय में किसी सम्मेलन की बैठक भी नहीं कराना चाहते। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के नये प्रकार के इस आक्रमण से भारत को अपनी सुरक्षा करने के लिये कोई सहायता नहीं देना चाहता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह भी एक प्रकार से पाकिस्तान का आक्रमण ही है। परन्तु विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में कोई ऐसी बात नहीं कही है कि संसार के देशों ने पाकिस्तान के इस आक्रमण से भारत को अपनी सुरक्षा करने देने के सम्बन्ध में हमारे विदेश मंत्री से सहमति व्यक्त की हो।

मुझे दो महाशक्तियों के व्यवहार पर भी आश्चर्य होता है। इनका व्यवहार पाकिस्तानके समर्थन में है। इनमें से एक का व्यवहार पाकिस्तान को सक्रिय रूप से सहायता देकर नरसंहार के लिये लालायित करना है। हमारे विदेश मंत्री तथा रूस के विदेश मंत्री की बैठक के पश्चात् जारी की गई विज्ञप्ति से स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत संघ का रवैया भी इस सम्बन्ध में निराशाजनक है। कनाडा तथा ब्रिटेन का रवैया इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट और प्रोत्साहन देने वाला है। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री विश्व के देशों को बता दें कि स्थिति बहुत शीघ्र ही सहन सीमा को पार कर जायेगी। प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र से भी निवेदन करें कि वह बंगला देश में नरसंहार रोकने, शान्ति स्थापित करने तथा वहां के लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये ठोस कार्यवाही करें। उन्हें बड़ी शक्तियों, विशेषता सहायता देने वाली बड़ी शक्तियों से अनुरोध करना चाहिये कि वे पाकिस्तान को पागलपन से रोकने के लिये आर्थिक शक्ति का प्रयोग करें।

जब सुरक्षा परिषद् ने इस मामले में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में कोई शिष्ट मंडल भेजने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

सरकार को अमरीकी सरकार के व्यवहार के प्रति अपना तथा देश का रोष व्यक्त करना चाहिये। परामर्श के लिये अपने राजदूत को वापस बुलाना चाहिये। और हमें अपने राजदूत को तब तक वहां वापस नहीं भेजना चाहिये जब तक कि वे भारत के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं। वहां से शरणार्थियों के लिये दी जाने वाली सहायता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : पश्चिमी देश दक्षिण एशिया में भारत तथा पाकिस्तान के बीच शक्ति सन्तुलन बनाये रखना चाहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इन्हीं देशों ने पाकिस्तान बनाया था, इसलिए यह भारत पर रोक लगाना चाहते हैं जिससे जिस प्रकार भी वे देश चाहें शक्ति सन्तुलन में फेर बदल कर सकें।

जब संसार भर के सभी समाचार पत्रों में बंगला देश की समस्या प्रथम पृष्ठों पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित हुयीं तब भारत तथा पाकिस्तान के मामलों पर निगाह रखने वालों ने खामोशी अपना ली थी केवल यह जानने के लिये कि क्या भारत कोई निश्चयात्मक कदम उठाता है। बंगला देश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारी सरकार धैर्य दिखा कर सद्व्यवहार के प्रमाण एकत्र करती रही परन्तु कोई निर्णतात्मक कार्यवाही करने में असफल रही जिससे स्थिति एकदम बदल सकती थी।

इससे पाकिस्तान ने स्थिति का लाभ उठाया और पुनः शक्ति प्राप्त कर ली और वह इस बात को सिद्ध करने में सफल हो गया कि वह भारत पर प्रभावी रूप से रोक लगाने में सक्षम है। अतः वे देश जो खामोशी से घटनाओं का अध्ययन करने में लगे थे पाकिस्तान के समर्थन की बात करने लगे। वे जानते हैं कि शरणार्थियों के लिये मानवीय सद्भावना के नाते सहायता देकर भारत के प्रति अपनी उदारता प्रदर्शित कर सकते हैं और उनका यह कृत्य पाकिस्तान के विरोध में नहीं होगा क्योंकि प्रमुखतया जिन लोगों की सहायता की जा रही है वे पाकिस्तानी राष्ट्रिक ही हैं।

वास्तविक प्रश्न यह है कि वे भारत के लिये क्या करना चाहते हैं? मुख्य समस्या के विषय में उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है? खेद का विषय है कि विदेश मंत्री के दोनों वक्तव्यों में इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

आज हमारे सामने शरणार्थियों की समस्या है और उनका आना अब भी जारी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या का हल क्या है? हमें संसार के देशों को बता देना चाहिये कि एक ओर हथियारों की सप्लाई और दूसरी ओर सहानुभूति प्रदर्शन की दुरंगी चाल से समस्या सुलझाने वाली नहीं है। हमारे विदेश मंत्री, जिनसे मुझे पूरी सहानुभूति है, ने विदेशों से लौटकर वक्तव्य दिया कि अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना बन्द कर दिया है। परन्तु तथ्यों का रहस्योद्घाटन इस वक्तव्य की विपरीत दिशा में हुआ जिससे हमारे सामने कठिनाईयां पूर्ववत् बनी रहीं।

हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस समस्या में सम्मिलित करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि ये प्रयत्न सफल नहीं होते तब यह सोचना चाहिये कि हमें अब कौन से कदम उठाने हैं!

जब तक संसार में हमारे शब्दों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता तब तक हमें अमरीका की तरह के झूठे आश्वासन दिये जाते रहेंगे।

अमरीका शरणार्थियों के लिये 700 लाख डालर की सहायता कर सकता था। वह यह भी कह सकता है कि वह और भी अधिक सहायता देगा। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे अमरीका अथवा अन्य देशों द्वारा दिये गये आश्वासन पूरे कराये जा सकें अन्यथा वे अर्थहीन सिद्ध हो जायेंगे।

मुझे भय है कि यदि स्थिति को इसी प्रकार चलने दिया गया तो संभव है कि हमें ऐसे समय और स्थान पर पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिये विवश कर दिया जायेगा जो उसकी पसंद का हो, जैसे पाकिस्तान द्वारा उसकी जानबूझ कर की गई कार्यवाही के कारण हमें शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम दोनों ही के लिये यह एक दुखद बात होगी। लड़ाई से कभी भी समस्यायें हल नहीं हुयी हैं। पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध तीन बार बल का प्रयोग किया है, उसे सबक सिखाया जाना चाहिये कि इस प्रकार के बल प्रयोग से कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिये मैंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान तथा कुछ अन्य मित्रों को दृढ़ता दिखायें ताकि हम किसी वास्तविक समझौते पर पहुंच सकें और नये संबंध स्थापित कर सकें।

यदि पाकिस्तान शरणार्थियों को वापस बुलाने, उनके वापस जाने के लिये परिस्थितियां पैदा करने, शेख मुजीबुर्रहमान के साथ समझौता करने में असफल रहता है.... (व्यवधान) क्या हम पाकिस्तान द्वारा पहल करने की प्रतीक्षा करते रहें? क्या यह उचित नहीं होगा कि इस कार्य को बंगला देश के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाय कि वे बंगला देश में शरणार्थियों को वापस जाने के लिये परिस्थितियां उत्पन्न करें?

श्री इराज्मुद सेंकैरा (मारमागोआ) : विदेश मंत्री को बोन, पैरिस तथा ओटावा की अपनी यात्रा में जो सफलता मिली है उसके लिये वह वधाई के पात्र हैं। कनाडा के विदेश मंत्री श्री शार्प विशेष रूप से वधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने बंगला देश के हितों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। विदेश मंत्री की अन्य देशों की यात्रा के परिणाम इतने उत्साह-वर्धक नहीं रहे हैं।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के विषय में सदन के सभी वर्गों द्वारा व्यक्त चिन्ता से स्वयं भी चिंतित हैं। परन्तु उन्होंने इस देश को धोका देने के सम्बन्ध में हमारी घृणा को जरा भी अभिव्यक्त नहीं किया है।

अमरीकी अधिकारियों ने परराष्ट्र विभाग के 17 जून के वक्तव्य में यह आशा व्यक्त की थी कि दोनों देश अपने पर संयम रखेंगे। क्या पाकिस्तान संयम दिखा रहा है ?

अब रूस के दौरे की ओर दृष्टि डालिये। संयुक्त वक्तव्य को देखिये। रूस तथा हमारे मंत्री महोदय ने सर्वप्रथम रूस-भारत मैत्री तथा एशिया और विश्व में शान्ति बनाये रखने की बात की। इसके पश्चात् हिन्द चीन से लड़ाई समाप्त करने, पश्चिम एशिया के सम्बम्ध में राजनैतिक समझौता, योरोपीय सुरक्षा तथा निःशस्त्रीकरण आदि के विषय में सहमति व्यक्त की। इसके पश्चात् बंगला देश के बारे में कहा गया है। क्या रूस ने हमें न केवल वर्तमान स्थिति में, अपितु भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की परिस्थितियों में संयम रखने को कहा है ? हमारे मंत्री महोदय ने रूसियों के सामने जोरदार शब्दों में उस बोझ का उल्लेख किया जो हमें शरणार्थियों के सम्बन्ध में उठाना पड़ रहा है दुर्भाग्यवश हमें रूस से कोई ठोस सहायता नहीं मिली है।

बंगला देश की घटनाओं में पांच देशों—पाकिस्तान, भारत, अमरीका, रूस तथा चीन की विशेष रुचि है। पाकिस्तान पूर्वी बंगाल को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाये रखना चाहता है, इसलिये विश्व के मत की चिन्ता किये बिना ही उसने दमन तथा नरसंहार की नीति का सहारा लिया है। अमरीका अपने मित्र राष्ट्र पाकिस्तान की सैनिक शक्ति बनाये रखना चाहता है इसीलिये वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उन्हें विश्वमत की चिन्ता नहीं है। वे केवल अपने हितों की सुरक्षा कर रहे हैं।

चीन चाहता है कि यह संघर्ष लम्बा हो। अतएव वे गुप्त रूप से इस दमन का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें चटगांव में नौसैनिक अड्डा बनाना है चाहे वह किसी प्रकार से बने।

यदि हम पड़ोसी देश में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम अपना प्रभाव कैसे बनाये रख सकते हैं। हमने वहां नरसंहार होने दिया। यह हमारे हित में था कि हम पर 60 लाख शरणार्थियों का बोझ न पड़ता यदि हम पहले ही कोई कार्यवाही कर देते। परन्तु फिर भी शरणार्थियों का आगमन हो रहा है।

सरकार को चाहिए कि वह वास्तविकता के धरातल पर अपने पांव रखे, हमें विश्व को बता देना चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियां पैदा की जायें जिससे शरणार्थियों को बंगला देश वापिस जाने का अवसर मिले। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि एक नियत तिथि तक शरणार्थियों को वापिस चले जाना चाहिए। हमें यह भी बता देना चाहिए कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं परन्तु यदि स्थितियां अनकूल बनाई जाती हैं तो हमारे पास क्या विकल्प हो सकता है इसका अनुमान वे स्वयं लगा सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : अमरीका का प्रशासन बड़ी दक्षता से समूचे विश्व में तानाशाही और प्रतिक्रियावादी शासनों का समर्थन कर रहा है और साथ ही साथ अपने मित्रों को शत्रुओं में परिवर्तित कर रहा है। एशिया के इतिहास में, जब लाखों लोग तानाशाही के शिकंजो से अपने को छुड़ाना चाहते थे, अमरीका को अपना अच्छा अवसर मिला था कि वह अपना अच्छा रूप यहां पर बना ले परन्तु उसने उसे खो दिया है, भारत की जनता, बंगला देश और समूची मानवता ने अमरीका की इस बात की भर्त्सना की है कि वह एक ओर तो हमारे विदेश मंत्री से मीठी बातें कर रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई कर रहा है।

मैं उनका ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। बंगला देश के बारे में अब कोई विवाद नहीं है, बंगला देश एक तथ्य बन चुका है, समूचे विश्व की जनता, प्रेस आदि अधिक से अधिक "बांगला देश" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Skri K. N. Tiwari *in the Chair*]

मेरे विचार में यह एक विरोधाभास है कि हमने बंगला देश को सब प्रकार से मान्यता दी हुई है परन्तु हम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि बंगला देश स्वतंत्र राज्य है। यह भारत-पाक संघर्ष नहीं हैं अपितु बगला देश की 70 लाख जनता अपने आपको तानाशाही और अत्याचार से मुक्त कराने को प्रयत्नशील है अतएव यह बंगला देश की जनता द्वारा की गई क्रांति है। जिस प्रकार फासिस सरकारों ने अन्य देशों में कठपुतली सरकारों की स्थापना की थी उसी प्रकार याहया खां भी ढाका में कठपुतली सरकार की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं। यदि ऐसा होता है तो मुझे विश्वास है कि बंगला देश की जनता उसे सहन नहीं करेगी। भारत ने हमेशा सभी प्रकार के साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, चाहे वह अमरीका की ओर से हो या किसी अन्य देश की ओर से, विरोध किया है। यह युद्ध उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ा जा रहा है।

विश्व बैंक के पश्चिम एशिया विभाग के निदेशक श्री कारगिल ने बंगला देश के बारे में अपने प्रतिवेदन में बताया है कि पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासन ने पूर्वी बंगाल में आंतक का साम्राज्य फैलाया हुआ है, वहां का शहरी जीवन बिलकुल ठप्प प्रायः हो चुका है तथा वहां की अर्थ व्यवस्था खराब हो गई है। वहाँ के गुरिल्ला सक्रिय हैं। इस प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानी युद्ध कर रहे हैं और अन्त में उनको अवश्य जीतना चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि बंगला देश में चलाया जाने वाला मुक्ति आंदोलन हमारा और वहां की जनता का आन्दोलन है। विश्व का जनमत वहां हो रहे नरसंहार, बलात्कार आदि के प्रति मौन धारण नहीं करेगा। हमें आशा है कि जो हमारे मंत्री विदेशों में वस्तुतथ्य बताने जा रहे है उसे वहां की जनता ध्यान से सुनेगी। हमें निराशावादी तरीके से नहीं सोचना चाहिए। 60 लाख शरणार्थी भारत आए हैं और यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। मेरा सुझाव है कि बंगला देश की सीमा में 25 मील का क्षेत्र इन शरणार्थियों को बसाने के लिए नियत किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार पूरी ईमानदारी से ऐसा करेगी और विश्व समुदाय और भारत सरकार इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से कर लेंगे।

पश्चिमी देशों का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि एशिया के देश आन्तरिक विवादों में ही उलझे रहें। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक उन्होंने अविकसित देशों को युद्ध का जो सामान दिया है वह यह बताता है कि उनका दृष्टिकोण क्या है, वे एशिया के देशों को अपने शस्त्रास्त्र बेचकर क्रांति युद्ध को बनाये रखना चाहते हैं। हमें एशिया के देशों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए। हमारे मंत्री एशिया के देशों को क्यों नहीं जाते हैं। हम शान्ति चाहते हैं, बंगला देश के प्रति हमारा विशेष उत्तरदायित्व है, शान्ति के रक्षक के नाते हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिये, चूंकि वहां आपात स्थिति है इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को राष्ट्रीय आपात परिषद् की स्थापना करनी चाहिए जो यह देखे कि क्या-क्या घटनाएं वहां पर घट रही हैं। पूर्वी क्षेत्र में लगभग आपात स्थिति है। यद्यपि वर्तमान स्थिति में वास्तव में कोई युद्ध नहीं है परन्तु वह युद्ध की धमकी के बराबर है, इसलिए एक प्रकार से राष्ट्रीय आपात स्थिति है। यह स्थिति किसी भी समय गम्भीर रूप ले सकती है। हमें इसके लिए तैयार रहना है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : अमरीकी सरकार ने अपने दिये हुए आश्वासनों को जिस प्रकार तोड़ा है उसकी मैं निन्दा करता हूं, वैसे संभव है कि हमारे विदेश मंत्री गलती पर हों अथवा अमरीकी सरकार गलती पर हो परन्तु, मैं अभी तक यह पता नहीं लगा सका हूं कि क्या उन जहाजों में पाकिस्तान के लिए कोई शस्त्रास्त्र थे।

मुझे बताया गया था कि भारत सी० आई० ए० और के० जी० बी० की भांति एक एजेंसी स्थापित कर रहा है। जब हमने इस एजेंसी के सदस्यों को अन्य देशों में भेजा था तो उन्होंने हमें यह सूचना क्यों नहीं दी थी कि न्यूयार्क के एक बड़े बन्दरगाह में जहाज पर क्या लादा जा रहा है। इस लिए इस विशेष जहाज में लदे माल के बारे में मुझे संदेह है।

अमरीका ने अपने उन सब आश्वासनों को तोड़ा है जो उसने पहले हमें दिये थे। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में भी यही बात कही थी। जब अन्य सरकारें इस प्रकार से व्यवहार करती हैं तो हमारे साथ भी कोई गलती अवश्य हुई है, जहां तक अमरीकी सरकार का सम्बन्ध है। वह न केवल हमें धोखा दे रही है अपितु अपनी जनता को भी धोखा दे रही है। वहां सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग को धोखा दे रहा है। यह तो केवल हमारे जैसे नियमित लोकतंत्र देश में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें सब समान रूप से सोचें।

मेरे विचार में इस सरकार ने कभी यह नहीं बताया कि उसका पाकिस्तान के प्रति क्या दृष्टिकोण है। आज बंगला देश का मामला और शरणार्थियों की समस्या मुख्तः हमारे पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।

मैं नहीं जानता कि इस सरकार का उद्देश्य क्या है। इसने बंगला देश के बारे में कहा है कि यह पाकिस्तान और बंगला देश का आपसी संघर्ष है, हमारी सरकार कहती है कि बंगला देश की समस्या वहां की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सुलझानी चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए जिसमें वे सुरक्षा, गौरव और सम्मान के साथ वापिस जा सकें। सभी माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि शरणार्थियों को वापिस जाना चाहिए परन्तु क्या कभी उनसे यह भी पूछा गया है कि क्या वे वापिस जाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें वापिस भेजने की स्थिति में है? यद्यपि सरकार यह नहीं बताती है कि वह अपने इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगी परन्तु मैं देख रहा हूं कि वह विदेशों में

बड़ी संख्या में शिष्टमंडल भेज रही है' यह एक परम्परा सी बन गई है कि विदेशों में जाकर वहां के लोगों को समझाओ। मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि मुस्लिम मंत्रियों को मुस्लिम देशों में भेजा गया परन्तु मैं नहीं जानता कि उन्होंनें वहां जाकर क्या किया।

कनाडा के उप प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह प्रंशसनीय है। उन्होंने अपनी संसद में कहा है कि हम सभी राजनैतिक समझौते के लिये दबाव डाल रहे हैं और वर्तमान स्थिति से निपटने का एकमात्र उपाय भी यही है। जब तक पाकिस्तान में ऐसा कोई राजनैतिक समझौता नहीं होगा बंगाल के शरणार्थी भारत में रहते रहेंगे और शान्ति के लिये खतरा बना रहेगा। उन्होंनें बताया है कि समझौता इसी रूप में हो सकता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को पाकिस्तान, विशेषतया पूर्वी पाकिस्तान की सत्ता सौंप दी जाये।

संयुक्त वक्तव्य इतने अच्छे नहीं है। रूस वालों ने अपने उद्देश्यों जैसे हिन्द चीन में युद्ध की समाप्ति मध्य-पूर्व के संकट को निपटाने के लिये राजनैतिक समझौता, योरोपीय सुरक्षा को सुनिश्चित करनातथा पूर्ण निरस्त्रीकरण, आदि की पूर्ति के लिये विदेश मंत्री से सहमति कराने के पश्चात यह बात बताई है कि पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थियों के आजाने से जो गम्भीर स्थिति पैदा हुई है हमने उस पर भी चर्चा की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री ने रूस की प्रेसीडियम के चेयरमैन श्री एन० वी० पोदगार्नी द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भेजे गये संदेश पर धन्यवाद दिया। इस संदेश में कहा गया है कि शान्तिपूर्ण ढंग से राजनैतिक समझौता करना समस्त पाकिस्तानी जनता के हित में है। समझ में नहीं आता कि हमारे विदेश मंत्री ने किस बात के लिये धन्यवाद दिया है। कोई किसी को पत्र लिखे और धन्यवाद दें हमारे विदेश मंत्री ? उनका विचार है कि हम शान्तिपूर्ण उपायों से कार्य करें और विदेश मंत्री उन्हें धन्यवाद देते हैं। मामले को निपटाने का यह कोई तरीका नहीं है।

हमारे सामने शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या जिन्हें हमें यहां, अथवा पाकिस्तान में अथवा बंगला देश में बसाना है। हमें उनके पुनर्वास की समस्या हल करनी होगी। उनके पुनर्वास के लिये बहुत से संसाधन अलग रखने होंगे। इस समस्या को हल करने से पहले हमें कुछ मूलभूत सूचनाओं को आवश्यकता होगी, जैसे, बंगला देश की आज जो स्थिति है उसके विषय में हमें प्रत्येक सप्ताह सूचना मिलनी चाहिये, हमें ज्ञात होना चाहिये कि हमारे विदेश मंत्री ने विदेशों में किस-किस से बात-चीत की और उनकी प्रति क्रिया क्या रही हैं। प्रत्येक सप्ताह प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता की सूचना भी हमें मिलनी चाहिए।

बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या दीर्घकालीन समस्या बनने वाली है। इसमें उतावले होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कभी कोई परिणाम निकलने की आशा हो तो बंगला देश को मान्यता दी जा सकती है। सरकार को उद्देश्य पूर्ण कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : हम ऐसा सोचें या ऐसी आशा करें कि अमेरिका को विदेशी नीति के सम्बन्ध में हम से परामर्श करना चाहिये तो यह एक भ्रमपूर्ण विदेश नीति होगी और यह किसी भी देश के लिये किसी भी स्थिति में घातक हो सकता है। हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे हमें यह बतायें कि तुर्की को कितने हथियार भेज रहे हैं, उनके कितने सैनिक अड्डे हैं, सी० आई० ए० पर उन्हें कितना धन व्यय करना है आदि। यदि इस देश में हमारी संसद् या कुछ व्यक्तिविशेष इस तरह के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की आशा रखें तो भी यह एक राजनीतिक भ्रान्ति होगी। हमारी उनके साथ किसी प्रकार की संधि नहीं है। पाकिस्तान के साथ उनकी संधि है। इसके अतिरिक्त परामर्श

करने की स्थिति हम देख चुके हैं। जेनेवा सम्मेलन की समाप्ति पर हमें आश्वासन दिया गया था, यद्यपि यह लिखित रूप में नहीं है, कि यदि कोई हथियार देने का मामला है तो उसे समाप्त कर दिया जायेगा उस क्षेत्र में नाटो जैसी कोई संधि नहीं होगी। परन्तु इस आश्वासन के कुछ दिन पश्चात् ही सीटों का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे प्रधान मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखा कि इस क्षेत्र में जो इतने अधिक हथियार सप्लाई किये जा रहे हैं उनसे शक्ति संतुलन विगड़ जायेगा। इस पर राष्ट्रपति आईजनहावर ने उत्तर दिया था कि जो हथियार दिये जा रहे हैं वे भारत के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे। परन्तु ये हथियार भारत के विरुद्ध प्रयुक्त हुये हैं। अतः संधि में बंधे हुये राष्ट्र को हथियारों की सप्लाई किसी भी शर्त से बन्धी नहीं होती है। अतः हमें परामर्श करने की बात को मस्तिष्क से निकाल देना चाहिये।

एक बहुत गम्भीर बात यह है कि अपने विरोधियों के विचारों तथा नारों का एकत्र करने का हम प्रयास करते हैं। बहुत पहले से हम काश्मीर और भारत कहा करते थे, जैसे काश्मीर भारत का अंग नहीं है। वह भी हमने दूसरों से सीखा था। आज कल 'राजनैतिक हल' की बात कही जाती है। यह भी दूसरों के द्वारा कहा गया शब्द है। 'राजनैतिक हल' बड़ा बेतुका सा शब्द है क्योंकि प्रत्येक हल अन्त में राजनैतिक ही होता है। अतः हमें राजनैतिक हल की बात नहीं करनी चाहिये। बंगला देश के लोगों तथा उनके प्रतिनिधियो ने कई हल पेश किये। शेख मुजीबुर्रहमान द्वारा दिया गया 6 सूत्री कार्यक्रम, इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया चार सूत्री कार्यक्रम। परन्तु इनके लिये अब समय निकल चूका है। अब इसके लिये केवल एक सूत्री राजनैतिक हल यह हो सकता है कि आक्रमणकारी उस क्षेत्र को खाली कर दें। यही एक राजनैतिक हल है। प्रत्यावर्तन तथा पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में अन्य राजनैतिक हल तत्पश्चात् इसका अनुसरण करेंगे। काश्मीर के मामले का भी यही एक हल है।

अब हम बंगला देश को मान्यता देने के महत्वपूर्ण मामले पर आते हैं जिसे कुछ व्यक्ति केवल प्रचारात्मक ढौंग मात्र समझते हैं। सरकार मान्यता के विषय में जो यह कहती है कि अभी उचित समय नहीं आया है यह बात मेरी समझ नहीं आती। शरणार्थियों की समस्या से भी महत्वपूर्ण मामला बंगला देश को मान्यता देने का है क्योंकि यह तो एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व की मान्यता का प्रश्न है। जब हम मान्यता देते हैं तो हम उस देश में चल रहे संघर्ष को भी स्वीकार कर लेते है। यह बिल्कुल सच है कि हम बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे। परन्तु मान्यता देने के पश्चात् जो कुछ आर्थिक सहायता अथवा युद्ध सामग्री हम सहायता के रूप में देंगे वह अवैध नहीं होगी तथा हम खुले रूप से उनकी सहायता कर सकेंगे। अतः अब तुरन्त मान्यता दी जानी चाहिये। गुरिल्ला युद्ध के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मान्यता देने के सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार चाहे जो कहती रही तो अब यह आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो गया है कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता दी जाये।

सामान्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि मान्यता देने से युद्ध छिड़ जायेगा। हम संसार के किसी भी देश से युद्ध छेड़ना नहीं चाहते परन्तु यदि हम पर यह युद्ध थोप ही दिया जाता है तब हम अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करेंगे। जहां तक बंगला देश को मान्यता देने का प्रश्न है, मुझे इसमें कोई कारण ऐसा दिखाई नहीं देता है कि हमारे साथ युद्ध छिड़ जाये।

हमारे राजदूतों के बारे में ऐसी शिकायतें की जाती हैं कि उन्होंने यह नहीं कहा वह नहीं कहा। हमें इनकी आलोचना नहीं करनी चाहिये क्योंकि अपनी सफाई देने के लिये वे लोग यहां

उपस्थित नहीं हैं, वे विदेशों की राजधानियों में रहकर कठिन कार्य करते हैं। जब तक राजदूतों को स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते हैं वे क्या कर सकते हैं? राजनयिक प्रचार का अर्थ केवल पत्रिकायें बांटना ही नहीं है अपितु दैनिक बातचीत में उन्हें अपनी नीति से अवगत कराना भी है। जब देश की कोई नीति ही नहीं है तब वे किस बात से अवगत करायें? राजदूत नीति नहीं बना सकते। आज यह सम्भव नहीं है। यदि सरकार की कोई नीति है तो इस सदन द्वारा पारित किये गये संकल्प का सरकार को अनुसरण करना चाहिये। जब बंगला देश की जनता को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वे स्वतन्त्र राज्य की घोषणा कर रहे हैं और हमारी सरकार यहां की संसद में भी कहती है कि हम उनका समर्थन तो करते हैं परन्तु मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो यह निश्चित ही या तो पाखंड है या बिना सोचे समझे ऐसा कहा जा रहा है। यह आइजनहावर के धोखे से भी बढ़कर है। आइजनहावर से निक्सन तक के राष्ट्रपतियों के विरुद्ध शिकायत करने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने अपनी जनता को धोखा दिया है। हमारे भौगोलिक सान्निध्य के कारण जो चीज पूर्वी बंगाल की जनता के साथ सम्बन्धित है वह हमारे साथ भी सम्बन्धित है। हमारी सीमा पर जो घटना होती है वह दूसरे देश की आन्तरिक समस्या भी होती है। हम यह पूर्ण अधिकार के साथ कह सकते हैं कि भारत में शरणार्थियों के आगमन से जो स्थिति पैदा हुई है वह पाकिस्तान द्वारा जानबूझ कर पैदा की गई है।

शरणार्थी-समस्या के कुछ पहलू हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये। बंगला देश से आये शरणार्थी बंगला देश के नागरिक हैं। उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करने के मामले में सुविधाएं दी जानी चाहियें। उन्हें जीवन में प्रवेश करने की ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहियें कि जब वे वापिस जायें तो वे मानव समाज के अनुपयुक्त सिद्ध न हों। वे यह ही अनुभव करें कि उनका मुख्य उद्देश्य बंगला देश को स्वतन्त्र कराना है। युद्ध से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। इससे तो विपदाएं और बढ़ती हैं। यदि हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाता है तो हमें इसका साहस से मुकाबला करना चाहिये।

जहां तक पाकिस्तान को मान्यता देने का सम्बन्ध है, यदि भारत बंगला देश को मान्यता देता है, तो पाकिस्तान का हम पर आक्रमण करने का कोई औचित्य नहीं है। हम केवल बंगला देश को मान्यता देते हैं जो कि केवल औपचारिकता मात्र है। मान्यता देने से समूची स्थिति में परिवर्तन आ जायेगा। हमारे मित्र देश चाहे तत्काल हमारा अनुकरण न करें लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे उन्हें कभी भी मान्यता नहीं देंगे।

हमें इन लोगों के प्रति नाराज नहीं होना चाहिये जिनका मत हमारे मत के अनुसार नहीं है। हमें बंगला देश के लोगों में यह विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिये कि उनको मान्यता देने वाला एक देश है। यही मान्यता देने का अभिप्राय है। हमें अन्य देशों से भी बंगला देश को मान्यता दिलवाने का प्रयास करना चाहिये।

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में बंगला देश के प्रश्न को उठाने के बारे में क्या कार्यवाही की है? गत तीन या चार महीने में इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार ने इस संबंध में मानव अधिकारों के उच्चायुक्त से अनुरोध नहीं किया है। हमें यह कहने का अधिकार है कि शरणार्थियों के उच्चायुक्त बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन उनकी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में रुचि है। उनके आपत्तिजनक वक्तव्यों के बारे में सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बताना चाहिये।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : I fully support the viewpoint of Shri Bhagwat Jha Azad in respect of the problem which we are faced with at present. America has not sent these arms for the first time. America has been creating trouble in different countries of the world by sending arms and ammunition. She has created a problem in Vietnam by supplying arms. Elections held in Pakistan and Ceylon show that the people of those countries want radical changes. America is creating war-like conditions in Asia. She wants to convert Bangla Desh into another Vietnam. The people of Pakistan have not been given their justful right even after elections.

America is supplying arms to Pakistan in order to disturb the balance of power. It is our duty to defend Bangla Desh. If the foreign countries do not understand their responsibility we are not at fault.

Pakistan wants to tell other countries that Bangla Desh problem is her internal problem. But now the foreign countries have begun to realise that it is not her internal problem. This feeling is the result or the delegations sent by India to other countries. As a result of it, the foreign countries have started saying that this problem should be solved immediately.

It is a revolution of its own kind. People of Bangla Desh should not be allowed to be suppressed. The sacrifices made by them will not go in vain. It is true that India has done a lot in this matter but still enough has to be done in the near future.

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई-मध्य) : हमें पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल में कत्लेआम किये जाने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि वहां तानाशाही सैनिक शासन है। लेकिन हमें इस बात पर आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान को हथियार देते समय अमरीका के स्टेट विभाग ने इस बात को भुला दिया कि इन हथियारों का प्रयोग पश्चिम बंगाल के सैनिक शासक निर्दोष तथा निहत्थे लोगों के कत्ले आम के लिये करेंगे। अमरीका की यह कार्यवाही एक व्यापारी जैसी कार्यवाही है। उन्होंने सौदा किया और हथियार बेच दिये और साथ ही साथ शरणार्थियों की सहायता के लिये दान के रूप में कुछ धनराशि भी दे दी। विदेश मन्त्री द्वारा किये गये दौरे के तीन परिणाम निकले हैं। एक यह कि पाकिस्तान द्वारा पैदा दी गई समस्या की गम्भीरता को अब संसार समझने लगा है। दूसरे, बंगला देश में, विशेषकर शरणार्थियों के संबंध में घटी घटनाओं की जिम्मेवारी पाकिस्तान को स्वीकार करनी चाहिए और तीसरे, विश्व की शक्तियों को इस समस्या का राजनीतिक हल निकालना चाहिये, जो बंगला देश की जनता को स्वीकार हो तथा सत्ता जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपनी चाहिये।

बंगला देश की समस्या बहुत गम्भीर है। हम उन शरणार्थियों को भारत में हमेशा के लिये नहीं रख सकते। चाहे इसका कोई भी हल हो शरणार्थियों को अवश्य वापिस जाना होगा। हमारे लिये शरणार्थियों की समस्या पाकिस्तान ने पैदा की है। विश्व के देशों ने अब यह महसूस किया है कि भारत ने शरणार्थियों की समस्या पैदा नहीं की है। आरम्भ में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ऐसा करने का आरोप लगाया था।

बंगला देश की समस्या तभी हल हो सकती है जब इसका कोई राजनीतिक हल निकाला जाये।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

शरणार्थियों को आने से रोकने के लिये पाकिस्तान को ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि शरणार्थी अपने को वहां सुरक्षित महसूस करें। यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेवारी है। जब तक

ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जाती, तब तक हमारे लिये अथवा विश्व के लिये यह बहुत कठिन है कि शरणार्थियों को वापिस पाकिस्तान भेजा जाये ।

पाकिस्तानी सैनिक वहां कठपुतली सरकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु भारत इसको राजनीतिक हल नहीं मानेगा ।

मैं श्री कृष्ण मेनन के विचार से सहमत हूं कि युद्ध से समस्या हल नहीं होती । इस समस्या का वास्तविक स्थायी हल यही है कि सैनिक जनता को सब शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देनी चाहिये और संसार के राष्ट्रों को वहां लोकतन्त्र शासन स्थापित करने के लिये पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिये । विश्व के देशों को इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : विदेश मन्त्री ने बंगला देश के राष्ट्रीय आन्दोलन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं किया है । किसी भी सरकार से विचार विमर्श करते समय उन्होंने बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम का प्रश्न नहीं उठाया है । किसी भी देश के साथ विचार विमर्श करते समय पाकिस्तान द्वारा किये गये नरसंहार का उल्लेख नहीं किया गया है । उन्हें विश्व संगठनों में उक्त विषय को उठाना चाहिये था । उनकी विदेश यात्रा का एक ही उद्देश्य प्रतीत होता था और वह था बंगला देश के शरणार्थियों के लिये भीख मांगना । उन्हें अपने इस उद्देश्य में भी सफलता नहीं मिली क्योंकि हमने उन पर 400 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया था जबकि हमें कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सहायता दिये जाने पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ । अमरीका को भारत की कठिनाई में पड़े देखकर प्रसन्नता होती है । इसका कारण यह है कि भारत ने अमरीकी नीति के अनुसार चलने से इंकार कर दिया ।

ब्रिटेन अभी तक यह नहीं भूला है कि वह भारत पर शासन करता रहा है । इसी के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ । अतः वह नहीं चाहता कि उसे बंगला देश के कारण किसी कठिनाई का सामना करना पड़े ।

जब श्री पौदग्रोनी ने याहिया खां को संदेश भेजा था, तो हमें यह विश्वास हुआ था कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ । हमारे विश्वास का आधार यह था कि साम्यवादी देश संसार भर में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन का समर्थन करते हैं ।

हमें आशा थी कि न केवल रूस बल्कि 13 अन्य साम्यवादी देश भी पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे नरसंहार की भर्त्सना करेंगे बल्कि बंगला देश को शीघ्र मान्यता देने को भी कहेंगे ।

पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे नरसंहार की भर्त्सना के लिये हम सीनेटर एडवर्ड केनेडी और ब्रिटिश लेबर पार्टी के 122 सदस्यों के आभारी हैं । अन्य सब देशों का बंगला देश की समस्या के प्रति निष्पक्ष रुख नहीं है ।

हमारे विदेश मंत्री ने बंगला देश की क्रान्ति के मामले में देश का अहित किया है । मंत्री महोदय ने सब दस्तावेजों में 'बंगला देश' के लिये 'पूर्व बंगाल' शब्द का प्रयोग किया है । बंगला देश

के नागरिक पाकिस्तान के वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत इस समस्या को किसी प्रकार का राजनीतिक हल स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों ने इस क्रांन्ति में अपनें निकट सम्बन्धियों को खो दिया है और उनमें पाकिस्तान के प्रति बहुत घृणा पैदा हो गई है।

विदेशों से किये गये पत्र-व्यवहार में हमारे विदेश मंत्री ने 'बंगला देश' शब्द का प्रयोग न कर 'पूर्व पाकिस्तान' शब्द का प्रयोग किया है। यदि इस शब्द का प्रयोग संयुक्त विज्ञप्ति में नहीं किया जाता तो बेहतर था। यदि ब्रिटेन, अमरीका और रूस ने ऐसा किया होता तो हम मान सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया ? अतः मैं यह कहूंगा कि विदेश मंत्री ने बंगला देश के हित को बहुत हानि पहुंचाई है।

मैं पाकिस्तान से युद्ध करने का समर्थक नहीं हूं यद्यपि पाकिस्तान ने लाखों शरणार्थियों को भारत भेजकर अतिक्रमण जैसी कार्यवाही की है और वह लगातार भड़काने वाली कार्यवाहियां कर रहा है।

आज बंगला देश को शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता है। अप्रैल की तीसरे सप्ताह में वहां केवल दो डिवीजन पाकिस्तानी सेना थी और यदि उन्हें विश्व के किसी भी देश से शस्त्र आदि मिल जाते तो वे उन्हें समाप्त कर सकते थे। जैसोर से वे पांच जिलों पर नियंत्रण कर सकते थे और तब हमें शरणार्थियों की समस्या का मुकाबला नहीं करना पड़ता। सीमावर्ती क्षेत्रों में यह जाकर देखा जा सकता है कि वहां के लोग बहुत अच्छे योद्धा हैं और वे लड़ने-मरने को तैयार हैं। उनका कथन है कि हमें अपने स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिये शस्त्र दो और हमें सुविधाएं दो। हम और किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहते।

यदि सरकार बंगला देश को स्वतन्त्र होता देखना चाहती है तो इसके दो विकल्प रह जाते हैं। पहला, युद्ध और यदि हम इससे बचना चाहते हैं तों बंगला देश को तत्काल मान्यता देनी होगी।

बंगला देश को मान्यता देने के बाद सरकार बंगला देश की हर प्रकार से सहायता कर सकती है। इस संबंध में सरकार बहुत पीछे रह गई है।

याहिया खां द्वारा पाकिस्तान की अवैध सरकार की घोषणा करने से पहले ही हमें बंगला-देश को मान्यता दे देनी चाहिये। यदि जनता की सरकार को गिराने दिया जाता है तो जनता के मनोबल को गम्भीर धक्का लगेगा। सरकार को उनके मनोबल और उनके क्रान्तिकारी रवैये को बनाये रखना चाहिये। बंगला देश का स्वतन्त्रता आन्दोलन तभी सफल हो सकता है।

युद्ध को टालने का एक मात्र विकल्प बंगला देश को मान्यता देना है। अभी भी बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है और सरकार बंगला देश के जनवादी गणराज्य को मान्यता दे सकती है।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : एक बार फिर अमरीका ने दोहरी भूमिका अदा करके अपना असली रूप दिखा दिया है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामग्री से भरे हुये जहाज भेजने की कार्यवाही घृणित तथा शर्मनाक है। सरकार उन शरणार्थियों को जो पाकिस्तान से यहां आ रहे हैं, हर संभव सहायता दे रही है परन्तु शरणार्थियों का आगमन जारी है। शरणार्थियों से

पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हर मिनट मरने से शान्ति से मरना बेहतर है। पाकिस्तान में आतंक, नृशंसता, आगजनी और लूट का साम्राज्य व्याप्त है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामग्री दिये जाने की हम निन्दा करते हैं। इससे शरणार्थियों के दुःख और संकट निरन्तर बने रहेंगे।

आज के समाचार-पत्रों में व्यक्त किये गये इस विचार को मैं नहीं समझ सकता कि पाकिस्तान को चाहिये कि वह भारत को उतनी भूमि प्रदान करे जितनी भूमि पर शरणार्थियों को बसाया जा सके। ये शरणार्थी दुःख के समय में आये हैं तथा हमारे अतिथि हैं। हमें यह देखना चाहिये कि वे अपने देश लौट जायें तथा वहां शान्ति से रहें।

हमें विश्व जनमत का अनुमान लगाने के लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। अब हम देख चुके हैं कि विश्व जनमत हमारे साथ है तथा अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। ये शरणार्थी सहायता प्राप्त कर रहे हैं तथा न्यूनतम श्रम दरों पर इन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय तनाव उत्पन्न हो गया है। इससे पहले कि ये समस्यायें गम्भीर रूपधारण कर लें हमें अभी इस बारे में निर्णय ले लेना चाहिये और उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri J. B. Dhote (Nagpur) : Mr. Speaker, Sir, to-day our country is faced with a serious situation. We attained independence after making numerous sacrifices. The British Imperialists divided our country. The British Imperialists always conspired against us and even to-day they are conspiring, The ideologies of U.S.A., China and Pakistan are not similar, inspite of that they are conspiring against us. Much can be said and has been said about our foreign policy.

To-day Bangla Desh is seeking recognition. Pakistan is committing genocide on the innocent people of Bangla Desh. Our Government is not decisive over the question of giving recognition. Our hon. Minister of External Affairs has visited many countries of the world asking those countries to give recognition to Bangla Desh. There was a time when we could have given recognition to Bangla Desh but we failed to do so.

So many countries of the world gave recognition to the Indian National Army at the time of our freedom struggle. And to-day when people of Bangla Desh have elected their leader for a democratic set-up, the brutal military regime of Pakistan have started committing atrocities on them. Although we have given *de facto* recognition to Bangla Desh but we are not giving it *de jure* recognition.

While discussing the question of according recognition to Bangla Desh reference is made to International Law. The international Law does not stand in our way. When Prince Sihanouk fled away from Combodia, at that time his Government was not there and only the revolutionary Government existed, but both Russia and China had recognised that Government. There are a number of such other instances. We are hesitant to accord recognition because we are afraid of Third World War. But there is no other alternative before us except to accord recognition to Bangla Desh. Can Pakistan become our friend in case we do not give recognition to Bangla Desh? This is the question. China or U.S.A. cannot become on friends in case we do not give recognition.

In the life of a nation, situations do arise when that nation has to take risk. If that nation does not take risk, the future historians would never spare her for that.

We should accord recognition to Bangla Desh. Although we do not want war. Yet if war is thrust upon us because we recognise Bangla Desh, we should be prepared for it.

If our Prime Minister shows boldness in recognising Bangla Desh, the whole nation would stand by her.

श्री अहमद आगा (बारामूला) : देश के विभाजन के पश्चात् लोकतंत्र में नहीं पनप पाया है। अभी तक तक उन्होंने प्रजातन्त्र नहीं देखा है। उन्हे अभी प्रजातन्त्र के बारे में जानना है कि यह होता क्या है।

विदेश मन्त्री ने जिन देशों का दौरा किया उससे उन देशों को समस्या की गम्भीरता के बारे में जानकारी मिली, किन्तु केवल कनाडा के कार्यवाहक प्रधान मन्त्री ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ राजनैतिक समझौता करने की बात की। जब तक पाकिस्तान में राजनीतिक समाधान नहीं होता तब तक अमरीका आर्थिक सहायता नहीं रोक रहा है और साथ-साथ इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता कि इसे राजनीतिक कारणों से सहायता रोकनी चाहिये। जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, ब्रिटिश सूचना सेवा ने 23 जून को बताया कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि पाकिस्तान में पहले से आरम्भ की गई परियोजनाओं को जहां तक संभव हो चालू रखा जाना चाहिये। इससे पता चलता है कि जहां तक हमारी मुसीबतों का संबंध है, ब्रिटिश सरकार उनके प्रति अधिक चिन्तित नहीं है। अतः हमें इस दिशा में स्वयं प्रयत्न करते रहना चाहिये।

बंगला देश को अपनी समस्याओं का स्वयं सामना करना होगा। यह वास्तव में पश्चिमी पाकिस्तान की पूर्वी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है। याह्या सैनिक शासन उन्हें कुचलने का प्रयास कर रहा है।

यह सही है कि 60 लाख युद्ध निष्क्रान्त व्यक्तियों की समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है परन्तु इससे पहले कि वे अपने देश लौटें हमें इस समस्या का राजनैतिक हल सुनिश्चित करना होगा।

कुछ मास पूर्व यह समाचार था कि अमरीका की यह नीति है कि एशियावासी एशिया-वासियों से लड़ें। यह सच है। वह चाहता है कि हम ऐसा करके कमजोर बने रहें।

यह राय व्यक्त की गई है कि अरब देशों ने बंगला देश के आन्दोलन के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है। यहां तक कि अरब देश भी आपस में इस विषय पर विभाजित हैं। सऊदी अरब, जोर्डन, तुर्की और ईरान 'सेन्टो' शक्तियों से सम्बद्ध हैं। केवल ईराक, सीरिया, लीबिया वास्तविक रूप में इजरायलियों से लड़ रहे हैं। तुर्की और ईरान इजरायल को तेल की सप्लाई कर रहे हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में मुसलमान नाम की कोई चीज है।

हमारे यहां लोकतांत्रिक शासन है। हम बंगला देश का इसलिये समर्थन करते हैं कि वह प्रजातांत्रिक शासन वाला देश बनने जा रहा है। यदि बंगला देश लोकतंत्रात्मक देश बन जायेगा तो संभव है कि पश्चिमी पाकिस्तान में भी लोकतन्त्र स्थापित हो जाये।

Shri M. M. Hashim (Secunderabad) : Our Minister of External Affairs visited foreign countries on the issue of Bangla Desh. What was the motive behind it? We know that the people of Bangla Desh are fighting for their democratic rights. Since we also fought for our rights against the Britishers. They want our help in their struggle.

So far as the attitude of other powers to the Bangla Desh problem is concerned, it is based on their respective vested interests. The world community should realise that if the elected representatives if the people of Bangla Desh are not allowed to form a Government and thus democracy is throttled, it would have repercussions in other parts of the world.

If U.S.A. continues her military aid to Pakistan, these arms will be used for crushing the people of Bangla Desh. To-day Yahya Khan is going to instal a strange type of Government there. If we hesitate, there would be chaos in Bangla Desh and China would derive the maximum benefit out of it.

It appears that during the tour of the Minister of External Affairs talks were held about friendship and cordial relationship. Instead of it he should have impressed upon the countries he visited to exert pressure on Pakistan to take back the refugees and effect a political settlement in Bangla Desh. He should also have ascertained from the leaders he met, as to what would *be* the attitude of their governments in the event of confrontation between India and Pakistan.

What kind of settlement our Government has in view which would enable to refugees to go back? If the hero of the people of Bangla Desh is got released and if any settlement is reached in consultation with him, only then it will be a political settlement.

We should condemn the U. S. Government for giving arms to Pakistan. But there are persons like senator. Ful bright and Senator William who are against such actions of U. S. Government. Our Minister of External Affairs and our Ambassador should have talked to these people in order to mobilise public opinion in U.S.A. Our country has always stood for democracy and rights of the people. We should give recognition to Bangla Desh failing which we will have to repent for ever.

I wish people from this country should go to the Arab countries and tell them about the secular nature of democracy in our country. We have to emdo the Pakistani propaganda that India wants to wipe out Pakistan. We have to tell the Arab people that so far as the problem of Bangla Desh is concerned, it is not a conflict between India and Pakistan but it is a fight of the people of Bangla Desh for their democratic rights.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : प्रधान मन्त्री ने बताया है कि वह शरणार्थियों के निष्क्रमण को रोकना चाहती हैं और बंगला देश से आये हुये शरणार्थियों को वापस उनके घरों में भेजने के लिये उनकी बंगला देश की भूमि को सुरक्षित बनाना चाहती हैं। उन्होंने विदेश मन्त्री को एक मिशन पर विश्व के देशों में दौरे के लिये भेजा। श्री जयप्रकाश नारायण भी विश्व की राजधानियों का दौरा करने गये। उन्होंने उपयोगी कार्य किया है। किन्तु उनको पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। अमरीकी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करती रहेगी। याह्या खां द्वारा नरसंहार रोके जाने की कोई चिह्न सम्भावना नहीं है।

यदि सरकार नरसंहार को रोकना चाहती है, यदि वह शरणार्थियों को वापस भेजना चाहती है तो सरकार को सहानुभूति मिशन के तौर पर सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। सरकार को ऐसा कदम उठाने से घबराना नहीं चाहिये। यदि 25 मार्च के बाद ऐसा कर दिया होता तो स्थिति कुछ और होती।

अब भी एक मात्र उपाय यही है कि बंगला देश को मान्यता दी जाये। इसके अतिरिक्त यहां हजारो शरणार्थी हैं जिनमें देशभक्त नवयुवक भी हैं, उन्हें हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उनको इस योग्य बनाना चाहिये कि वे अपने देश वापस जाकर अपनी स्वतन्त्रता के लिये

लड़ें। इसके पश्चात् वे निडरता से अपने देश में जा सकते हैं और जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं।

Shri Ram Dev Singh (Maharajganj) : I should be thankful to the 'New York Times' which has exposed the dual policy of U.S.A. On the one hand the U.S. Government talked with our Minister of External Affairs in a rather assuring manner and on the other, they supplied arms to Pakistan and acted in flagrant disregard of the principles about which they talk so much day in and day out. Any way this is what is expected from all capitalistic countries.

It is clear that our Government has failed to influence the world opinion and to arouse the conscience of the people of the world on the issue of Bangla Desh. The other day, we suggested to the Prime Minister that if the refugees were coming here in large number, let them come but we should give arms and other material to the youngmen, students and others who were prepared to fight and send them back to their country so that they could fight the battle of freedom. But the Government did nothing of that kind. In fact nobody is clear about our Government's thinking and its stand on the issue of Bangla Desh.

Our Minister of External Affairs visited a number of countries and talked to the Governments there about the refugees' problem, the pressure on our economy and need for more help. But has any nation raised its voice strongly against the genocide committed by Yahya Khan? No nation is raising its voice to stop this genocide.

Future historians will undoubtedly put blam on Yahya Khan for the happenings in Bangla Desh but India too will have its share of the blam in as much as it has been a helpless spectator to the killing of the people there.

When the fight for the freedom of Bangla Desh started, we could have given them arms and recognise their Government. But we did not do so. Though it is very late, but even now we can give them recognition, failing which we have no moral right to ask other countries to recognise Bangla Desh.After recognising their Government, we should give them all help including the help of arms. The Government must take a courageous decision. At the same time, the Government should warn British Government that if they do not stop giving aid to Pakistan, we will quit the Commonwealth.. Apart from that, we must ask U.K. to force Pakistan to stop this bloodshed.

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं श्री भागवत झा आजाद को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़े ही सारगर्भित भाषण द्वारा, विदेशी समाचार पत्रों से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए, देश की भावनाओं को बड़े ही स्पष्ट तथा सुदृढ़ शब्दों में व्यक्त किया। उनका विषय संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई था। मेरे दो वक्तव्य सभा के विचारार्थ थे जिनमें से एक अमरीका द्वारा पाकिस्तान की शस्त्रों की सप्लाई के बारे में था तथा दूसरा विभिन्न देशों की मेरी यात्रा के बारे में था। माननीय सदस्यों ने इन दोनों विषयों पर काफी विस्तार से अपने-अपने मत रखे।

मेरी विदेश यात्रा के दौरान हमारी सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि दुर्भाग्य से अनेक देश यह विचार रखते हैं कि बंगला देश की समस्या पाकिस्तान की अपनी निजी आन्तरिक समस्या है और इसीलिये सर्वप्रथम तो यह आवश्यक था कि हम इस संबंध में एक स्पष्ट और दृढ़ रवैया अपनाते और साथ ही यह भी अनिवार्य था कि हम इस मामले से संबंधित कतिपय बुनियादी प्रश्नों के बारे में विदेशों की सरकारों, गैर-सरकारी नेताओं, विपक्षी पत्रों, वहां के समाचारपत्रों, आलोचकों तथा

जनमत तैयार करने वाले अन्य लोगों के सामने स्पष्ट रूप से वस्तुस्थ रखते। इसके अतिरिक्त इस मामले को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला समझने की गलत धारणा को हटाना भी हमारा प्रमुख कार्य था।

इस संबंध में जो बुनियादी बात है उसका मैं यहां जिक्र जरूर करूंगा। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सैनिक शासन ने निहत्थे लोगों पर बर्बर अत्याचार करके पैदा की है जिसका एकमात्र उद्देश्य वहां लोकतांत्रिक ढंग से हुए चुनावों को अमान्य करना है। हमें यह याद रखना चाहिये कि बंगला देश तथा पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव एक साधारण या सामान्य बात नहीं थी बल्कि उस देश के संविधान का निर्माण करने हेतु प्रतिनिधि चुनने हेतु यह चुनाव कराया गया था। विभिन्न दलों ने अपने अपने चुनाव-घोषणापत्र जनता के समक्ष रखे थे जिनसे पाकिस्तान के भविष्य की झांकी स्पष्ट मिलती थी और इन्हीं मदों को क्रियान्वित करने के लिये अद्भुत रूप से भारी मत प्राप्त करके जब अपने संविधान की रचना करने को आये तो उस समय किसी प्रकार की बात-चीत या समझौता—करार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। नई संविधान सभा ने संविधान बनाना था और पाकिस्तान के भविष्य का निर्णय करना था अतः याहया खां के साथ बात-चीत के समय यह कहना बड़ा आश्चर्यजनक था कि शेख मुजीबुर्रहमान का रवैया गलत है या न्याय संगत नहीं है। वस्तुतः याहया खां को ऐसी कोई बात-चीत करनी ही नहीं चाहिये थी। उन लोगों ने चुनाव जीता था और वे संविधान सभा में बैठक उचित निर्णय करने के सर्वथा अधिकारी थे।

परन्तु आज सारा विश्व यह जान गया है कि यह बातचीत तो एक ढोंग था जिसके पर्दे में पाकिस्तान के सैनिक शासन ने चुपचाप अकस्मात् सैनिक अत्याचारों की तैयारी करती और फिर अत्याचार किये भी। ऐसी स्थिति में जब कि कुछ बुनियादी बातें अन्तग्रस्त हैं, जिसके फलस्वरूप कि प्रायः 60 लाख लोग भारतीय क्षेत्र में प्रवेश पा चुके हैं, किसी व्यक्ति का यह कहते रहना सर्वथा अनुचित और अवास्तविक है कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है। और इसी सम्बन्ध में हमें अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना है। किसी सीमा तक हम इसमें सफल भी हुए हैं परन्तु आगे भी इस दिशा में हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक शरणार्थियों का प्रश्न है यह कहना गलत है कि मैं इन शरणार्थियों के लिये सहायता, अनुदान या किसी भी रूप में धनराशि मांगने गया था। यह धारणा एकदम गलत है। उद्देश्य यह था कि हमें इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करना है। दुर्भाग्य से वहां यह धारणा बढ़ती जा रही थी कि भारत में तो इस प्रकार कई बार शरणार्थी आय हैं और कष्ट पाकर भी भारत उन्हें अपने यहां शरण देकर बसाता रहा है। सो इस बार भी भारत ऐसा कर लेगा और इन शरणार्थियों के आने से इस देश की अर्थव्यवस्था पर जो कुप्रभाव पड़ा है या जो मानवीय समस्या भारत के सामने आई है उसमें सहायता करने से यह मामला समाप्त हो सकता है। यह गलत धारणा हमने दूर करनी है। मैंने कभी किसी भी प्रकार की सहायता का प्रश्न नहीं उठाया और इसका मूल समस्या से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। और जब तक मूल समस्या को नहीं समझा जाता और उसे भुलाया नहीं जाता तब तक कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुतः ये शरणार्थी बंगला देश के वासी हैं, वहां के नागरिक हैं। सवाल यह नहीं है कि वे भारी संख्या में हमारे यहां आये हैं और इससे हमारे यहां वित्तीय, आर्थिक, राजनैतिक या मानवीय समस्यायें पैदा हो गई हैं। वस्तुतः समस्या तो यह है कि इन शरणार्थियों को अपने देश वापस जाना होगा, भारत से लौटना होगा। ये बंगला देश के नागरिक हैं और इन्हें वहीं रहना होगा। हमारे यहां तो वे बंगला देश की ओर से और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से आपदकाल में शरण लेने आये हैं और अन्ततः

उन्हें वापस जाना होगा। अब समस्या यह है कि वे वापस जायें कैसे ? राष्ट्रपति याहयां खां ने कहा हैं कि वास्तविक शरणार्थी वापस लौट सकते हैं। परन्तु उनके इस वक्तव्य के बाद भी हमारे यहां 25 लाख शरणार्थी पहुंचे हैं। तो फिर ऐसे वक्तव्य देने का लाभ क्या ? समस्या तो यह है कि जब तक वहां उनके अनुकूल वातावरण नहीं हो जाता, इन शरणार्थियों, बंगलाबासियों, के प्रतिनिधियों के हाथों में बंगला देश का प्रबन्ध नहीं आ जाता तब तक ये लोग वहां कैसे जायें ? यही बात तो समझने की है। और यदि हम अपने दृष्टिकोण को अत्यन्त स्पष्ट ढंग से पेश करते हैं तो लोग इसे समझेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय मे कोई अपना मत दूसरों पर ठूँस नहीं सकता, परन्तु मोटेतौर पर सबको यह स्वीकार्य है कि शरणार्थियों का आगमन रुकना चाहिये, और यह तभी रुक सकता है जब बंगला देश में सैनिक कार्यवाही बन्द हो। दूसरे, शरणार्थी वापस तब तक नहीं जायेंगे जब तक कि उनके उत्तरदायी नेताओं के हाथ में वहां का शासन नहीं आ जाता। इन दो बातों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में आम समर्थन प्राप्त हुआ है और इन्हीं दो बातों के लिये हमें समर्थन जुटाना है।

"राजनैतिक समाधान" शब्दों के बारे में यहां कुछ माननीय सदस्यों में कुछ भ्रम था गलत फहमी हुई है। इसे स्पष्ट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि बंगला देश में सैनिक कार्यवाही के जारी रहते यह समस्या हल नहीं होगी। हमारे ये उपरोक्त शब्द यहां संसद् में पारित संकल्प के ठीक अनुरूप है, जिससे यह कहा गया है कि बंगला देश में बर्बर अत्याचार रुकवाने तथा वहां सैनिक कार्यवाही बन्द करवाने के लिये दबाव डाला जाये, और यह राजनैतिक समाधान क्या ? इसका स्पष्टीकरण करना या इसकी निश्चित परिभाषा देना हमारे लिये उपयोगी नहीं है। वस्तुतः तो इसका राजनैतिक हल केवल नहीं हो सकता है जो बंगला देश के निवासियों के चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वीकार हो, जिनका नेतृत्व शेख मुजीबुर्रहमान कह रहे हैं। यह तो उचित नहीं होगा कि हम उक्त राजनैतिक समाधान का ब्यौरा संसार के सामने पेश करें। मगर यह निश्चित है कि यदि हम यह कहें कि राजनैतिक समाधान वही है जो बंगला देश के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य हो तो इसी विचार को अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। और 'राजनैतिक समाधान' से हमारा अभिप्राय यही है और यही बात हम सारे विश्व को जा जाकर बता रहे हैं।

यह बात भी व्यर्थ है कि बंगला देश में सैनिक शासन के स्थान पर असैनिक शासन स्थापित कर दिया जाये जबकि वही सैनिक शासनाधिकारी असैनिक पर सैनिक वादियों पदन कर उसी प्रकार सत्ता चलायेंगे। सवाल तो यह है कि बंगला देश के निवासियों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार और उनका सच्चे हितैषी होकर उनका शासन कौन चलाये ? कुछ सदस्यों ने कहा है कि ऐसा शासन हो सकता है जिसमें अवामी लीग के भी कुछ व्यक्ति हो। यह बड़ी खतरनाक बात है और हमें इसका आभास पहले मिल चुका है। अतः यह बात भी पूरी तरह स्पष्ट कर देने की बड़ी आवश्यकता है कि वहां इन सैनिक शासनाधिकारियों के सैनिक अथवा असैनिक रूप में शासन से समस्या हल नहीं होगी जो कि उसी सैनिक सत्ता के चमचे होंगे। बंगला देश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो केवल अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का, जिनका नेतृत्व शेख मुजीबुर्रहमान करते हैं, शासन ही स्वीकार करेंगे।

इस प्रकार ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और बुनियादी बात यह है कि जब तक बंगला देश में सैनिक शासन है, जब तक वहां अत्याचार होते हैं और जब तक वहां चुने गये प्रतिनिधियों की

उत्तरदायी सरकार शासन नहीं संभाल लेती, शरणार्थी वहां वापस नहीं लौट सकते, कभी नहीं लौट सकते ।

उपरोक्त विचार धारा के आधार पर ही हम "राजनैतिक समाधान" की बात कहते हैं और इस संबंध में हमने किसी को भी किसी प्रकार के संदेह में नहीं रखा है । मैं यह दावा तो नहीं करता कि सभी इस संबंध में हमारा समर्थन करते हैं, परन्तु बुनियादी बातों पर मोटे-तौर पर सभी सहमत हैं कि शरणार्थियों का आगमन रुकना चाहिये ।

फिर आप यह भी आशा नहीं कर सकते कि सभी देश खुल कर अपनी बात कह दें, भले ही वे इन बातों से सहमत हैं । क्योंकि सभी अपने-अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं और कोई भी इतनी सुगमता से किसी प्रकार का त्याग नहीं करना चाहता ।

मैं एक अन्य बात भी कहूंगा । मुझे यह स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि अनेकों देश यह अनुभव करते हैं कि बंगला देश की स्थिति के संदर्भ में, सैनिक शासन इन लोगों पर चाहे जितने अत्याचार कर ले परन्तु वे अपनी सैनिक कार्यवाही द्वारा बंगला देश के निवासियों के, अपने अस्तित्व के लिये अपने इस संघर्ष को, आजादी पाने की इस अदम्य भावना को दबा नहीं सकता । और मैं यह कहना चाहूंगा कि इन देशों का यह मत अब धीरे-धीरे बदल रहा है कि बंगला देश की समस्या पाकिस्तान की आन्तरिक समस्या है, परन्तु साथ ही ये देश केवल अपने निजी स्वार्थों के लिये खुल कर अपनी यह धारणा व्यक्त नहीं करते । वे अपना विकल्प अपने हाथ में रखना चाहते हैं । यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक कठोर सत्यता है और हमें इस का सामना भी करना है । यदि सौभाग्य से सभी देश इस वृत्ति को छोड़ दें तो विश्व भर की प्रायः सभी समस्यायें समाप्त ही हो जायें । अतः हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना है । प्रायः सभी देश यह समझने लगे कि 80,000 या 90,000 सैनिक बंगला देश के 7.50 करोड़ लोगों का दमन नहीं कर सकते, स्वाधीनता के लिये उनके हृदय में स्पष्ट रूप से जागी ज्योति को वे बुझा नहीं सकते ; भले ही वे कितने ही अत्याचार कर लें । और यही बात उन देशों की पूर्व-धारणा में धीरे-धीरे परिवर्तन ला रही है । यह स्वाधीनता संघर्ष सफल होगा और इसी दृष्टि से हमने सारी स्थिति को समझना है ।

इस स्थिति का कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता । यदि कोई सहायता प्राप्त होगी तो हमारे मांगने से नहीं प्रत्युत अपने आप प्राप्त होगी और हमारे द्वारा एक स्पष्ट रवैया अपनाने से प्राप्त होगी ।

जहां तक अन्य देशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का संबंध है, मैं समझता हूं वे इस स्थिति को समझते हैं । कुछ देश खुले रूप से कहने को तैयार हैं तो कुछ नहीं हैं ।

कुछ सदस्यों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दे दो "कि या तो वह 15,20 या 30 दिन में अमुक कार्यवाही कर दे वरना हम अमुक बात कर देंगे । यह दृष्टिकोण न्याय संगत नहीं है । शरणार्थियों का जो भार है वह हम पर है और हमारी सरकार प्रबन्ध कर रही है परन्तु हर चीज का पैसे या मन की दृष्टि से देखना या समझना गलत है । जब तक मूल समस्या का हल नहीं हो जाता हमें यह सब कुछ सहन करना होगा ।

उपरोक्त शब्दों के पश्चात्, मैं यहां उठाये गये कुछ विशिष्ट प्रश्नों के बारे में भी संक्षिप्त रूप से कुछ कहना चाहूंगा। कुछ सदस्यों ने कहा कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाये। परन्तु मेरा अनुभव कहता है कि संयुक्त राज्य संघ में या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विकासों में कोई न्यायाधीश नहीं बैठे होते जो किसी की बात सुनकर निर्णय सुना सकें। वहां भी विभिन्न देशों की सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं और वही करते हैं जो कि उनकी सरकारों का आदेश होता है। अतः हमें पहले विभिन्न देशों का मत तैयार करना और उनसे समर्थन प्राप्त करना होगा तभी हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर लाभ उठा सकेंगे।

हमने प्रायः देखा है कि लम्बे-लम्बे भाषणों से नहीं, बल्कि अपने मित्र देश द्वारा 'वीटो' का उपयोग किये जाने के कारण ही हम कई अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति में सुरक्षित हो पाये हैं। अतः मैं यह गलत विश्वास नहीं दिलाना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा हमें कठिनाईयों तथा मुसीबतों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। ये बड़े टेढ़े प्रश्न होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में किसी भी प्रतिनिधियों 'हां' या 'न' कहने से पूर्व अपने देश की सरकार से आदेश लेना पड़ता है। अतः वहां बड़े-बड़े उत्तेजक या ओजमय भाषणों का कोई लाभ नहीं होता। ठोस कार्य तो यह है कि हम पहले विभिन्न देशों की सरकारों को अपना समर्थक बनायें और तब इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठायें। हमने यह कार्यवाही आरंभ कर दी है और ज्यों ही हमें अपेक्षित समर्थन मिल जायेगा हम इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जायेंगे। तथापि यह अच्छा है कि उपयुक्त मामलों की अगर आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाये क्योंकि हम से उस विषय को प्रचार मिलता है, उसके सभी पहलू प्रकाश में आ जाते हैं और कई बार इधर-उधर से दबाव पड़ने पर कई सरकारों के रवैया में भी परिवर्तन आ जाता है। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि संयुक्त राष्ट्र कोई निर्णय सुना सकता है। वहां केवल कुछ पवित्र संकल्प पारित हो सकते हैं। पश्चिमी ऐशिया की स्थिति देख लीजिये। दोनों पक्षों द्वारा एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किये जाने तथा स्वीकार किये जाने के बाद भी इज्रायल वहीं है जहां था।

मेरे एक साम्यवादी (मार्क्सवादी) मित्र सदस्य ने कहा है कि भारत में अमरीका का एक राडार कार्य कर रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यह एकदम झूंठ और निराधार कथन है। माननीय सदस्य श्री के० डी० मालवीय ने कहा है कि हम विदेशी प्रतिनिधि मडलों को यहां बुलायें। हम ऐसा कर ही रहे हैं। यह एक अच्छा सुझाव है।

मंत्रियों के विदेशी दौरों की आलोचना की गई है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि केवल शकल दिखा देने पर से किसी देश का रवैया नहीं बदल जाता बल्कि जब हम किसी प्रश्न के बारे में ऊंचे स्तर पर चर्चा या विचार-विमर्श करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान केन्द्रित हो जाता है और ऊंचे स्तर पर ही इससे बड़ा भारी फायदा होता है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ये विदेशी दौरे ऐसे ही बिना विचारे नहीं किये गये। वे आवश्यक थे तथा उनके बाद भी अन्य अनुपूरक प्रयास किये जा सकते हैं।

विदेशों में हमारे मिशन हैं जो हमारे देश की नीतियों को क्रियान्वित कराने का साधन हैं और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इन मिशनों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है।

मेरे दूसरे वक्तव्य में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई का जिक्र है । और मैंने जितनी गहराई से इस बारे में सोचा है उतना ही पाया है कि संयुक्त राज्य अमरीका का रवैया इस संबंध में पूर्णरूपेण असहानुभूतिपूर्ण है। वह आज कुछ कहता है तो कल कुछ और कहता है। हमारे राजदूत का यह कथन सही है कि अमरीका के प्रवक्ता या प्रतिनिधि जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार करना बड़ा ही कठिन है। मैं यह धारणा नहीं बनाना चाहता कि अब आगे अमरीका पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि आज भी वह देश यही कहता है कि 25 मार्च से पूर्व जो वायदे किये गये थे वे अवश्य पूरे किये जायेंगे । वे उन वायदों को रद्द करने को तैयार नहीं हैं।

इस सभा को यह बता देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं अमरीका द्वारा या उनके प्रवक्ताओं द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों से पूर्णतया असन्तुष्ट हूं और यह सभा चाहे जो प्रतिक्रिया व्यक्त करे, हम उनके ऐसे स्पष्टीकरणों को स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारी समझ में नहीं आते ।

इस सभा में पारित संकल्प के संदर्भ में कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारे रवैये में परिवर्तन आ रहा है। यह गलत है। संकल्प में कहा गया था कि शरणार्थियों का आगमन तथा असहाय व्यक्तियों का कत्ले आम तुरन्त रुकना चाहिये। और यही बात हम सभी देशों की सरकारों से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि वे इस संबंध में अपना हर प्रयास काम में लायें, चाहे वह प्रयास सैनिक सहायता देने के बारे में हो चाहे आर्थिक सहायता के बारे में हो, जो कुछ भी हो, अबोध लोगों की निर्मम हत्या रोकी जानी चाहिये। और सैनिक सहायता देना तो तुरन्त ही बन्द किया जाना चाहिये । इस प्रकार हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं और ठीक वही कार्य कर रहे हैं जिसको करने का हमने यहां संकल्प किया था।

जहां तक मान्यता देने का प्रश्न है, इस संबंध में मैं जो कुछ कह चुका हूं उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। यह विषय निरन्तर विचाराधीन है, जब कभी भी हम यह समझेंगे कि मान्यता देने से स्थिति में सुधार हो सकता है और उद्देश्य की पूर्ति होती है, हम मान्यता देने में संकोच नहीं करेंगे । परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सीधे ही यह घोषणा कर दें कि हम बंगला देश को मान्यता देते हैं।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सरकार के प्रयासों में अपना समर्थन दिया ताकि हम इस सभा द्वारा पारित संकल्प को क्रियान्वित कर सकें।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I am grateful to all those friends who participated in this discussion. About the term "political settlement" Mr. Swaran Singh has given apt explanation. He has clearly said that "political solution" in this regard means which is acceptable to Sheikh Mujibur-Rahman.

Truly speaking, we have no hopes from America. That country has always exploited the problems of other countries for her own selfish ends. They have earnest lots of mony by selling arms and ammunition to other countries, which is their main motive and that is why he can never expect any good from them. That country always makes other countries fight with one another so that her arms and ammunitions are sold at her own desired prices. She wants that to grind her own axe at all costs and in all circumstances. So, attach no hopes to America ; and also I tried to draw the attentions of this House and the people at large towards such a callous

conduct of America who is determined to destory this sub-continent and also this biggest democracy of the world by sending arms to Pakistan.

I would again say that there can be only that political settlement which is acceptable to the people of Bangla Desh. Very brave and patriotic people have sacrificed their lives and they are determined to throw away that military regime from their pious motherland. We all support their sacred ambitions.

Let Shri Swaran Singh tell America in clear terms that she should not always talk of restraint on our part only. We do not want any war in our Sub-continent. We always wish to settle all affairs without the help of sabre jets and patton tanks etc. How do they talk of our restraint? As a country, we have always adopted an altitude of forlearance and restraint. Pakistan, though, shows no sign thereof. Whenever the Pakistani dictators felt that their diplomacy had not succeeded they waged war on us. They always try their best to involve us in war. Although we don't want to produce weopons ; but that does not mean that we have no desire to defend our nation. Let all know that if at all we come to defending ourselves, the world would see that the American Sabre jets, patton tanks etc. would befound rolling on the ground.

I have nothing more to say.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 29 जून, 1971/8 आषाढ़, 1893 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, June 29, 1971/8 Asada, 1893 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow, Date....28-10-71.....340